राजव्यवस्था

क्लासरूम स्टडी मटेरियल

(अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024)

www.visionias.in 8468022022, 9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias.upsc /vision _ias VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद बेंगलुरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची

राजव्यवस्था और शासन (Polity & Governance)

विषय-सूची

1. चुनाव (Elections) 6
1.1. एक साथ चुनाव 6
1.2. राज्य चुनाव आयोग 6
1.3. परिसीमन आयोग 7
1.4. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल 8
1.5. आदर्श आचार संहिता 9
1.6. लोक सभा चुनाव 10
1.7. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां 10
1.7.1. अनुच्छेद 329(b) 10
1.7.2. चुनाव में नामांकन 11
1.7.3. पुनर्मतदान 12
1.7.4. साइलेंस पीरियड 13
1.7.5. एक उम्मीदवार, अनेक निर्वाचन क्षेत्र 14
1.7.6. होम वोटिंग 15
1.7.7. फॉर्म 17C 15
1.7.8. ब्रेल साइनेज 16
2. संसद, राज्य विधान-मंडल/ स्थानीय सरकार की कार्य-प्रणाली (Functioning of Parliament, State Legislature/ Local Government) 17
2.1. आंतरिक आपातकाल 17
2.2. दल-बदल रोधी कानून 18
2.3. आनुपातिक प्रतिनिधित्व 19
2.4. संसदीय समितियां 20
2.5. संसद का सचिवालय 21
2.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां 23
2.6.1. कैबिनेट सचिव 23
2.6.2. संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण 23
2.6.3. संसद सदस्यों की शपथ 23
3. संविधान से संबंधित मुद्दे (Issues Related to Constitution) 25
3.1. नागरिकता 25
3.1.1. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 25
3.1.2. प्रवासी भारतीय नागरिक 27

AHMEDABAD |BENGALURU |BHOPAL |CHANDIGARH |DELHI |GUWAHATI |HYDERABAD |JAIPUR |JODHPUR |LUCKNOW |PRAYAGRAJ |PUNE |RANCHI © Vision IAS

3.2. आरक्षण और एफर्मेटिव एक्शन 28

3.2.1. अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण 29

3.3. समान नागरिक संहिता 30

3.4. उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 31

3.5. प्रिवेंटिव डिटेंशन 32

3.6. व्यक्तित्व अधिकार 32

3.7. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां 34

3.7.1. शत्रु संपत्ति 34

3.7.2. भुला दिए जाने का अधिकार 34

3.7.3. इनर लाइन परमिट 34

4. केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) 36

4.1. राजकोषीय संघवाद 36

4.2. विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा 37

4.3. छठी अनुसूची 38

4.4. नए राज्यों का निर्माण 39

5. न्यायपालिका (Judiciary) 41

5.1. वैकल्पिक विवाद समाधान 41

5.1.1. मध्यस्थता अधिनियम, 2023 42

5.1.2. लोक अदालत 43

5.2. निःशुल्क विधिक सहायता 44

5.3. भारत में अधिकरण प्रणाली 45

5.4. जमानत 46

5.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां 48

5.5.1. ग्राम न्यायालय 48

5.5.2. न्यायालय की अवमानना 49

5.5.3. दया याचिका 49

5.5.4. क्यूरेटिव पिटीशन/ उपचारात्मक याचिका 49

5.5.5. फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स 50

5.5.6. जीरो FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) 50

5.5.7. डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर 50

5.5.8. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत 51

6. महत्वपूर्ण अधिनियम/ विधेयक (Important Legislatures/Bills) 52

6.1. आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम 52

6.1.1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 52

6.1.2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 52
6.1.3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 53
6.2. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 54
6.3. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) नियम, 2024 56
6.4. दूरसंचार अधिनियम, 2023 57
6.4.1. इंटरनेट शटडाउन 58
6.5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019 59
6.6. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 60
6.7. डाकघर अधिनियम, 2023 61
7. सुर्ख़ियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक/ वैधानिक/ कार्यकारी निकाय (Important Constitutional/ Statutory/ Executive Bodies in News) 63
7.1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 63
7.2. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 64
7.3. लोकपाल 66
7.4. सुर्ख़ियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण संगठन 67
7.4.1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 67
7.4.2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 68
7.4.3. संघ लोक सेवा आयोग 68
7.4.4. राज्य वित्त आयोग 69
7.4.5. केंद्रीय सतर्कता आयोग 69
7.4.6. विधि आयोग 70
7.4.7. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीतिI) आयोग 70
7.4.8. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 71
8. गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू (Important Aspects of Governance) 72
8.1. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 72
8.2. आधार 74
8.3. केंद्र प्रायोजित योजना 75
8.4. मिशन कर्मयोगी 76
8.5. शिकायत निवारण तंत्र 77
8.6. जन योजना अभियान 79
8.7. स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा 80
8.8. छावनी बोर्ड 81
8.9. पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण 81

8.10. राजनयिक पासपोर्ट 82
8.11. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां..... 83
8.11.1. कॉमन सर्विस सेंटर्स 83
8.11.2. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (WPFI) 2024 83
8.11.3. सह-जिला पहल 84

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है, ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

महत्वपूर्ण सेक्शन पर फोकस: इस डॉक्यूमेंट में कई महत्वपूर्ण सेक्शन पर फोकस किया गया है, जैसे-

» चुनाव
» सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
» संसद द्वारा पारित कानून
» गवर्नेंस से जुड़े घटनाक्रम

संक्षिप्त सुर्ख़ियां: इसका उद्देश्य प्रीलिम्स के लिए सहायक प्रासंगिक घटनाक्रमों को स्पष्ट तरीके से कवर करना है।

स्पष्ट भाषा: जानकारी को स्पष्ट भाषा में और संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, ताकि रिवीजन करना और याद रखना आसान हो।

इन्फोग्राफिक्स: लर्निंग को आसान बनाने के लिए संबंधित आर्टिकल में प्रासंगिक इन्फोग्राफिक्स प्रदान किए गए हैं, जैसे-

» संवैधानिक और विधिक प्रावधान
» न्यायिक निर्णय

क्विज़: अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है। यह लर्निंग की प्रक्रिया को और अधिक रोचक एवं प्रभावी बनाएगा।

1. चुनाव (Elections)

1.1. एक साथ चुनाव (Simultaneous Election)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव यानी “एक राष्ट्र, एक चुनाव” के लिए लोक सभा में **“129वां संविधान संशोधन विधेयक, 2024”** पेश किया। इस विधेयक की समीक्षा एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जाएगी।

129वां संविधान संशोधन विधेयक, 2024 के मुख्य प्रावधान

- **संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा:**
  - **एक साथ चुनाव:** नए अनुच्छेद के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग **लोक सभा और सभी राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव** कराएगा।
  - **विधान सभाओं का कार्यकाल:** सभी **राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ** समाप्त हो जाएगा।
- **अनुच्छेद 83 में संशोधन:** इसमें असमाप्त अवधि (Unexpired period), मध्यावधि चुनाव और आम चुनाव की परिभाषा दी गई है।
  - संशोधन के अनुसार जब **लोक सभा 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग** हो जाती है, तो लोक सभा विघटन की तिथि और पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के बीच की अवधि **‘असमाप्त अवधि’** मानी जाएगी।
  - समय से पहले लोक सभा विघटन के बाद **मध्यावधि चुनाव** होंगे। इस चुनाव से जिस नई लोक सभा का गठन होगा उसका कार्यकाल केवल **‘असमाप्त अवधि’** के लिए होगा।
- **अनुच्छेद 172 में संशोधन:** यह नया प्रावधान **राज्य विधान सभाओं के लिए असमाप्त अवधि और पूर्ण कार्यकाल** को परिभाषित करता है।
- **अनुच्छेद 327 में संशोधन:** यह विधान-मंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है।

एक साथ चुनाव के बारे में

- एक साथ चुनाव को **एक राष्ट्र एक चुनाव** के रूप में भी जाना जाता है। भारत में इसका आशय **लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को एक साथ** संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी **विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान** कर सकेंगे।
  - **एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं** है कि **संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो।**
- भारत में **वर्ष 1951-52, 1957, 1962 तथा 1967** में लोक सभा और विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव हुए थे।
  - 1968-69 में राज्य विधान सभाओं और 1970 में लोक सभा के **समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित** हो गया था।

एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट्स/ आयोग

- भारत के विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट, 1999
- संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए आयोग, 2002
- संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट, 2015
- 2017 में नीति आयोग का वर्किंग पेपर

1.2. राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission: SEC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** की **कर्नाटक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट** में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोगों (SECs) का कमजोर होना स्थानीय सरकार के चुनावों में देरी का एक प्रमुख कारण है।

राज्य चुनाव आयोगों (SECs) के बारे में

- ये **स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण** हैं, जो **स्थानीय स्वशासन के निकायों,** जैसे- पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) आदि के **चुनावों के लिए उत्तरदायी** होते हैं।
- **73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** में राज्य चुनाव आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है।
- इसकी सिफारिश **गाडगिल समिति** ने भी की थी।

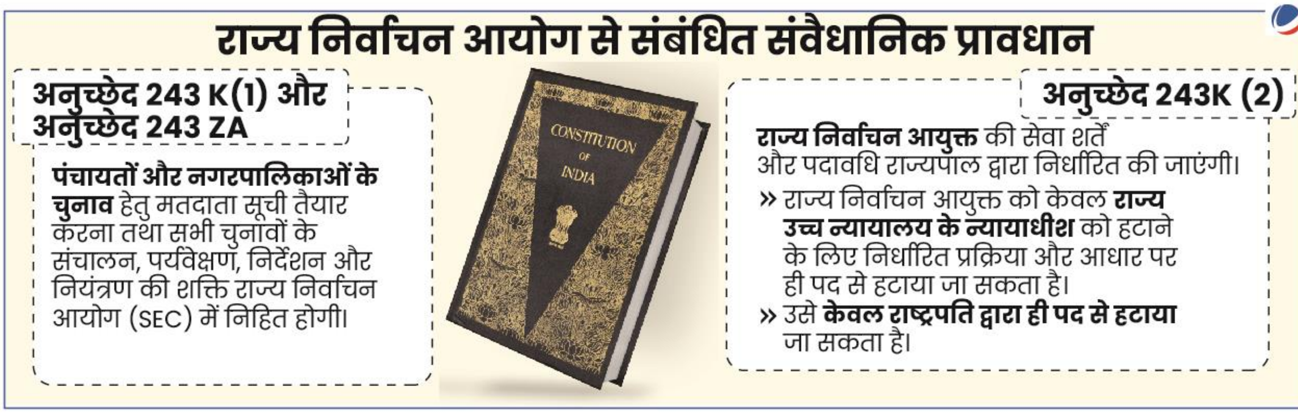

राज्य चुनाव आयोगों के कार्य

- न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय चुनावों हेतु **निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन** करना;
- स्थानीय निकाय चुनावों के लिए **मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन** की देखरेख करना;
- स्थानीय निकाय चुनावों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए **सीटों को आरक्षित करना;**
- **स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार,** इन विवादों में उम्मीदवारों की अयोग्यता के मामले भी शामिल हैं;
- स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन से संबंधित मामलों पर **राज्यपाल को सलाह देना;** आदि।

1.3. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

किशोरचंद्र छगनलाल राठौड़ मामले (2024) में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर **संवैधानिक न्यायालयों को उन आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है।**

परिसीमन के बारे में

- यह **लोक सभा और विधान सभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं** तय करने की प्रक्रिया है।
- परिसीमन कार्य की जिम्मेदारी उच्च-अधिकार प्राप्त संस्था को सौंपी जाती है। इस संस्था को **परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)** या सीमा आयोग कहा जाता है।
  - संविधान के **अनुच्छेद 82** के अनुसार परिसीमन का कार्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाता है, जिसे संसद कानून के माध्यम से निर्धारित करे।
  - भारत में परिसीमन आयोगों का गठन **4 बार (1952, 1963, 1973 और 2002)** किया गया है।
  - यह एक **सांविधिक निकाय है।**
- परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं और उन्हें किसी भी **न्यायालय में चुनौती नहीं** दी जा सकती।
- इसके आदेशों की प्रतियां संबंधित लोक सभा और राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार के **संशोधन की अनुमति नहीं** है।

© Vision IAS

1.4. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन-वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (EVM-VVPAT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग और अन्य वाद (2024) में सुप्रीम कोर्ट ने EVM में डाले गए वोट के साथ VVPAT पर्ची के 100% क्रॉस-सत्यापन कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

EVM-VVPAT के बारे में

- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)** एक **पोर्टेबल माइक्रोकंट्रोलर-आधारित उपकरण** है। इसे चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - इसे भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने **इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** और **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** के साथ मिलकर विकसित किया है।
        - भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) **रक्षा मंत्रालय** के तहत कार्य करती है।
        - इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड **परमाणु ऊर्जा विभाग** के तहत कार्य करती है।
    - 2017 में गोवा विधान सभा चुनाव के दौरान **पहली बार सभी EVMs के साथ VVPATs का उपयोग** किया गया था।
    - **2019** के लोक सभा चुनावों में **VVPATs को पहली बार पूरी तरह से उपयोग में लाया** गया था।

- **EVM में निम्नलिखित 3 यूनिट्स शामिल होती हैं:**
    - **बैलेटिंग यूनिट:** इसका उपयोग **वोट डालने** के लिए किया जाता है। यह **16 बटन** वाले कीबोर्ड की तरह कार्य करती है।
    - **कंट्रोल यूनिट:** इसे **मास्टर यूनिट** भी कहा जाता है। यह **मतदान/ पीठासीन अधिकारी** के पास रहती है।
    - **वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT):** यह EVM का ही एक घटक है। यह मशीन सत्यापित करती है कि मतदाता का वोट उसी उम्मीदवार को गया है, जिसे उसने वोट दिया है।
        - इसे **मतदान प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने** और EVMs का उपयोग करके मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करके मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए लाया गया था।

1.5. आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct: MCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक रूप से उपयोग करने के निर्देश** जारी किए थे। ये निर्देश लोक सभा चुनावों के दौरान **आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें मिलने** के बाद जारी किए गए थे।

आदर्श आचार संहिता (MCC) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी शुरुआत सबसे पहले **1960 में केरल के राज्य विधान सभा चुनावों** में की गई थी।
- **प्रकृति:** यह राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित **दिशा-निर्देशों का एक सेट** है। इसे **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव** सुनिश्चित करने के लिए **राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने** हेतु जारी किया जाता है।
    - भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के **अनुच्छेद 324** से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। इस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग को **संसद, राज्य विधान-मंडलों** और **राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति** पदों के चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी एवं शक्ति प्रदान की गई है।
    - हालांकि, **संविधान में MCC के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं** किया गया है।
- **MCC किन पर लागू होती है:** यह सभी राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों एवं पोलिंग एजेंट्स, सत्तारूढ़ सरकार और सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।

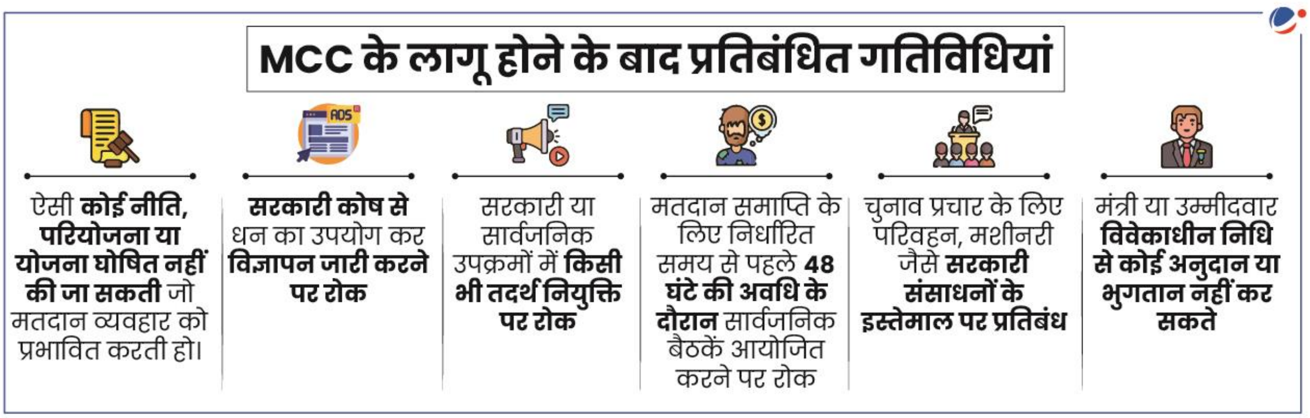

- **MCC लागू रहने की अवधि:** यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक लागू रहती है। उल्लेखनीय है कि इस अवधि को **पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट** ने **हरबंस सिंह जलाल बनाम भारत संघ और अन्य वाद (1997)** में सही ठहराया था।
- **उल्लंघन के परिणाम:** इस संहिता का कोई **कानूनी आधार नहीं** है। साथ ही, इनका उल्लंघन करने पर दंडात्मक उपायों की भी कमी है। इससे MCC को प्रभावी तरीके से लागू करने में समस्या आती है।

© Vision IAS

- हालांकि, कुछ प्रावधान **भारतीय नागरिक संहिता** और **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951** जैसे कानूनों में दिए गए प्रावधानों के माध्यम से भी लागू किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए-
  - किसी उम्मीदवार के **चरित्र, व्यवहार के बारे में झूठे बयान** प्रकाशित करने के खिलाफ **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(4)** के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
  - भारतीय न्याय संहिता की **धारा 172** के अंतर्गत **मतदाता पहचान संबंधी जालसाजी या प्रतिरूपण (Impersonation) एक चुनावी अपराध** है।

1.6. लोक सभा चुनाव (Lok Sabha Elections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 2024 के लोक सभा चुनाव संपन्न हुए।

लोक सभा चुनाव के बारे में

- **चुनाव प्रणाली:** लोक सभा के सदस्यों का चुनाव **प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली** के अंतर्गत होता है। इसके तहत **लोक सभा का प्रत्येक सदस्य एक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व** करता है, जिसे **निर्वाचन क्षेत्र** कहा जाता है।
  - प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से **केवल एक प्रतिनिधि चुना** जाता है। इसलिए ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को **एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र** के रूप में जाना जाता है।
  - इस प्रणाली में, **जिस उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त होता है, उसे निर्वाचित** घोषित किया जाता है।
- **लोक सभा की अवधि:** आम चुनावों के बाद **निर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक की तारीख से सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष** का होता है। इसके बाद लोक सभा स्वतः ही भंग हो जाती है।
  - हालांकि, **राष्ट्रपति को पांच वर्ष पूरे होने से पहले किसी भी समय लोक सभा को भंग** करने का अधिकार प्राप्त है और उसके इस अधिकार को **किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं** दी जा सकती है।
  - **लोक सभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के कानून द्वारा एक बार में एक साल के लिए बढ़ाया** जा सकता है। हालांकि, आपातकाल खत्म होने के बाद **इसे छह महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया** जा सकता।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भाग XV में शामिल **अनुच्छेद 324 से 329**, लोक सभा चुनावों के प्रावधानों से संबंधित हैं।

1.7. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

1.7.1. अनुच्छेद 329(b) {Article 329(B)}

हाल ही में, निर्वाचन आयोग ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में संविधान के **अनुच्छेद 329(b)** का उपयोग किया। आयोग ने मतदान प्रक्रिया में **न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने** के लिए इस अनुच्छेद का सहारा लिया है।

- **अनुच्छेद 329(b)** के अनुसार, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान-मंडल के किसी सदन के लिए होने वाले चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका उसी प्राधिकरण के समक्ष, उस प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसका प्रावधान समुचित विधायिका द्वारा बनाए गए कानून या उसके अधीन निर्धारित किया गया हो।
- **पोन्नुसामी निर्णय बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र और अन्य वाद (1952)** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि **भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर चुनावों की घोषणा कर दिए जाने के बाद कोर्ट निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं** कर सकता।
- इसके अलावा, **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) की धारा 80** के अनुसार, **चुनाव याचिका** दायर किए बिना किसी भी चुनाव की वैधता को चुनौती या उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
  - चुनाव याचिकाएं संबंधित राज्य के **उच्च न्यायालय में दायर** की जाती हैं। ऐसी याचिकाओं पर **उच्च न्यायालयों का मूल क्षेत्राधिकार** होता है।
  - इनसे जुड़ी अपीलें **भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर** की जाती हैं।
  - चुनाव याचिका किसी भी **उम्मीदवार** या चुनाव से संबंधित किसी **निर्वाचक द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर** की जा सकती है।
    - **निर्वाचक का अर्थ** उस व्यक्ति से है जो उस चुनाव में मतदान करने का हकदार था, जिससे चुनाव याचिका संबंधित है।

1.7.2. चुनाव में नामांकन (Nomination in Election)

हाल ही में, एक उम्मीदवार को **लोक सभा के लिए निर्विरोध चुन** लिया गया, क्योंकि विरोधी उम्मीदवार का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी ने खारिज कर दिया था।

- **चुनाव में नामांकन के बारे में**
  - **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951** की **धारा 33** में **वैध नामांकन** के लिए आवश्यक शर्तों को परिभाषित किया गया है।
  - **किसी निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने के लिए-**
    - **मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार का एक प्रस्तावक (Proposer)** होना चाहिए;
    - **निर्दलीय एवं गैर-मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के दस प्रस्तावक** होने चाहिए;
    - प्रस्तावक उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के **मतदाता** होने चाहिए; आदि।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 33:** इसमें नामांकन पत्रों की प्रस्तुति और वैध जानकारी देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
  - सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उन मामलों में "**निजता का अधिकार**" है, जिनका **मतदाताओं से कोई सीधा सरोकार** नहीं है या जिन मामलों का **उम्मीदवारों के सार्वजनिक जीवन की भूमिका से कोई लेना-देना नहीं** है।
- **RPA, 1951 की धारा 36:** इसमें नामांकन की जांच का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए विवरण में **"पर्याप्त खामी"** के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी को उस उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने का अधिकार दिया गया है।

1.7.3. पुनर्मतदान (Re-polling)

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने **मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश** के विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोक सभा आम चुनाव के लिए पुनर्मतदान कराया।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत पुनर्मतदान से संबंधित प्रावधान

- **वे परिस्थितियां, जिनके तहत पुनर्मतदान की आवश्यकता होती है-**
  - प्राकृतिक आपदा, हिंसा आदि;
  - वोटिंग मशीनों के क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने के कारण;
  - बूथ कैप्चरिंग के कारण चुनाव रद्द कर दिया जाना;
  - मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (राष्ट्रीय दल/ क्षेत्रीय दल) के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण; आदि।

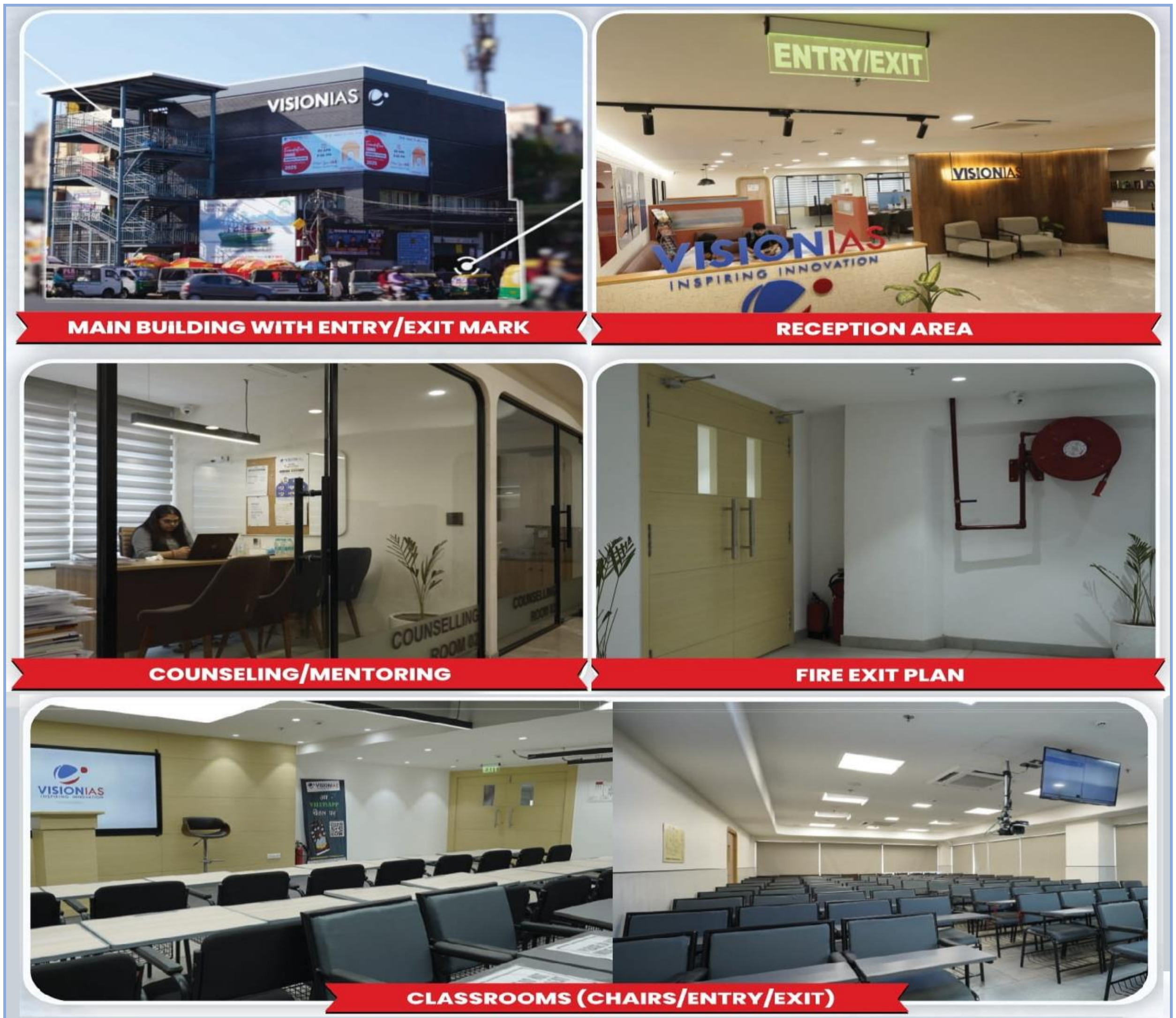

क्लासरूम प्रोग्राम : Vision IAS तैयारी के विभिन्न चरणों में सहायता और मार्गदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है :
- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा): लगभग 12–14 महीने में सम्पूर्ण सिलेबस कवरेज
- CSAT क्लासेज
- करेंट अफेयर्स क्लासेज– मासिक करेंट अफेयर्स रिवीजन, PT365, Mains365
- निबंध लेखन
- एथिक्स (Ethics)– एथिक्स क्रैश कोर्स, एथिक्स केस स्टडीज
- GS मेंस एडवांस कोर्स

1.7.4. साइलेंस पीरियड (Silence Period)

लोक सभा चुनाव के तहत राज्यों में किसी चरण में मतदान दिवस के 48 घंटे पहले **साइलेंस पीरियड** लागू किया जाता है।

साइलेंस पीरियड के बारे में

- **साइलेंस पीरियड** वास्तव में मतदान के दिन से कुछ समय पहले **चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध** है।
- साइलेंस पीरियड **मतदान के दिन से 48 घंटे पहले** शुरू होता है और मतदान समाप्त होने के बाद खत्म होता है।
    - वैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में **साइलेंस पीरियड पद का उल्लेख नहीं** किया गया है।
- **साइलेंस पीरियड के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत कुछ प्रतिबंध निम्नलिखित हैं:**
    - **धारा 126(1)** टेलीविजन या इसी तरह के अन्य डिवाइस का उपयोग करके किसी भी प्रकार के **चुनाव प्रचार,** या किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम (जैसे संगीत कार्यक्रम) के माध्यम से **चुनाव प्रचार-प्रसार पर रोक** लगाती है।
    - **धारा 126A** एग्जिट पोल आयोजित करने और **प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके** एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगाती है।
    - **धारा 126(1)(b)** इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव से संबंधित कोई भी **ओपिनियन पोल प्रदर्शित करने पर रोक** लगाती है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। VisionIAS पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए Vision IAS के Innovative Assessment System™ द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (GS Mains) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- CSAT टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (Open Test)
- Abhyaas– Abhyaas Prelims & Mains

मेंटरिंग कार्यक्रम – UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडेमिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए Vision IAS प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (Daksha): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (Lakshya): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए Vision IAS द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- PT 365
- Mains 365

स्टडी मैटेरियल– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए Vision IAS द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- PT 365 एवं Mains 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (PYQs) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर Vision IAS द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

1.7.5. एक उम्मीदवार, अनेक निर्वाचन क्षेत्र (One Candidate, Multiple Constituencies: OCMC)

संविधान ने **संसद को चुनाव आयोजित करने के तरीके को विनियमित** करने का अधिकार दिया है। इसलिए, किसी उम्मीदवार द्वारा **'अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने'** से संबंधित प्रावधान **'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951'** में किए गए हैं।

- अधिनियम के तहत, **1996 तक किसी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं** थी।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत 'एक उम्मीदवार, अनेक निर्वाचन क्षेत्र' (OCMC) से संबंधित प्रावधान

- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उपधारा 33(7):** यह एक उम्मीदवार को अधिकतम **दो सीटों** से चुनाव लड़ने की अनुमति देती है।
    - इस उपधारा को **1996 में संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम में जोड़ा** गया था। इससे पहले उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने हेतु निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 70:** इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई उम्मीदवार एक से अधिक सीटों से निर्वाचित हो जाता है, तो उसे एक सीट को छोड़कर दूसरे सीट से त्याग-पत्र देना होगा।
    - इस प्रकार, यदि कोई उम्मीदवार दो सीटों से जीतता है, तो उसके द्वारा रिक्त की गई सीट पर उपचुनाव आवश्यक है।

1.7.6. होम वोटिंग (Home Voting)

भारतीय निर्वाचन आयोग ने **2024 के आम चुनावों में पहली बार 'होम वोटिंग' की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की।** आयोग का यह कदम उसके आदर्श वाक्य **'कोई भी मतदाता पीछे न छूटे'** के अनुरूप है।

होम वोटिंग सुविधा के बारे में

- इस सुविधा के अंतर्गत, **मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में मतदाता के घर से मतदान कराया** जाएगा। इस दौरान **मतदान की गोपनीयता** का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
- **लाभार्थी:**
  - **40% बेंचमार्क (संदर्भित) दिव्यांगता के तहत आने वाले दिव्यांग व्यक्ति (PwD);** तथा
  - **85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।**
- **मतदान को समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए अन्य कदम:**
  - आयोग ने **जम्मू और उधमपुर** में रहने वाले कश्मीरी विस्थापितों के लिए **फॉर्म-एम की बोझिल प्रक्रिया को समाप्त** कर दिया है। इससे उन्हें मतदान करने में आसानी होगी।
  - आयोग ने **SVEEP**[1] में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने का फैसला किया है। साथ ही, आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के मित्रों, परिवारों, मतदान अधिकारियों आदि को भी संवेदनशील बनाया जाएगा।
  - **प्रस्तावित बहु-निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM):** यह प्रवासी मतदाताओं को उनके मौजूदा निवास स्थान से अपने मत का प्रयोग करने में सक्षम बनाएगी।
  - **डाक मतपत्र:** यह **डाक द्वारा मत भेजने की अनुमति** देता है। **निम्नलिखित व्यक्ति डाक द्वारा मतदान करने के पात्र हैं:**
    - **विशेष मतदाता;**
    - **सेवा मतदाता;**
    - **इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात मतदाता;** और
    - **मतदाता जो प्रिवेंटिव डिटेंशन** के अधीन हैं।
  - **प्रॉक्सी वोटिंग:** इसके तहत **पंजीकृत निर्वाचक अपने मतदान का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को सौंप** सकता है। यह सुविधा केवल **सेवा मतदाताओं** के लिए ही उपलब्ध है।

1.7.7. फॉर्म 17C (Form 17C)

निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्टीकरण दिया है कि निर्वाचन नियम **फॉर्म 17C के डेटा को मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अन्य संस्था के साथ साझा करने की अनुमति नहीं** देते हैं।

[1] Systematic Voter's Education and Electoral Participation)/ स्वीप (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी)

© Vision IAS

फॉर्म 17C के बारे में

- फॉर्म 17C निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के तहत निर्देशों के साथ संबद्ध है।
- **इसका प्रथम भाग निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान करता है-**
    - एक मतदान केंद्र के लिए निर्धारित पात्र मतदाताओं की जानकारी;
    - मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचकों की संख्या के बारे में जानकारी;
    - ऐसे मतदाता, जिन्होंने अपने मतदान अधिकार का उपयोग न करने का निर्णय लिया है;
    - ऐसे मतदाता, जिन्हें मत देने की अनुमति नहीं दी गई है आदि।
- **इसके दूसरे भाग में निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:**
    - प्रत्याशी का नाम; तथा
    - प्रत्याशियों को प्राप्त कुल मत।

1.7.8. ब्रेल साइनेज (Braille signage)

पुडुचेरी का निर्वाचन विभाग इस केंद्र शासित प्रदेश के **सभी 967 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में अंग्रेजी और तमिल में ब्रेल साइनेज** प्रदान करेगा।

- यह कदम **दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन मतदाताओं को स्वतंत्र और गोपनीय रूप से मताधिकार का उपयोग** करने में मदद करेगा।
- हालांकि, यदि ऐसे मतदाता चाहें, तो अपने साथ सहायता के लिए एक व्यक्ति को ला सकते हैं। इसके लिए **निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 49N** में प्रावधान किया गया है।

2. संसद, राज्य विधान-मंडल/ स्थानीय सरकार की कार्य-प्रणाली (Functioning of Parliament, State Legislature/ Local Government)

2.1. आंतरिक आपातकाल (Internal Emergency)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2024 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के **50 वर्ष पूरे** हुए हैं। ज्ञातव्य है कि **25 जून, 1975** को **आंतरिक आपातकाल** की घोषणा की गई थी।

आपातकाल क्या है?

- भारत में आपातकाल के दौरान ज्यादातर **मौलिक अधिकारों को निलंबित** कर दिया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान **जर्मनी के वाइमर संविधान** से लिया गया है।
- भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान संविधान के **भाग XVIII के तहत अनुच्छेद 352 से 360** में उल्लिखित हैं।
- इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे का औचित्य देश की **संप्रभुता, एकता, अखंडता व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा** करना है।

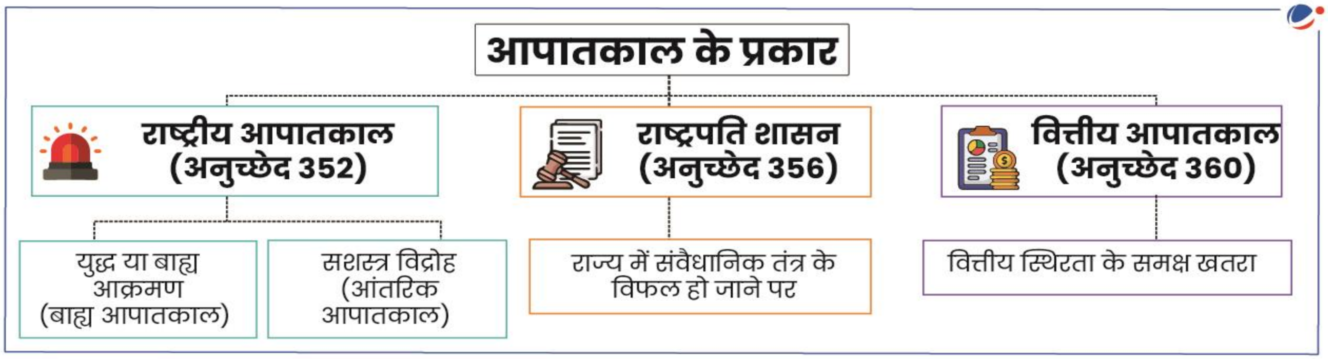

आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया

- **अनुमोदन:**
  - आपातकाल की उद्घोषणा को **1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित** होना आवश्यक है।
  - **अवधि:** राष्ट्रीय आपातकाल, उद्घोषणा जारी होने की तिथि से **6 महीनों** तक लागू रहता है। इसे संसद के **दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से अगले 6 महीनों के लिए और बढ़ाया** जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपातकाल को **अनिश्चित समय तक बढ़ाया** जा सकता है। इस प्रावधान को **44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978** द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
  - आपातकाल को मंजूरी देने या जारी रखने का संकल्प प्रत्येक सदन में **विशेष बहुमत** द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
    - **विशेष बहुमत-** कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत।
  - **विशेष परिस्थिति:** यदि **छः माह की अवधि के दौरान लोक सभा भंग** हो जाती है और आपातकाल की स्थिति को आगे जारी रखने की मंजूरी नहीं मिल पाती है, तो इस उद्घोषणा की वैधता **लोक सभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिनों तक** बनी रहती है, बशर्ते कि इस बीच **राज्य सभा ने इसे जारी रखने की मंजूरी** दे दी हो।
- **आपातकाल का निरसन (Revocation)**
  - **राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती उद्घोषणा के माध्यम से** आपातकाल संबंधी उद्घोषणा को रद्द कर सकता है। इसके लिए **संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं** होती है।
  - आपातकाल की उद्घोषणा को जारी रखने की अस्वीकृति से संबंधित प्रत्येक संकल्प को **लोक सभा द्वारा 'साधारण बहुमत' से अनुमोदन** प्राप्त होना आवश्यक है।

© Vision IAS

आंतरिक आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तन

- **लिखित अनुमोदन:** आपातकाल की घोषणा केवल **मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह** के आधार पर ही की जा सकती है।
- **मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 359** का दायरा सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि **अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 20)** तथा **प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 21)** आपातकाल के दौरान लागू रहेंगे।
- **लोक सभा का कार्यकाल:** अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके **लोक सभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर वापस 5 वर्ष** कर दिया गया।
- **अनुच्छेद 275A को हटाना:** यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल या किसी अन्य बल को तैनात करने की शक्ति प्रदान करता था।
- **न्यायिक समीक्षा:** राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या उससे जुड़े सभी संशयों और विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी तथा उनका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा।

2.2. दल-बदल रोधी कानून (Anti-Defection Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने **10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका खारिज** कर दी।

दल-बदल रोधी कानून के बारे में

- दल-बदल रोधी कानून में उन **विधि निर्माताओं को अयोग्य ठहराने** का प्रावधान किया गया है, जो अपने राजनीतिक दल की टिकट पर निर्वाचित होने के बाद "स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देते हैं"।
  - इसे **52वें संशोधन अधिनियम, 1985** के माध्यम से **10वीं अनुसूची** में शामिल किया गया था।
  - दल-बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का **निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी** करता है।
- **अयोग्यता के आधार: निम्नलिखित आधार पर सदस्यता समाप्त हो जाती है-**
  - यदि कोई सदस्य
    - **स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है।**
    - सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी **निर्देश के विपरीत** और दल की पूर्व **अनुमति प्राप्त किए बिना** मतदान करता है या **मतदान से अनुपस्थित** रहता है और इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा **15 दिनों के भीतर माफ** नहीं किया जाता है।
  - यदि कोई **निर्दलीय सदस्य** चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो जाता है।
  - कोई **मनोनीत सदस्य** यदि सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वह अयोग्य घोषित हो जाता है।
- **दल-बदल कानून के अपवाद:** दल-बदल कानून किसी राजनीतिक दल को **किसी अन्य दल में** या **उसके साथ विलय** करने की अनुमति देता है बशर्ते कि उसके कम से कम **दो-तिहाई विधायक विलय के पक्ष में** हों।
  - यदि कोई व्यक्ति **लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति** के रूप में चुना जाता है, तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। पद छोड़ने के बाद वह फिर से उस दल में शामिल हो सकता है।
- वर्तमान में, पीठासीन अधिकारियों के लिए दल-बदल विरोधी मामले पर निर्णय लेने की **समय-सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून मौजूद नहीं** है।

दसवीं अनुसूची के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिलु, 1992: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दल-बदल विरोधी कानून के तहत **अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।**

कीशम मेघचंद्र सिंह वाद, 2020: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा तीन महीने के भीतर निर्णय** लिया जाना चाहिए।

2.3. आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में कई विशेषज्ञों ने लोक सभा और राज्य विधान सभा चुनावों के लिए फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) चुनावी प्रणाली के स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) पर विचार करने का मत प्रकट किया है।

फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालियों के बीच अंतर

मापदंड	फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (साधारण बहुमत प्रणाली)	आनुपातिक प्रतिनिधित्व
भौगोलिक इकाई	• देश को **छोटी भौगोलिक इकाइयों** में विभाजित किया जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है।	• **बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में सीमांकित** किया जाता है। पूरा देश ही एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है।
प्रतिनिधित्व	• प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है।	• एक **निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि** चुने जा सकते हैं।
मतदान प्रक्रिया	• मतदाता किसी भी **उम्मीदवार** को मत दे सकते हैं।	• मतदाता किसी भी **दल** को वोट दे सकते हैं।
सीट वितरण	• किसी दल को **विधायिका में वोटों की तुलना में अधिक सीटें मिल** सकती हैं। • जीतने वाले उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि बहुमत (50%+1) में वोट मिले।	• प्रत्येक दल को **प्राप्त वोटों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती** हैं।
उदाहरण	• **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, भारत** (लोक सभा और राज्य विधान सभाएं)।	• **इजरायल, नीदरलैंड** आदि।
लाभ	• आम मतदाताओं के लिए **समझना आसान है।** • एक **स्थिर सरकार के गठन** को सुगम बनाती है। • किसी इलाके में चुनाव जीतने के लिए **अलग-अलग सामाजिक समूहों के मतदाताओं को एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित** करती है।	• **सभी दलों का उनके वोट शेयर के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित** करती है। • **अल्पसंख्यक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों** के साथ निष्पक्ष व्यवहार करती है। • **कम वोट बर्बाद होते हैं,** क्योंकि अधिक लोगों की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है।
चिंताएं	• राजनीतिक दलों का उनके **वोट शेयर की तुलना में अधिक या कम प्रतिनिधित्व।** • अल्पसंख्यकों (छोटे समूहों)/ छोटे दलों के लिए **पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं** करती है।	• कई छोटे दलों के साथ **खंडित विधायिका को जन्म** दे सकती है। • संसदीय लोकतंत्र में **कम स्थिर गठबंधन सरकारें** हो सकती हैं।

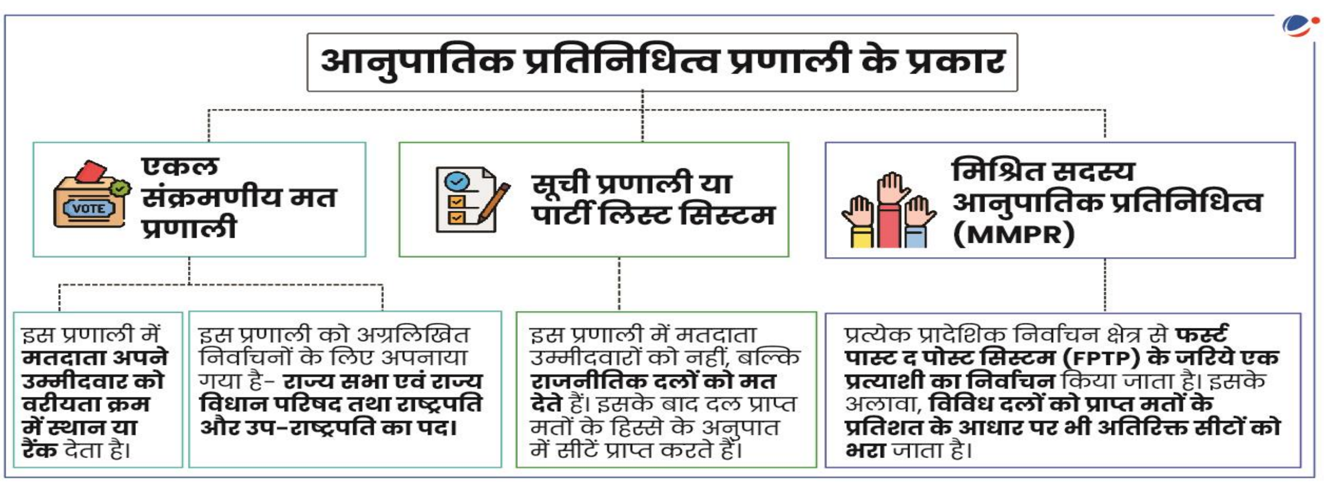

2.4. संसदीय समितियां (Parliamentary Committees)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लोक लेखा समिति (PAC) और प्राक्कलन समिति (EC) के पुनर्गठन के लिए लोक सभा में प्रस्ताव पेश किए गए।

संसदीय समितियों के बारे में

- **इसका तात्पर्य ऐसी समिति से है-**
  - जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती है; या
  - अध्यक्ष द्वारा नामित होती है; और
  - जो अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है।
- ये सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं और इन समितियों के लिए सचिवालयी सहायता की व्यवस्था लोक सभा सचिवालय द्वारा की जाती है।
- संसदीय समितियों का इतिहास ब्रिटिश संसद से जुड़ा है।
  - ये समितियां अपना प्राधिकार **अनुच्छेद 105** और **अनुच्छेद 118** से प्राप्त करती हैं।
    - **अनुच्छेद 105:** सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित।
    - **अनुच्छेद 118:** संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।

हाल ही में सुर्ख़ियों रही समितियों का विवरण	
लोक लेखा समिति	• इसका गठन **पहली बार 1921 में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार** के आलोक में किया गया था। • इसमें **22 सदस्य** होते हैं। इसके **15 सदस्य लोक सभा** से और **7 सदस्य राज्य सभा** से होते हैं। • **कार्य:** भारत सरकार के **राजस्व और व्यय का लेखा-परीक्षण** करना।
प्राक्कलन समिति	• इसे **पहली बार 1950 में गठित** किया गया था। इसमें **लोक सभा के 30 सदस्य** शामिल होते हैं। • **कार्य: प्रशासन में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों** का सुझाव देना। ○ यह समिति यह जांच करती है कि **प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से आवंटित किया गया है या नहीं।**
संसदीय राजभाषा समिति (PCOL)	**केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री** को सर्वसम्मति से **संसदीय राजभाषा समिति (PCOL) का फिर से अध्यक्ष** चुना गया है। **संसदीय राजभाषा समिति (PCOL) के बारे में** • **गठन:** इसका गठन **राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अंतर्गत 1976** में किया गया था। ○ इस अधिनियम में **सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी को अपनाने** का उपबंध किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम के लागू होने के **10 वर्ष बाद राजभाषा समिति के गठन** का प्रावधान किया गया है।

	• **सदस्यता:** इस समिति में **30 सदस्य** होते हैं। इनमें से **20 लोक सभा से और 10 राज्य सभा** से होते हैं। इनका चयन **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत** के माध्यम से होता है। • **कार्य:** संघ के **राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा** करना तथा **राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिशें** प्रस्तुत करना।

राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति	राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए **12 विपक्षी सांसदों को कदाचार का दोषी** पाया है।
	राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति के बारे में
	• यह संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच और इससे जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार है।
	  ○ संसदीय विशेषाधिकार वास्तव में **संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों** को अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए दिए गए **कुछ विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां** हैं।
	• इस समिति में **10 सदस्य** होते हैं। उन्हें **राज्य सभा का सभापति नामित** करता है।
	  ○ वहीं **लोक सभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य** होते हैं। उन्हें **लोक सभा का अध्यक्ष नामित** करता है।
	• **राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष** राज्य सभा के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। उसकी **नियुक्ति सभापति** द्वारा की जाती है।

कैबिनेट समितियां	केंद्र सरकार ने **8 कैबिनेट समितियों** का गठन किया है। **कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में** • ये समितियां **संविधानेतर (Extra-constitutional)** प्रकृति की होती हैं, यानी संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। ये समितियां **भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961** के तहत गठित की जाती हैं। • कैबिनेट विशिष्ट क्षेत्रों में निर्णय लेने में मदद के लिए **समिति प्रणाली** का उपयोग करती है। • **राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति** और **नियुक्ति समिति** की अध्यक्षता **प्रधान मंत्री** द्वारा की जाती है तथा **संसदीय मामलों की समिति** की अध्यक्षता **गृह मंत्री** द्वारा की जाती है। • इनमें आमतौर पर केवल **कैबिनेट मंत्री** ही शामिल होते हैं। हालांकि, **गैर-कैबिनेट मंत्रियों को सदस्यता से नहीं रोका** जाता है।

2.5. संसद का सचिवालय (Secretariat of the Parliament)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान संसदीय सचिवालय दोनों सदनों (राज्य सभा और लोक सभा) की प्रक्रियाओं, परंपराओं और विधायी ज्ञान का संरक्षक रहा है।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 98:** संसद के प्रत्येक सदन का **अलग सचिवालयी स्टाफ** होगा।
  - **संसद,** कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालयी कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकती है।
    - हालांकि, अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है।
  - यह अनुच्छेद संसद के **दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन** की भी अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 187:** इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान मंडलों के सचिवालय के लिए अनुच्छेद 98 के समान ही प्रावधान किए गए हैं।
- **राज्य सभा और लोक सभा 1952** में अस्तित्व में आई थीं।
  - हालांकि, **लोक सभा के सचिवालय को 'संसदीय सचिवालय'** ही कहा जाता रहा है। इसके विपरीत, राज्य सभा के लिए **'राज्य परिषद सचिवालय'** नामक एक नए सचिवालय का निर्माण किया गया था।
  - **वर्ष 1954 में दोनों सचिवालयों के नाम बदलकर** क्रमशः **राज्य सभा सचिवालय** और **लोक सभा सचिवालय** कर दिया गया था।
- दोनों सदनों के सचिवालयों को **कार्यात्मक आधार पर 10 सेवाओं में वर्गीकृत** किया गया है। इन 10 सेवाओं में **विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक सेवाएं, शब्दशः (Verbatim) रिपोर्टिंग सेवाएं** आदि शामिल हैं।
- **लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा सभापति** अपने-अपने सचिवालयों में **नए पद सृजित** कर सकते हैं। हालांकि, श्रेणी **I** या श्रेणी **II** के पदों के लिए **केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ पूर्व-परामर्श** करना अनिवार्य है।
- **दोनों सदनों के महासचिव** का पद भारत सरकार के **कैबिनेट सचिव के समकक्ष** है।
  - हालांकि, **वरीयता सूची** में **कैबिनेट सचिव** को **11वें** स्थान पर रखा गया है, जबकि लोक सभा/ राज्य सभा के महासचिवों को 23वें स्थान पर रखा गया है।

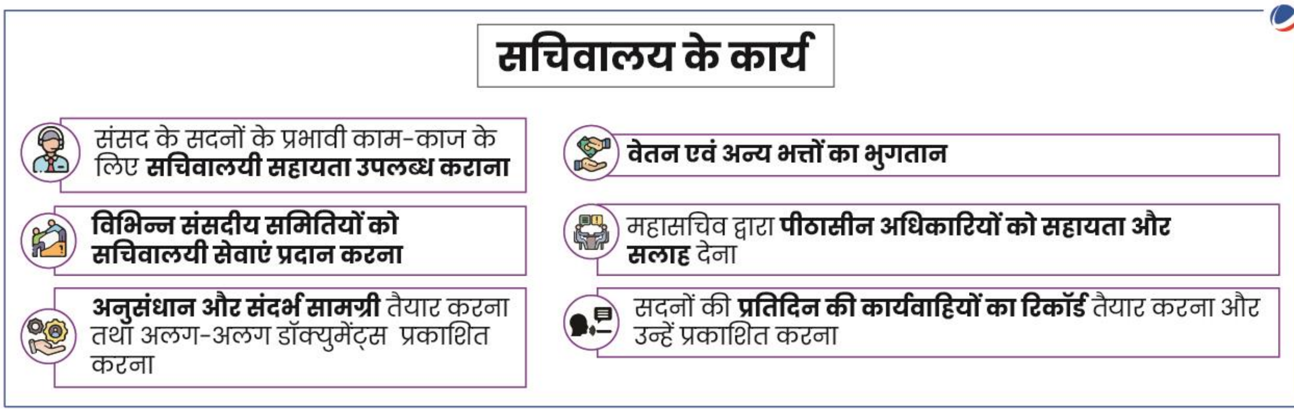

सचिवालयों की संरचना	
लोक सभा सचिवालय	**राज्य सभा सचिवालय**
• **लोक सभा अध्यक्ष:** लोक सभा सचिवालय **लोक सभा अध्यक्ष** के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। • **प्रशासनिक प्रमुख:** लोक सभा महासचिव। • **भर्ती और सेवा की शर्तें:** ये **लोक सभा सचिवालय (भर्ती और सेवा**	• **राज्य सभा सभापति:** राज्य सभा सचिवालय सभापति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। • **प्रशासनिक प्रमुख:** महासचिव। • **भर्ती और सेवा की शर्तें:** ये **राज्य सभा सचिवालय (भर्ती और सेवा**

की शर्तें) नियम, 1955 द्वारा शासित होती हैं। इन नियमों को **राष्ट्रपति** ने लोक सभा अध्यक्ष के परामर्श से प्रख्यापित (Promulgated) किया था।	**की शर्तें) नियम, 1957** द्वारा शासित होती हैं। इन नियमों को **राष्ट्रपति** ने राज्य सभा सभापति के परामर्श से प्रख्यापित (Promulgated) किया था।

2.6. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

2.6.1. कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary)

केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने नए कैबिनेट सचिव की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उसका **कार्यकाल** 30 अगस्त, 2024 से **दो वर्षों** का होगा।

कैबिनेट सचिव के बारे में

- इसकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा **वरिष्ठता-सह-योग्यता** के आधार पर की जाती है।
- वह **'भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियम, 1961'** और **'भारत सरकार (कार्य का संचालन) नियम, 1961'** के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है।
- **मुख्य कार्य:** केंद्रीय मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना, मंत्रालयों और विभागों के बीच मतभेदों को दूर करना आदि।
- कैबिनेट सचिव **सिविल सेवा बोर्ड (CSB) का पदेन अध्यक्ष** भी होता है।
- कैबिनेट सचिव के पास **केंद्र सरकार के विभागों के ऊपर कोई अधिकार नहीं** होता है। उसे **केंद्र सरकार के सचिवों के बीच सर्वोच्च अधिकारी** माना जाता है।

2.6.2. संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण (President's Address to Parliament)

राष्ट्रपति ने **18वीं लोक सभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक** को संबोधित किया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में

- संविधान के **अनुच्छेद 86(1)** के अनुसार राष्ट्रपति संसद के **किसी एक सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण** कर सकेगा।
    - हालांकि, संविधान के लागू होने से लेकर अभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने इस **प्रावधान के तहत अभिभाषण नहीं** किया है।
- **संविधान के अनुच्छेद 87** में ऐसे दो अवसर दिए गए हैं, जब **राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विशेष अभिभाषण** देता है। **ये दो अवसर हैं:**
    - प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में; तथा
    - प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में।
- **मूल संविधान में, अनुच्छेद 87(1)** के तहत प्रत्येक सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान था।
    - **प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951** के द्वारा इस प्रावधान में **संशोधन** किया गया था।

2.6.3. संसद सदस्यों की शपथ (Oath of Members of Parliament)

18वीं लोक सभा के गठन के लिए नवनिर्वाचित सांसदों (MPs) को शपथ दिलाई गई।

शपथ से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- संविधान का **अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित** है।
    - इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले **राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त व्यक्ति** के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।
    - शपथ के प्रारूप **संविधान की तीसरी अनुसूची** में दिए गए हैं।

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI © Vision IAS

- यदि कोई सदस्य शपथ लिए बिना सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है, तो उसके लिए **अनुच्छेद 104 में दंड का प्रावधान** किया गया है।
    - **इस नियम का अपवाद:** कोई व्यक्ति संसद के लिए चुने बिना भी मंत्री बन सकता है, हालांकि **छह महीनों** के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना पड़ता है।
- शपथ **अंग्रेजी में या संविधान में अनुसूचित 22 भाषाओं** में से किसी में भी ली जा सकती है।

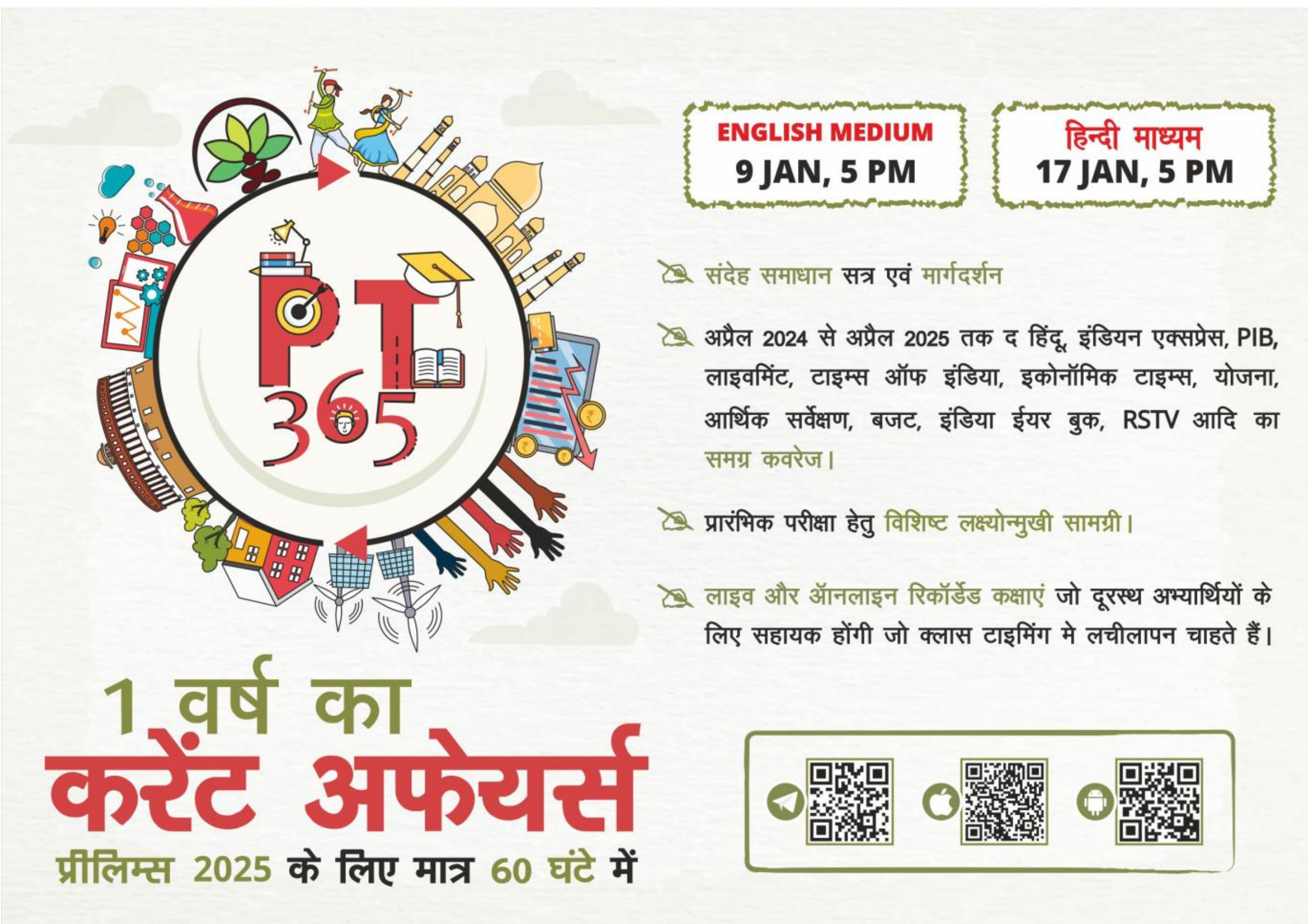

3. संविधान से संबंधित मुद्दे (Issues Related to Constitution)

3.1. नागरिकता (Citizenship)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम,1955 की 'धारा 6A' की वैधता को बरकरार रखा।

नागरिकता अधिनियम, 1955 के बारे में

- **इसमें नागरिकता प्राप्त करने के निम्नलिखित पांच तरीके बताए गए हैं:**
  - **जन्म (Birth)** से नागरिकता,
  - **वंशानुक्रम यानी वंश (Descent)** के आधार पर नागरिकता,
  - **देशीयकरण (Naturalization)** द्वारा नागरिकता,
  - **रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण (Registration)** द्वारा नागरिकता,
  - **किसी राज्यक्षेत्र का भारत का भाग बन जाने से** (Acquisition of territory) नागरिकता, आदि।
- इसमें **दोहरी नागरिकता** का प्रावधान **नहीं** है।
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान** आदि देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है।
- **'धारा 6A' नागरिकता अधिनियम, 1955 का एक विशेष प्रावधान** है। इसे **वर्ष 1985 में केंद्र सरकार** और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित **"असम समझौते"** के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1985 के जरिए शामिल किया गया था।
  - इस धारा के तहत, **1 जनवरी, 1966** से **24 मार्च, 1971** के बीच पूर्वी पाकिस्तान (यानी वर्तमान बांग्लादेश) से असम में आकर बसे सभी व्यक्तियों को **विदेशी घोषित किए जाने की तारीख से दस वर्ष बाद** भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था।
- **नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019** नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है।

संबंधित सुर्ख़ियां

विदेशी विषयक अधिकरण (Foreigners Tribunals)

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **असम** के रहने वाले एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित किया है। इससे पहले इस व्यक्ति को राज्य के **विदेशी विषयक अधिकरण** ने विदेशी करार दिया था।
- **स्थापना:** ये **अर्ध-न्यायिक निकाय** हैं। इन्हें **विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3** के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा **विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964** के तहत स्थापित किया गया है।
  - **अधिकार क्षेत्र:** भारत में केवल विदेशी विषयक अधिकरणों के पास ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है।
  - इसका अर्थ है कि असम के **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)** में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होने भर से वह स्वतः विदेशी नागरिक नहीं हो जाता है।
  - **शक्ति:** इसके पास **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के तहत एक सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं।

3.1.1. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 {Citizenship (Amendment) Rules, 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय ने **नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन** किया है और **नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024** को अधिसूचित किया है। ऐसा **नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)[2], 2019 को लागू** करने के उद्देश्य से किया गया है।

[2] Citizenship Amendment Act

© Vision IAS

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

पात्रता	• पंजीकरण/ देशीयकरण के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है: ○ **भारतीय मूल** का व्यक्ति, ○ किसी भारतीय नागरिक से **शादी करने वाली महिला या पुरुष,** ○ भारतीय नागरिक की **नाबालिग संतान,** ○ वह व्यक्ति जिसके **माता-पिता भारतीय नागरिक** के रूप में पंजीकृत हैं, ○ वह व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई एक **स्वतंत्र भारत की/ का नागरिक** रही/ रहा है, ○ **OCI कार्डधारक** के रूप में पंजीकृत व्यक्ति।
देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए अन्य पात्रताएं	• नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन में दिए गए **विवरण की सत्यता को प्रमाणित करने वाला एक शपथ-पत्र** दाखिल करना होगा। साथ ही, उस आवेदक के चरित्र की गवाही देने के लिए **किसी भारतीय नागरिक द्वारा एक शपथ-पत्र प्रस्तुत** करना होगा। • आवेदक को भारतीय संविधान की **आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान** होना चाहिए।
राष्ट्रीयता का प्रमाण	• नियमों में मूल देश को साबित करने के लिए **दस्तावेजों की आवश्यकता में छूट** दी गई है। आवेदक अब भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में **20 अलग-अलग दस्तावेज** प्रस्तुत कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में **वीजा, आवासीय परमिट, जनगणना पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड** आदि शामिल हैं।
दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना	• आवेदक को एक घोषणा-पत्र भी सौंपना होगा। इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि यदि आवेदक का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंजूर हो जाता है, तो उसके **अपने देश की नागरिकता समाप्त** मानी जाएगी।
प्राधिकारी जिसके पास नागरिकता के लिए आवेदन करना है	• **नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B के तहत,** नागरिकता के लिए आवेदन **जिला स्तरीय समिति** के माध्यम से **अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee)** को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करना होगा। **जिला स्तरीय समिति** के बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के बारे में

- इस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि **जो अवैध प्रवासी निम्नलिखित चार शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा:**
  - वे **हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म** से हों;
  - वे **अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश** से आये हों; उन्होंने **31, दिसंबर 2014** को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो; तथा
  - वे संविधान की **छठी अनुसूची** में शामिल **असम, मेघालय, मिजोरम** और **त्रिपुरा** के कुछ आदिवासी क्षेत्रों या **'इनर लाइन' परमिट (अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड)** के तहत आने वाले **क्षेत्रों में नहीं आते** हों।
- केंद्र सरकार ने ऐसे प्रवासियों को **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम**[3]**, 1920** तथा **फॉरेनर्स एक्ट, 1946** और इनके तहत बनाए गए **नियमों या आदेशों** के खिलाफ दंडित करने से छूट दी है।
- उपर्युक्त प्रवासियों के लिए **देशीयकरण (Naturalisation) के जरिए नागरिकता लेने की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष** कर दी गई है।
- **ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) पंजीकरण रद्द करने के पांच आधार:** अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार कुछ दशाओं में ऐसे प्रवासियों का OCI पंजीकरण रद्द कर सकती है।

[3] Passport (Entry into India) Act

OCI को रद्द करने के पांच आधार

- **धोखाधड़ी के जरिए पंजीकरण**
- **संविधान के प्रति निष्ठा न रखना**
- युद्ध के दौरान **शत्रु के साथ संपर्क रखना**
- यदि **भारत की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा या लोकहित** को बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो
- यदि पंजीकरण के **पांच साल के भीतर, प्रवासी भारतीय नागरिक को दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई हो**

3.1.2. प्रवासी भारतीय नागरिक (Overseas Citizen of India: OCI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मंत्रालय ने **OCI कार्डधारकों को विदेशी के रूप में पुनः वर्गीकृत किए जाने संबंधी चिंताओं** को दूर करते हुए यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान OCI नियम अपरिवर्तित रहेंगे।

OCI कार्डधारक के बारे में

- OCI योजना को **2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन** करके प्रस्तुत किया गया था।
- **विदेशी सैन्य कर्मी,** चाहे वे सेवा में हों या सेवानिवृत्त, OCI प्राप्त करने के लिए **पात्र नहीं** हैं।
- 2015 में **भारतीय मूल के व्यक्ति और OCI कार्डधारकों** को एक श्रेणी **"OCI"** में मिला दिया गया था।

OCI कार्डधारकों के लिए पात्रता (पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर कोई भी विदेशी नागरिक)

- जो **26 जनवरी,1950** के समय या उसके बाद **किसी भी समय भारत का नागरिक** था
- जो **26 जनवरी, 1950** को भारत का नागरिक बनने के **योग्य** था
- जो उस क्षेत्र से संबंधित था, जो **15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया**
- जो ऐसे नागरिक का पुत्र/ पुत्री **या पौत्र/ पौत्री या परपौत्र/ परपौत्री** है
- जो ऊपर वर्णित ऐसे व्यक्तियों की **नाबालिग संतान** है
- जो **नाबालिग बच्चा** है और जिसके **माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है**
- **भारतीय नागरिक या OCI कार्डधारक का विदेशी मूल का जीवनसाथी,** जिसका विवाह आवेदन प्रस्तुत करने से कम-से-कम दो वर्ष पहले पंजीकृत हुआ हो

OCI कार्डधारकों को लाभ

- भारत यात्रा हेतु जीवन भर के लिए **बहु-प्रवेश व बहु-उद्देश्यीय वीज़ा।**
- कृषि या बागान भूमि की खरीद और भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर कुछ **वित्तीय, आर्थिक एवं शैक्षणिक मामलों में अनिवासी भारतीयों (NRIs) के साथ समानता।**
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की **धारा 5(1)(g)** के तहत OCI कार्ड धारक **5 वर्षों की अवधि पूरी करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।**
  - बशर्ते वह आवेदन करने से पहले **पिछले 5 वर्षों में से 1 वर्ष भारत में निवास** कर चुका हो।
- OCI कार्ड धारक **NRIs के समान राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में नामांकन करने के लिए पात्र हैं।**

OCI कार्ड धारकों से संबंधित प्रतिबंध

- OCI को **'दोहरी नागरिकता' के रूप में नहीं** समझा जाना चाहिए। OCI कार्ड **वोट देने के लिए राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं** करता है।
- **OCI कार्ड धारक अग्रलिखित भारतीय संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं:** राष्ट्रपति **(अनुच्छेद 58);** उपराष्ट्रपति **(अनुच्छेद 66);** उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश (**अनुच्छेद 124**) और उच्च न्यायालय (**अनुच्छेद 217**) का न्यायाधीश।

© Vision IAS

- OCI कार्ड धारक **लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा और विधान परिषद** के सदस्य बनने के लिए भी अपात्र होते हैं।
- लोक नियोजन यानी सरकारी रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के संबंध में **(अनुच्छेद 16):**
  - OCI कार्ड धारक केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुछ विशेष पदों को छोड़कर, **संघ या राज्य सरकार के किसी भी लोक सेवा पद के लिए पात्र नहीं होते हैं।**
- उन्हें देश में अनुसंधान, पर्वतारोहण, धर्म प्रचार गतिविधियों, पत्रकारिता और प्रतिबंधित/ संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए **विशेष मंजूरी की आवश्यकता** होती है।

3.2. आरक्षण और एफर्मेटिव एक्शन (Reservation and Affirmative Actions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्य अपने यहां के विश्वविद्यालय परिसरों में विविधता कार्यक्रमों को प्रतिबंधित या निषिद्ध कर रहे हैं।

एफर्मेटिव एक्शन

- एफर्मेटिव एक्शन से तात्पर्य **सकारात्मक कार्रवाई/ पक्षपात** से है। सामाजिक या नस्लीय भेदभाव का सामना करने वाले सामाजिक समूहों के लिए शिक्षा, रोजगार आदि में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एफर्मेटिव एक्शन जैसे उपाय अपनाए जाते हैं।

भारत और अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शंस की तुलना

विवरण	भारत	संयुक्त राज्य अमेरिका
संवैधानिक व्यवस्था	संविधान स्पष्ट रूप से **एफर्मेटिव एक्शन (सकारात्मक कार्रवाई)** का प्रावधान करता है।	एफर्मेटिव एक्शन की अनुमति देने के लिए **14वें संशोधन के 'समान संरक्षण खंड' की व्याख्या** की गई है।
उद्देश्य	**संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत** किया गया है। इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से जिन्हें अछूत समझा जाता था, इस आधार पर उनके साथ किए जा रहे भेदभाव को समाप्त कर दिया गया।	अल्पसंख्यक समूहों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना।
लक्षित समूह	**सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBCs) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।**	अफ्रीकी अमेरिकी, हिस्पैनिक, एशियाई अमेरिकी आदि।
प्रणाली	कोटा प्रणाली के आधार पर	विविधता, समानता और समावेशन (DEI) कार्यक्रमों पर आधारित
प्रावधान	**अनुच्छेद 15(4), 16 (4)** आदि राज्य को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। • **अनुच्छेद 15(4):** राज्य को नागरिकों के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। • **अनुच्छेद 16 (4):** राज्य को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पाने वाले नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान कर सके।	यह 1961 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से शुरू हुआ था। बाद में, इसे **कानूनी समर्थन देने के लिए 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम** लागू किया गया था।
आरक्षण के लिए ऊपरी सीमा	**इंदिरा साहनी मामले** में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा **50% की ऊपरी सीमा निर्धारित** की गई थी।	कोई ऊपरी कानूनी सीमा नहीं है।

3.2.1. अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण (Sub-Classification of Schedules Castes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य वाद (2024)** में निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियों का **उप-वर्गीकरण** भारत के संविधान के **अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4)** के तहत **स्वीकार्य** है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, राज्य अनुसूचित जाति समुदायों के भीतर **अधिक वंचित समूहों को अतिरिक्त कोटा (आरक्षण)** प्रदान करने हेतु अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- संविधान के **अनुच्छेद 341(1) के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियां** अलग-अलग स्तरों पर पिछड़ेपन वाली जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के विजातीय समूह हैं।
  - **अनुच्छेद 341(1):** भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जातियों, मूलवंशों या जनजातियों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में नामित कर सकता है।
- **अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं** करता है, क्योंकि उप-वर्गीकरण से न तो इस सूची किसी नए अनुसूचित जाति को शामिल किया जाता है और न ही इससे किसी को बाहर किया जाता है।
  - **अनुच्छेद 341(2):** संसद कानून बनाकर किसी भी जाति, मूलवंश या जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सकती है या सूची से हटा सकती है।
- **अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण का दायरा:**
  - उप-वर्गीकरण सहित इस तरह की किसी भी **सकारात्मक कार्रवाई** का मुख्य उद्देश्य पिछड़े श्रेणियों के लिए **अवसर की मौलिक समानता** प्रदान करना है।
    - **मौलिक समानता (Substantive equality)** के सिद्धांत के अनुसार, कानून को व्यक्तियों या उनके समूहों की अलग-अलग पृष्ठभूमियों और ऐतिहासिक अन्यायों को ध्यान में रखना चाहिए।
  - राज्य (सरकार) कुछ जातियों के **अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर उप-वर्गीकरण** कर सकता है। हालांकि, राज्य को यह सिद्ध करना होगा कि **किसी जाति/ समूह के पिछड़ेपन के कारण ही उसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है।**
  - राज्य को **"राज्य की सेवाओं" में कुछ जातियों के उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने के बारे में डेटा एकत्र** करना होगा।
- राज्य अपनी इच्छा या राजनीतिक लाभ के अनुसार कार्य नहीं कर सकता और **उसके निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन** होंगे।
- **राष्ट्रपति** द्वारा **आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति समुदायों की जो सूची** तैयार की जाती है, राज्य उसमें मनमाने तरीके से हेरफेर कर अनुसूचित जातियों में विशेष जाति के पक्ष में **100% आरक्षण निर्धारित नहीं** कर सकता।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **अनुच्छेद 342A के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के लिए उप-वर्गीकरण की अनुमति** दी गई है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह अनुच्छेद **राष्ट्रपति को SEBCs की सूची तैयार करने का भी अधिकार** देता है।
  - अनुच्छेद 342A को **2018 में संविधान में शामिल** किया गया था।

© Vision IAS

3.3. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में जनवरी, 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी।

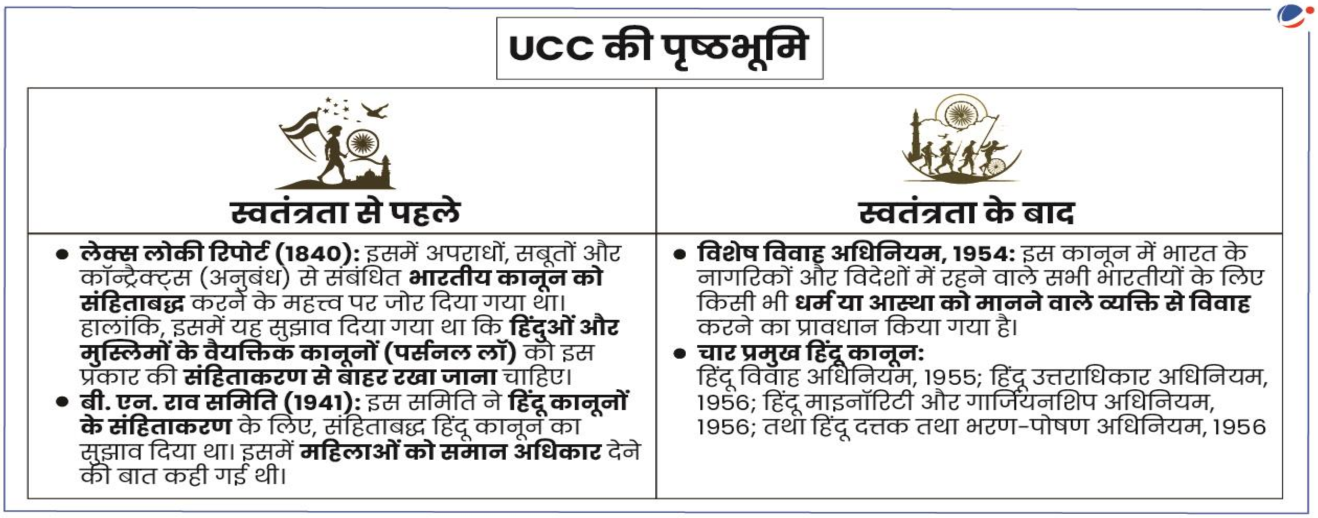

UCC के बारे में

- UCC का आशय पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए **एक समान कानून** लागू करने से है।
    - यह समान कानून **सभी धार्मिक समुदायों** के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा।
    - संविधान के **भाग 4** में वर्णित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) के तहत **अनुच्छेद 44** में UCC का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचे का निर्माण करना है।
- **वर्तमान स्थिति**
    - वर्तमान में, भारत के **व्यक्तिगत कानून (Personal law)** काफी जटिल एवं अलग-अलग हैं। यहां **प्रत्येक धर्म में अपने विशेष कानूनों का पालन होता है।**
        - **भारत में लागू व्यक्तिगत कानून:**
            - ✓ **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम[4], 1956:** यह कानून हिन्दू, सिख, जैन एवं बौद्ध समुदाय पर लागू होता है।
            - ✓ **मुस्लिम पर्सनल लॉ:** यह मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है। और
            - ✓ **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम[5], 1925:** यह ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय पर लागू होता है।
    - **गोवा** भारत का एकमात्र राज्य है जहां पहले से ही सामान्य नागरिक संहिता लागू है। यह UCC से अलग है और **पुर्तगाली नागरिक संहिता[6], 1867** के रूप में मौजूद है।

[4] Hindu Succession Act

[5] Indian Succession Act

[6] Portuguese Civil Code

3.4. उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 {Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सिविल अदालतों को अगले नोटिस तक पूजा स्थलों के स्वामित्व को चुनौती देने वाले नए मुकदमे दर्ज करने या विवादित धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण का आदेश देने से रोक दिया है।

पूजा या उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के बारे में

- यह अधिनियम घोषित करता है कि किसी भी **पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा, जो 15 अगस्त, 1947** को था।
- इसमें कहा गया है कि **कोई भी व्यक्ति** किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को किसी अलग संप्रदाय या उसके किसी दूसरे वर्ग में **परिवर्तित नहीं** करेगा।
- यह अधिनियम **राज्य पर प्रत्येक पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने (जैसा कि स्वतंत्रता के समय मौजूद था) का सकारात्मक दायित्व** भी डालता है।
- यह घोषणा करता है कि पूजा स्थल के स्वरूप को परिवर्तित करने के संबंध में **सभी मुकदमे, अपील या कोई अन्य कार्यवाही,** जो 15 अगस्त, 1947 को किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित हैं, कानून लागू होते ही समाप्त हो जाएंगे।
- **इस अधिनियम के अपवाद:**
  - **अयोध्या** में विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट दी गई थी।
  - इसके अलावा, यह अधिनियम-
    - **प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम[7], 1958** के अंतर्गत आने वाले स्मारकों व पुरातत्वीय स्थलों पर लागू नहीं होता,
    - कोई भी विवाद जिसका अंतिम रूप से निपटारा या निस्तारण हो गया हो,
    - वे मामले भी इसमें शामिल नहीं हैं, जो पहले ही निपट चुके हैं या सुलझ गए हैं, और
    - ऐसे किसी स्थल का कोई रूपांतरण, जिसे पूर्व रज़ामंदी से किया गया हो। यह भी अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा।
- **जुर्माना:** अधिनियम की **धारा 6** में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर **जुर्माने के साथ अधिकतम तीन साल की कैद की सजा** का प्रावधान किया गया है।

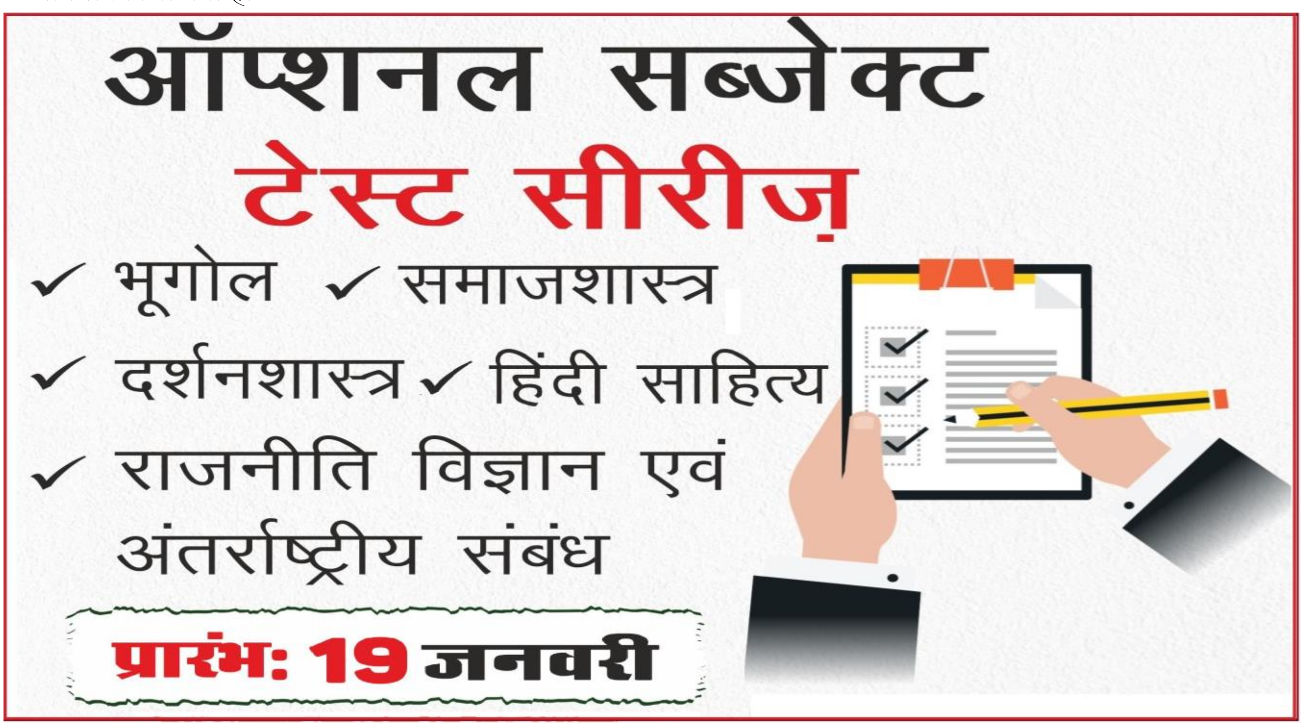

[7] Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act

3.5. प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive Detention)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जसीला शाजी बनाम भारत संघ मामले (2024) में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकारों को उचित ठहराया।

प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में

- प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने की आशंका के आधार पर न्यायालय में बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में लिया जाता है। जब किसी व्यक्ति से यह उचित आशंका हो कि वह लोक व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो उसे हिरासत में लिया जाता है।
- संविधान के **अनुच्छेद 22** के अंतर्गत **संसद और राज्य विधान-मंडल प्रिवेंटिव डिटेंशन पर कानून बना** सकते हैं।
- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 22(1)** एवं **22(2) गिरफ्तारी और डिटेंशन के खिलाफ सुरक्षा** प्रदान करता है।
  - **अनुच्छेद 22(3)** के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 22(2) द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा **प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं** होती है।

- यदि ऐसे **डाक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करने में विफलता या देरी** होती है, तो यह **संविधान के अनुच्छेद 22(5)** के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित करने के बराबर होगा।
- **प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े कानून:** राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980; गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967; विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA), 1974; कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम (PBMSECA), 1980 आदि।
- **प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू करने के आधार:** राज्य की सुरक्षा; विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा; लोक व्यवस्था को बनाए रखना; आपूर्ति एवं आवश्यक सेवाओं का रखरखाव व रक्षा; आदि।

3.6. व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में विविध संस्थाओं (ई-कॉमर्स स्टोर, AI चैटबॉट्स आदि) को एक **अभिनेता की सहमति के बिना उसके नाम, छवि, आवाज और समरूपता का दुरुपयोग करने से प्रतिबंधित** कर दिया है।

व्यक्तित्व अधिकार के बारे में

- व्यक्तित्व अधिकार **नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवियों या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषता** को व्यक्त करते हैं, जो किसी सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक हैं।
- देश के किसी भी कानून में व्यक्तित्व अधिकार या उसके संरक्षण का **स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं** किया गया है। हालांकि, **निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार** में इसके तत्व विद्यमान हैं।

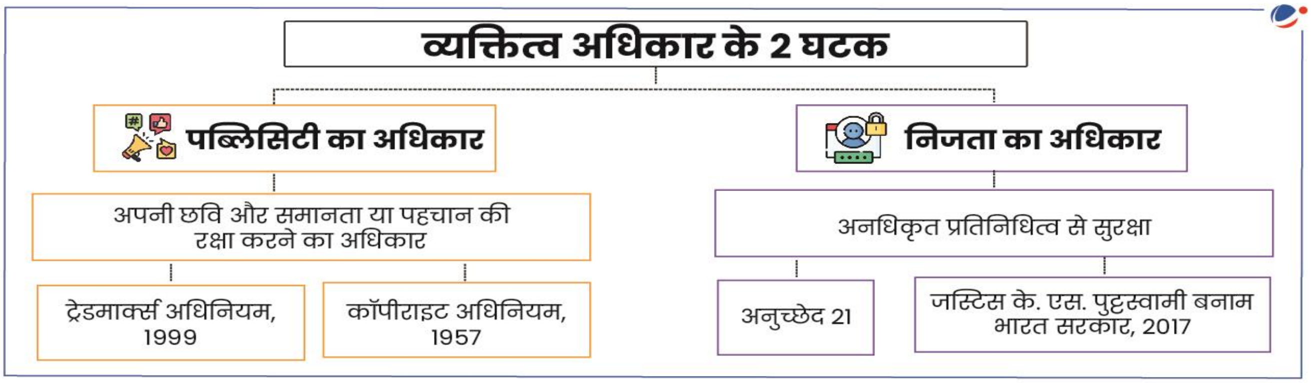

मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार

- **भारतीय दंड संहिता (IPC):** यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है, तो उस व्यक्ति पर **भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा** दायर किया जा सकता है।
- **प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 {Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950}:** यह कानून इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों (पदों) के नामों और प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है।

अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के तहत व्यक्तित्व अधिकार

- वर्तमान में **पब्लिसिटी के अधिकारों के संरक्षण** से संबंधित कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या संधि नहीं है।
- हालांकि, पब्लिसिटी संबंधी कुछ अधिकार निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों से प्राप्त किए जा सकते हैं:
  - **रोम अभिसमय (1961):** यह कलाकारों के अधिकारों, फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है।
  - **बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू (TRIPS/ट्रिप्स) समझौता[8] (1994):** यह समझौता फोनोग्राम प्रोड्यूसर व लाइव प्रदर्शन करने वालों के कुछ अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है।
  - **WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि (WPPT)[9]:** यह संधि विशेष रूप से डिजिटल परिवेश में कलाकारों और फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों की रक्षा करती है।

---

[8] Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

[9] WIPO Performances and Phonograms Treaty

© Vision IAS

3.7. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

3.7.1. शत्रु संपत्ति (Enemy property)

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति **परवेज मुशर्रफ के पूर्वजों की उत्तर प्रदेश में स्थित शत्रु संपत्ति को बेचने का निर्देश** दिया गया है।

शत्रु संपत्ति के बारे में

- **शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968** में 'शत्रु' को ऐसे देश (और उसके नागरिकों) के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसने **(अर्थात पाकिस्तान और चीन) भारत पर आक्रमण** किया हो।
- **किसी शत्रु व्यक्ति या शत्रु कंपनी की संपत्ति या उसकी ओर से धारित या प्रबंधित संपत्ति** को शत्रु संपत्ति कहते हैं।
- **इस अधिनियम में 2017 के संशोधन द्वारा शत्रु की परिभाषा का विस्तार किया गया है,** जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - शत्रु का कानूनी उत्तराधिकारी, चाहे वह भारत का नागरिक हो या न हो, या किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु देश न हो।
  - "कोई भी शत्रु जिसने भले ही अपनी राष्ट्रीयता बदल ली है"।
- 1968 का अधिनियम **भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक** को शत्रु संपत्तियों के **संरक्षण, प्रबंधन, नियंत्रण और बिक्री** का अधिकार देता है। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक **गृह मंत्रालय के अधीन** होता है।

3.7.2. भुला दिए जाने का अधिकार (Right to be Forgotten: RTBF)

सुप्रीम कोर्ट **डिजिटल प्राइवेसी यानी डिजिटल दुनिया में निजता की रक्षा** से संबंधित 'भुला दिए जाने के अधिकार' के मुद्दे पर सुनवाई करेगा।

"भुला दिए जाने के अधिकार" के बारे में

- इसे डेटा **'मिटाने का अधिकार (Right to erasure)'** भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी संगठन से अपने व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अनुरोध कर सकता है। यह अधिकार तब लागू होता है जब व्यक्ति का डेटा उस उद्देश्य के लिए अब आवश्यक नहीं रह जाता जिसके लिए उसे एकत्र किया गया था, या जब व्यक्ति ने डेटा प्रोसेस के लिए अपनी सहमति वापस ले ली है।
- भुला दिए जाने के अधिकार की उत्पत्ति **फ्रांसीसी न्यायशास्त्र** में उल्लेखित **'विस्मृत (Oblivion) किए जाने के अधिकार'** से हुई है।
- हालांकि, **भुला दिए जाने का अधिकार एक पूर्ण या निरपेक्ष अधिकार नहीं** है।
- **जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (2017) मामले** में, सुप्रीम कोर्ट ने **भुला दिए जाने के अधिकार** को संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत **जीवन के अधिकार** के हिस्से के रूप में मान्यता दी।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** में 'भुला दिए जाने के अधिकार' का उल्लेख नहीं है।
- यूरोप के **जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR)** कानून में "भुला दिए जाने के अधिकार" को शामिल किया गया है।

3.7.3. इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit: ILP)

नागालैंड सरकार ने **दीमापुर, चूमुकेदिमा** और **न्यूलैंड** जिलों के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) लागू करने को मंजूरी दे दी है।

इनर लाइन परमिट (ILP) के बारे में

- यह सरकार द्वारा जारी एक **आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है, जो भारतीय नागरिकों को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्रों में जाने की अनुमति** देता है।
- ILP प्रणाली का उद्देश्य **भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट आवागमन को विनियमित** करना है।
- ILP का आधिकारिक तौर पर उपयोग **पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय संस्कृतियों की रक्षा** के लिए किया जाता है।
- **उत्पत्ति:** वर्ष **1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) एक्ट** से।
- **ILP के विविध प्रकार:** एक पर्यटकों के लिए और अन्य दीर्घकालीन प्रवास (अक्सर रोजगार के उद्देश्य से) के लिए।
- **ILP के अंतर्गत आने वाले राज्य:** अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर।
- **ILP के लिए पात्र नहीं:** NRIs (भारतीय जो 6 महीने से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं), PIO कार्ड धारक और OCI कार्ड धारक। उन्हें संरक्षित/ प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए विशेष अनुमति (संरक्षित/ प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट) लेनी होगी।

संरक्षित क्षेत्र परमिट (Protected Area Permit: PAP)/ प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (Restricted Area Permit: RAP)

- विदेशी विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश[10], 1958 के तहत **राज्य की 'इनर लाइन' वाले क्षेत्रों** और **अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच आने वाले सभी क्षेत्रों** को **संरक्षित क्षेत्र** घोषित किया गया है।

---

[10] Foreigners (Protected Areas) Order

PT 365 - राजव्यवस्था और शासन

© Vision IAS

- **वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में स्थित हैं:**
    - संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश;
    - हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ हिस्से; तथा
    - संपूर्ण सिक्किम (कुछ भाग संरक्षित क्षेत्र में और कुछ भाग प्रतिबंधित क्षेत्र में)।
- **विदेशी विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963** के तहत, 'प्रतिबंधित' के रूप में घोषित क्षेत्रों में **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** (संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश); तथा **सिक्किम** (राज्य का कुछ हिस्सा) शामिल हैं।
- किसी विदेशी व्यक्ति को सामान्यतः संरक्षित/ प्रतिबंधित क्षेत्र में तब तक जाने की अनुमति नहीं दी जाती, जब तक कि सरकार को यह संतोष न हो जाए कि ऐसी यात्रा को उचित ठहराने के लिए ठोस कारण मौजूद हैं।
- **भूटान के नागरिक को छोड़कर प्रत्येक विदेशी व्यक्ति को,** जो किसी संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना और रहना चाहता है, उसे सक्षम प्राधिकारी से विशेष परमिट प्राप्त करना आवश्यक है।

4. केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations)

4.1. राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के संबंध में विवाद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

राजकोषीय संघवाद के बारे में

- भारतीय परिप्रेक्ष्य में **संघीय प्रणाली के भीतर निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों** द्वारा साझाकरण ही **राजकोषीय संघवाद** है।

भारत में "राजकोषीय संघवाद" व्यवस्था को परिभाषित करने वाले संवैधानिक प्रावधान

- **सातवीं अनुसूची:** संविधान के तहत **संघ** और **राज्यों** के बीच कर आधारों का उल्लेख कर उन्हें क्रमशः **संघ सूची** और **राज्य सूची** में सूचीबद्ध किया गया है (संविधान का अनुच्छेद 246)।
- **राजस्व का वितरण:** भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत यह वर्गीकरण किया गया है-
  - **अनुच्छेद 269:** संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, लेकिन **पूरी तरह से राज्यों को सौंपे जाने वाले कर।**
  - **अनुच्छेद-269A:** अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान **वस्तु और सेवा कर** भारत सरकार द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाएगा। हालांकि, इसे **वस्तु और सेवा कर परिषद** की सिफारिशों के आधार पर **केंद्र एवं राज्यों के बीच वितरित** किया जाएगा।
  - **अनुच्छेद 270:** संघ द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले, लेकिन **जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता तब तक राष्ट्रपति के आदेश पर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर।**

हस्तांतरण का आधार

- **ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (Vertical Devolution): 15वें वित्त आयोग** की सिफारिशों के आधार पर विभाज्य पूल से राज्यों की हिस्सेदारी वर्तमान में **41%** है।
- **क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal Devolution):** यह विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों को आवंटित हिस्से से राज्यों के बीच वितरण को संदर्भित करता है।
  - **15वें वित्त आयोग के अनुसार, निर्धारित मानदंड और उनका भार इस प्रकार है:** आय अंतर/ इनकम डिस्टेंस (45%), क्षेत्रफल (15%), जनसंख्या, 2011 (15%), जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (12.5), वन और पारिस्थितिकी (10%), तथा कर व राजकोषीय प्रयास (2.5%)।

- **सहायता अनुदान (Grants-in-Aid):** केंद्र **अनुच्छेद 275** के तहत राज्यों को **सहायता अनुदान** प्रदान करता है।
- **ऋण: अनुच्छेद 292** के अनुसार, केंद्र सरकार के पास देश के अंदर (घरेलू स्रोतों से) या बाहर से धन उधार लेने की शक्ति है। हालांकि, **अनुच्छेद 293** के तहत राज्य सरकारें केवल घरेलू स्रोतों से (विदेश से नहीं) ही ऋण ले सकती हैं।
  - साथ ही, यदि किसी राज्य पर **केंद्र का ऋण बकाया है,** तो वह केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई अन्य ऋण नहीं ले सकता है।
- **वित्त आयोग (Finance Commission): अनुच्छेद 280** में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी उद्देश्य से **राष्ट्रपति द्वारा हर पांच साल बाद वित्त आयोग का गठन** किया जाता है।
- **राज्यों के वित्तीय स्थिति:**
  - राज्य अपने राजस्व स्रोतों से **अपने राजस्व व्यय का केवल 58% ही वित्त-पोषित** कर पाते हैं।
  - मार्च 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार **राज्यों का ऋण-जी.डी.पी. (Debt-GDP) अनुपात 27.5% है।**

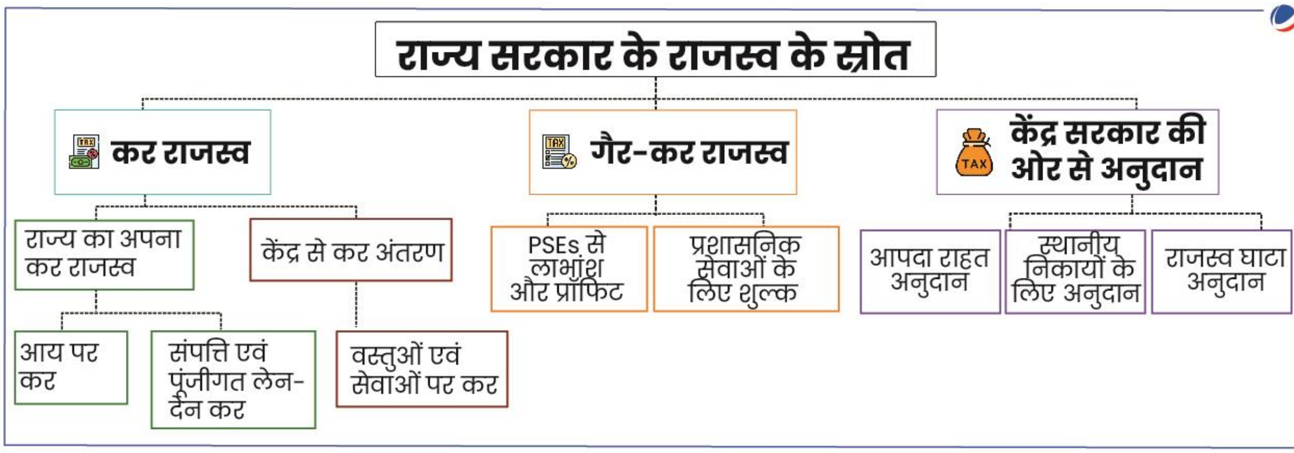

4.2. विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा (Special Category Status)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए फिर से 'विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे (SCS)' की मांग उठाई गई।

विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे (SCS) के बारे में

- गौरतलब है कि SCS **केंद्र सरकार** द्वारा राज्यों हेतु किए जाने वाला एक तरह का वर्गीकरण है। यह दर्जा उन राज्यों को उनके विकास में सहायता के लिए दिया जाता है, जो किसी तरह के **भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का सामना** कर रहे होते हैं।
- SCS की शुरुआत **1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश** पर की गई थी।
- 1969 में, **तीन राज्यों को SCS प्रदान** किया गया था। इनमें **जम्मू और कश्मीर (पहला), असम तथा नागालैंड** शामिल थे।
    - वर्तमान में, **11 राज्यों को SCS दर्जा दिया गया है। ये राज्य हैं:** असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना।
- SCS राज्यों को **गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूले** के आधार पर अनुदान दिया जाता है।
- ज्ञातव्य है कि **संविधान किसी भी राज्य को SCS राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं** करता है।
    - भारत के **संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 371, 371A से 371H और 371J)** किए गए हैं।
- **14वें वित्त आयोग** की सिफारिशों के अनुसार **अब किसी भी राज्य को SCS प्रदान नहीं** किया जाना चाहिए। इसके बाद से **किसी भी नए राज्य को SCS नहीं** दिया गया है।
    - उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए वर्तमान विशेष वित्त-पोषण पैटर्न इन राज्यों के **मुख्यमंत्रियों के उप-समूहों की सिफारिशों पर आधारित है न कि उनके SCS दर्जे पर।**

© Vision IAS

विशेष पैकेज (Special Packages)

हाल ही में, **बिहार और आंध्र प्रदेश** के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष वित्तीय पैकेजों की मांग की।

- विशेष पैकेज से तात्पर्य **भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले राज्यों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता** है। इसके तहत इन राज्यों को **अतिरिक्त वित्तीय सहायता एवं अन्य लाभ** प्रदान किए जाते हैं।
- दूसरी ओर, **विशेष पैकेज पूरी तरह से विवेकाधीन** होते हैं। **ये पैकेज आवश्यकता-आधारित हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता विशेष पैकेज देने का सबसे सटीक कारण नहीं है।**
    - यह संविधान के **अनुच्छेद 282 के तहत एक अतिरिक्त अनुदान** के रूप में प्रदान किया जाता है। यह अनुदान **'विविध वित्तीय प्रावधानों'** के अंतर्गत आता है।
    - **अनुच्छेद 282 (विवेकाधीन अनुदान):** यह केंद्र और राज्यों दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर न हो।

4.3. छठी अनुसूची (Sixth Schedule)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लद्दाख को भारतीय संविधान की **छठी अनुसूची** में शामिल करने के लिए वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

छठी अनुसूची के बारे में

- संविधान के **अनुच्छेद 244(2)** के तहत छठी अनुसूची **बोरदोलोई समिति** की सिफारिशों के परिणामस्वरूप संविधान में शामिल की गई थी।
- यह अनुसूची इसमें शामिल राज्यों के राज्यपालों को अपने-अपने राज्यों में **स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs)**[11] और **स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें (ARCs)**[12] गठित करने का अधिकार देती है।
    - **ADC की संरचना:** ADCs में अधिकतम **30 सदस्य** होते हैं। इनमें से **चार राज्यपाल द्वारा नामित** किए जाते हैं, जबकि शेष **चुने** जाते हैं।
        - वर्तमान में, **चार राज्यों में 10 ऐसी ADCs** हैं।
    - **ARCs:** यदि किसी **स्वायत्त जिले में अलग-अलग अनुसूचित जनजातियां हैं**, तो राज्यपाल उनके द्वारा बसाए गए क्षेत्र या क्षेत्रों को **स्वायत्त क्षेत्रों** में विभाजित कर सकता है।
- ADCs और ARCs के पास **वन प्रबंधन, कृषि, विरासत, विवाह, सामाजिक रीति-रिवाज** जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है।
    - उनके पास **भू-राजस्व एकत्र करने, कर लगाने, व्यापार को विनियमित करने, खनिज निष्कर्षण से रॉयल्टी एकत्र** करने आदि की भी शक्ति है।

पांचवी और छठी अनुसूची

विशेषताएं	**पांचवी अनुसूची**	**छठी अनुसूची**
कहां लागू	• यह भारत के किसी भी राज्य के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है (वर्तमान में 10 राज्यों में)	• यह भारत के चार पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है
प्रशासन	• जनजातीय सलाहकार परिषद (Tribal Advisory Council: TAC)	• स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs) और स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें (ARCs)

[11] Autonomous District Councils

[12] Autonomous Regional Councils

प्रशासनिक शक्ति	• राज्यों की विधान सभा का गठन होने के कारण TAC के पास सीमित शक्तियां हैं, जो अधिकतर कार्यकारी हैं	• परिषद को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों सहित व्यापक शक्तियां प्राप्त है। ये सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त हुई हैं
पेसा (PESA) अधिनियम, 1996	• लागू है	• लागू नहीं है

4.4. नए राज्यों का निर्माण (Formation of New States)

सुर्खियों में क्यों?

2 जून, 2024 को तेलंगाना राज्य के गठन के दस साल पूरे हुए।

नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया

- **संविधान का अनुच्छेद 3:** संविधान के इस अनुच्छेद में **नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव** से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस अनुच्छेद के तहत-
    - **शक्ति:** संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है।
    - **राष्ट्रपति की सिफारिश:** नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक **राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पर ही संसद के किसी भी सदन में** पेश किया जाएगा।
    - **राज्य विधान-मंडलों के साथ परामर्श:** किसी विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति **विधेयक को उस राज्य विधान-मंडल को निर्धारित समय के भीतर** अपना विचार व्यक्त करने के लिए भेजेगा जिसके **क्षेत्र, सीमा या नाम** प्रभावित हो रहे हों।
- संसद एक **साधारण विधेयक पारित करके** एक नए राज्य का गठन कर सकती है।
    - साधारण विधेयक संसद में **साधारण बहुमत से यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से** पारित किया जाता है।
- **जिलों का गठन: राज्य सरकार** के पास राज्यों में नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों को बदलने या समाप्त करने का अधिकार है। सरकार के **कार्यकारी आदेश या राज्य विधान सभा में कानून पारित** करके ये बदलाव किए जा सकते हैं।

राज्य पुनर्गठन आयोग/ समितियां

- **एस.के. धर आयोग, 1948:** आयोग ने भाषाई कारक की बजाय **प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन** की सिफारिश की थी।
- **जे.वी.पी. समिति, 1948: जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया** इस समिति के सदस्य थे। उन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम जे.वी.पी. रखा गया था। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग खारिज कर दी थी।
- **फजल अली आयोग, 1953:** आयोग ने **राज्य पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित चार कारकों** की पहचान की थी:
    - देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना एवं मजबूत करना;

AHMEDABAD |BENGALURU |BHOPAL |CHANDIGARH |DELHI |GUWAHATI |HYDERABAD |JAIPUR |JODHPUR |LUCKNOW |PRAYAGRAJ |PUNE |RANCHI © Vision IAS

- भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता को महत्त्व देना;
- वित्तीय स्थिरता, आर्थिक और प्रशासनिक विचार को ध्यान में रखने पर बल देना; तथा
- राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य समग्र रूप से लोगों एवं राष्ट्र के कल्याण की योजना बनाना और उसे बढ़ावा देना होना चाहिए।

- **फजल अली आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन** की सिफारिश की थी।
  - संसद ने आयोग की सिफारिशों को **7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956** के माध्यम से लागू किया था।

5. न्यायपालिका (Judiciary)

5.1. वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution: ADR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **ऑनलाइन मध्यस्थता प्रशिक्षण वेब-पोर्टल** का शुभारंभ किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसे **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)** और **मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC)**[13] ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
    - MCPC का गठन **2005 में सुप्रीम कोर्ट** ने किया था। इसे गठित करने का उद्देश्य मध्यस्थता और सुलह के प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन की निगरानी करना था।
- यह पूरे देश में **कानूनी पेशेवरों को मध्यस्थता के क्षेत्र में विस्तार से प्रशिक्षण** प्रदान करेगा और **वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा** देगा।

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के बारे में

- ADR एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत **न्यायालय के बाहर विवादों का समाधान और निपटान** किया जाता है।
- इसके तहत सभी प्रकार के मुद्दों का समाधान किया जा सकता है, जैसे- सिविल, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि। इसके तहत विवादों पर बात करने के लिए और उनका समाधान करने के लिए किसी निष्पक्ष थर्ड पार्टी को शामिल किया जाता है।

आर्बिट्रेशन पर मौजूदा फ्रेमवर्क

भारत में फ्रेमवर्क	• **"आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन अधिनियम, 1996"** लागू किया गया है। यह UNCITRAL मॉडल कानून के अनुसार बनाया गया है। भारत का यह कानून **वाणिज्यिक विवादों सहित सभी प्रकार के आर्बिट्रेशन पर लागू** होता है। ○ इस अधिनियम में **वर्ष 2015, 2019 एवं 2021** में संशोधन किए गए थे। ○ **आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन (संशोधन) अधिनियम, 2021** उन **आर्बिट्रेशन निर्णयों को लागू करने पर बिना शर्त रोक लगाने की अनुमति देता है,** जो आर्बिट्रेशन समझौते, अनुबंध या पंचाट, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के माध्यम से दिए गए थे। ○ यह संशोधन 23 अक्टूबर 2015 से **पूर्वव्यापी रूप** से प्रभावी हुआ था। • संस्थागत आर्बिट्रेशन की सुविधा के लिए **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन केंद्र अधिनियम, 2019** बनाया गया है। • **भारतीय आर्बिट्रेशन परिषद** की स्थापना की गई है। यह **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है।
वैश्विक स्तर पर फ्रेमवर्क	• वर्ष 1923 में **इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन** की स्थापना **इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स** द्वारा की गई थी। • वर्ष 1899 में हेग में **परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA)** की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना **"अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटान पर कन्वेंशन"** के तहत की गई थी। **भारत भी इसका पक्षकार** है। • **अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौते** पर UNCITRAL मॉडल कानून लागू किया गया है।

[13] Mediation and Conciliation Project Committee

© Vision IAS

5.1.1. मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में पारित 'मध्यस्थता विधेयक, 2023" को अपनी मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक कानून बन गया है। इसका उद्देश्य भारत में मध्यस्थता को **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)** के एक पसंदीदा तरीके के रूप में बढ़ावा देना है।

मध्यस्थता कानून, 2023 की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

विशेषता	विवरण
मध्यस्थता को परिभाषित करता है	• मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया होगी, जिसमें **मध्यस्थता, मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह या समान अर्थ की कोई पदावली शामिल हो।** ○ इसके तहत, संबंधित पक्ष तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद के **सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने** का प्रयास करते हैं। इस **तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ** कहा जाता है।
मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता	• संबंधित पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सिविल या वाणिज्यिक विवादों का न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए समाधान करने का प्रयास करें।
मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद	• केंद्र सरकार ऐसे विवादों की सूची में संशोधन कर सकती है। **इस सूची में निम्नलिखित विवाद शामिल हैं:** ○ नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से संबंधित विवाद, ○ दंडनीय (क्रिमिनल) अपराध के अभियोजन से जुड़े विवाद, ○ तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद आदि।
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	• जब तक संबंधित पक्ष किसी अन्य तरीके से या **ऑनलाइन मोड में मध्यस्थता के लिए सहमत न हों,** तब तक मध्यस्थता, संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले अधिकरण के तहत होगी।
मध्यस्थता किए जाने की समय-सीमा:	• इसे **120 दिनों** के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस समय-सीमा को **पक्षों की सहमति से 60 दिनों** तक बढ़ाया जा सकता है। ○ एक पक्ष **दो सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट** सकता है। ○ न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता **सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी चाहिए।**

भारतीय मध्यस्थता परिषद (MCI) की स्थापना	• **MCI में निम्नलिखित शामिल होंगे-** ○ **एक अध्यक्ष,** ○ **दो पूर्णकालिक सदस्य-** मध्यस्थता या ADR का अनुभव रखने वाले हों, ○ **एक अंशकालिक सदस्य-** जिसमें विधि सचिव या व्यय सचिव शामिल होगा, और ○ **तीन पदेन सदस्य**
मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को परिभाषित करता है	• यह मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को **MCI द्वारा मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत निकाय या संगठन** के रूप में परिभाषित करता है। ○ **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत गठित प्राधिकरण भी मध्यस्थता कर सकता है।
लागू होना या प्रवर्तनीयता (Enforceability)	• मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते न्यायालय के निर्णयों के समान ही **बाध्यकारी और प्रवर्तनीय** होंगे। ○ हालांकि, मध्यस्थता के फैसले को **90 दिनों के भीतर सक्षम न्यायालय में चुनौती** दी जा सकती है। ○ मध्यस्थता द्वारा किए गए समाधान को **धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, छद्मरूपण (Impersonation) और मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद** के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

5.1.2. लोक अदालत (Lok Adalat)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष पर विवाद समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया।

लोक अदालत के बारे में

- लोक अदालत एक **वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र** है।
- **गठन:** इसे **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत **सांविधिक दर्जा** दिया गया है।
  - 2002 में, इस अधिनियम में संशोधन करके सार्वजनिक हित वाले सेवाओं के लिए **स्थायी लोक अदालतें गठित** की गई थी। ये अदालतें **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करती हैं।**
- **शक्तियां:** लोक अदालतें **सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908** और **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023** से बाध्य नहीं हैं।
  - इसे **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल कोर्ट के समान शक्तियां** प्राप्त हैं।
  - इसके निर्णय **अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी** होते हैं। इसके निर्णय के खिलाफ **कोई अपील नहीं** की जा सकती।
- **लोक अदालत को संदर्भित मामलों में शामिल हैं:**
  - किसी भी अदालत में लंबित कोई भी मामला,
  - कोई भी विवाद जो किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया हो और उसके न्यायालय में दायर किए जाने की संभावना हो आदि।
- **इसके दायरे में आने वाले मामलों की प्रकृति/ स्वरूप:** वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण आदि।
- **पहली लोक अदालत: 1982 में जूनागढ़ (गुजरात)** में आयोजित की गई थी।

5.2. निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों को **"निःशुल्क और समय पर कानूनी सहायता"** सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए।

भारत में निःशुल्क कानूनी या विधिक सहायता के बारे में

- भारत में **विधिक सहायता** से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों को **निःशुल्क कानूनी सेवाएं** प्रदान करने से है, जो **कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय प्रणाली तक पहुंच का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं।**
- विधिक सहायता में **कानूनी सलाह, अदालती कार्यवाही में प्रतिनिधित्व, मध्यस्थता, वार्ता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र** आदि शामिल होते हैं।
- **वैधानिक प्रावधान:**
  - **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987:** यह अधिनियम **1995** में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए **विधिक सेवा प्राधिकरणों** की स्थापना करना है। इस अधिनियम में निम्नलिखित **संस्थाओं के गठन का प्रावधान किया गया है:**
    - तदनुसार, **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs)** का गठन किया गया।
  - **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 341:** इसमें कुछ मामलों में जहां अभियुक्त के पास विधिक सहायता के लिए साधन नहीं हैं, वहां राज्य के खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
- **सरकार द्वारा उठाए गए कदम:** "दिशा[14]"; टेली-लॉ; न्याय मित्र कार्यक्रम; लोक अदालत आदि।

विधिक सहायता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 21: इसमें प्रावधान किया गया है कि **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित** किया जा सकता है अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 39-A: यह अनुच्छेद **राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश** देता है, ताकि **कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे**। इसे **42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976)** के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के बारे में

- यह **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत गठित एक **वैधानिक निकाय** है। इसका उद्देश्य **समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित विधिक सेवाएं प्रदान** करना है।
- **कार्य:**
  - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए **नीतियां, सिद्धांत व दिशा-निर्देश तैयार करना और प्रभावी योजनाएं बनाना,** ताकि वे पूरे देश में विधिक सेवा कार्यक्रमों को लागू कर सकें;

[14] DISHA (Design Innovative Solutions for Holistic Access / भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवीन समाधान डिजाइन करना)

- ○ कानूनी सहायता कार्यक्रमों के **कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना;**
- ○ विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए **लोक अदालतों का आयोजन** करना; आदि।

निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्ति

- **महिलाएं एवं बच्चे**
- **अनुसूचित जाति** एवं **अनुसूचित जनजाति** के सदस्य
- **औद्योगिक कामगार**
- **सामूहिक आपदा,** हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के शिकार लोग
- **मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति या दिव्यांगजन**
- संरक्षण गृह या किशोर गृह में हिरासत में रखे गए व्यक्ति, मनोरोग अस्पताल में भर्ती व्यक्ति
- संविधान के **अनुच्छेद 23** के अनुसार **मानव तस्करी या भिक्षावृत्ति के शिकार व्यक्ति**
- सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों में मामला होने की स्थिति में, इसके लिए वे व्यक्ति पात्र हैं जिनकी **वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम** है। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने पर यह आय सीमा **5,00,000 रुपये** निर्धारित है।

5.3. भारत में अधिकरण प्रणाली (Tribunal System in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि **केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT)** प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत अवमानना अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके कोई आदेश पारित करता है, तो उस **आदेश के खिलाफ अपील** केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं।

अधिकरण प्रणाली के बारे में

- **प्रकृति:** अधिकरण **अर्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) निकाय** होते हैं।
- **उद्देश्य:** इनका उद्देश्य **न्यायपालिका पर मुकदमों का भार कम** करना है। इसके अलावा, अधिकरणों में **तकनीकी विषयों से जुड़े मामलों के निपटान के लिए विषय विशेषज्ञ** भी शामिल होते हैं, जिससे फैसला सुनाना आसान हो जाता है।
- **संवैधानिक मान्यता: 42वें संविधान संशोधन (1976)** के तहत संविधान में **अनुच्छेद 323A** जोड़कर **प्रसाशनिक अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान** किया गया था। इसी प्रावधान के तहत CAT की स्थापना की गई है।
    - ○ **CAT का क्षेत्राधिकार:** यह संघ के या अन्य सरकारी नियंत्रण वाले प्राधिकरणों में लोक सेवाओं और अन्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्त कर्मियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों व शिकायतों का निपटान करता है।
    - ○ 2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि **अनुच्छेद 323B** के तहत निर्धारित विषयों पर केवल संसद का ही अनन्य अधिकार नहीं हैं। राज्य विधान-मंडल **संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित** उनके अधिकार-क्षेत्र के अधीन आने वाले किसी भी विषय पर अधिकरण का गठन कर सकते हैं।
- **क्षेत्राधिकार:** प्रत्येक अधिकरण को उसकी विशेषज्ञता के घोषित क्षेत्र के भीतर मामलों की सुनवाई करने और निर्णय लेने के लिए **विशिष्ट क्षेत्राधिकार** दिया गया है।
    - ○ **कुछ अधिकरणों के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है।** इसका अर्थ है कि वे अधिकरण अपने से नीचे के प्राधिकरणों या प्राधिकारियों या सरकारी निकायों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुन सकते हैं।

- **अपील:** सामान्यतः अधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील संबंधित हाई कोर्ट में की जाती है। हालांकि, कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनके अंतर्गत अपीलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी।

अधिकरण और न्यायालयों के बीच अंतर

विशेषताएं	अधिकरण	न्यायालय
स्थापना	**संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित-** • **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** के माध्यम से संविधान में **अनुच्छेद 323A** (केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रशासनिक अधिकरण) तथा **अनुच्छेद 323B** (कराधान, भूमि सुधार जैसे अन्य मामलों के लिए अधिकरण) जोड़े गए थे। • **स्वर्ण सिंह समिति** की सिफारिश पर।	केवल **भारत के संविधान** द्वारा।
उद्देश्य	**विशेष मामलों पर विवादों और शिकायतों** का समाधान करना।	**अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में कानून और व्यवस्था की व्याख्या** करना तथा उसे बनाए रखना। इसके अलावा, **सिविल एवं क्रिमिनल मामलों पर निर्णय** देना।
प्रक्रियात्मक अनुपालन	विशेष प्रक्रियाओं से बंधे नहीं होते हैं, बल्कि **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करते** हैं।	**प्रक्रियात्मक संहिताओं** से बंधे होते हैं।
सदस्य	**न्यायिक और विशेष ज्ञान वाले एक्सपर्ट शामिल** होते हैं।	केवल **न्यायिक विशेषज्ञ शामिल** होते हैं।
शक्तियां	उन कानूनों तक सीमित हैं, जिनके तहत वे निर्धारित हैं।	निर्णय लेने से पहले **सभी अधिनियमित कानूनों का उपयोग करने की शक्ति**।

5.4. जमानत (Bail)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दो न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने फैसला सुनाया है कि **गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967** जैसे विशेष कानूनों में भी **'जमानत नियम है, जेल अपवाद है'** सिद्धांत लागू होता है।

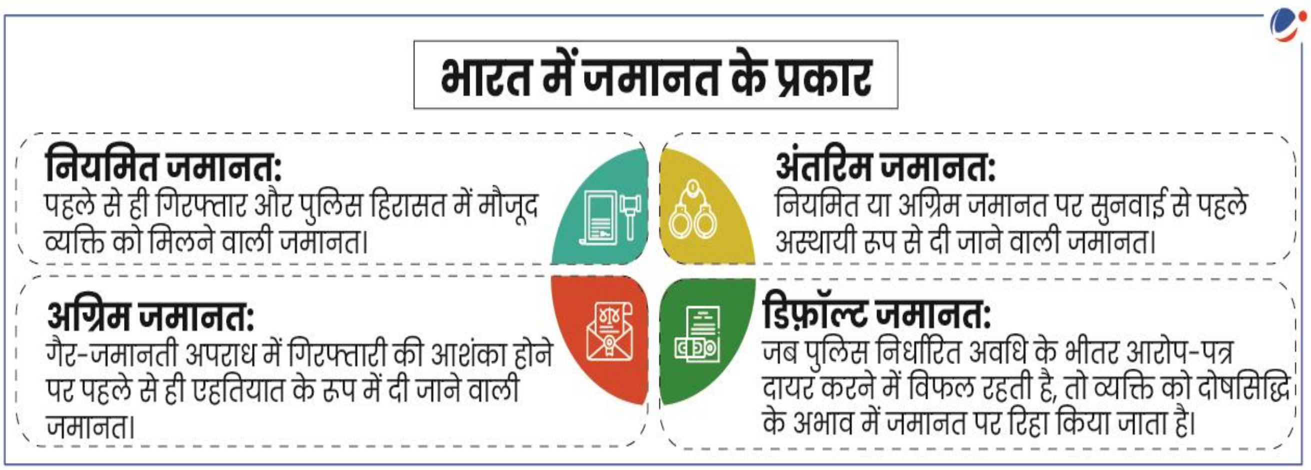

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन** है।

जमानत के लिए कानूनी प्रावधान

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की **धारा 479 में जमानत योग्य अपराधों में जमानत देने से संबंधित प्रावधान** किए गए हैं।
  - यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए **कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया** है, तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
  - इसके तहत यदि **पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति** ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की **एक-तिहाई अवधि को हिरासत में बिता लिया** है, तो उसे **जमानत पर रिहा** किया जाएगा।
- **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO एक्ट), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005)** जैसे **विशेष कानूनों** में भी जमानत देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

जमानत के लिए किए गए उपाय

- **प्ली बार्गेनिंग (सौदा अभिवाक):** यह अदालत में अभियोजन शुरू होने से पहले प्रतिवादी और अभियोजन पक्ष के बीच समझौता है।
  - उल्लेखनीय है कि **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 290 में प्ली बारगेनिंग को समयबद्ध** कर दिया गया है और आरोप तय होने की तारीख से **30 दिनों के भीतर आवेदन** किया जा सकता है।
  - **उपयोग:** यह कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ **सात वर्ष** तक के कारावास के दंडनीय अपराधों पर लागू होता है। हालांकि, यह **महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध या सामाजिक-आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों पर लागू नहीं** होता है।
- **ई-प्रिज़न सॉफ्टवेयर:** यह राज्यों की ऑथोरिटीज को दक्ष तरीके से कैदियों से संबंधित डेटा प्राप्त करने में सहायता करता है।

संबंधित तथ्य

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक का सख्त प्रावधान तब तक नहीं** लागू होगा, जब तक कि **आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध साबित न हो जाए।**

- अधिनियम की धारा 18 में उपबंध किया गया है कि **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान** इस अधिनियम के तहत अपराध से जुड़े मामलों पर लागू नहीं होगा।
- नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद, **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (2023) की धारा 482 में अग्रिम जमानत के लिए प्रासंगिक प्रावधान** शामिल किए गए हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बारे में

- **उद्देश्य:** SC/ST समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अपराधों को रोकना; ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करना तथा पीड़ितों के लिए **राहत और पुनर्वास** का प्रावधान करना।
- **अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर**
  - **आरोपी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य नहीं** होना चाहिए।
  - इस कानून के तहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को हाथ से मैला उठाने के काम पर लगाना; SC या ST समुदाय की महिलाओं को देवदासी कुप्रथा के नाम पर देवता या मंदिर को समर्पित करना; सार्वजनिक स्थानों पर जाने के प्रथागत अधिकार से वंचित करना जैसे मामलों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
  - इसमें **SC या ST समुदाय को छोड़कर अन्य समुदायों के लोक सेवकों द्वारा अधिनियम के तहत दिए गए कर्तव्यों की उपेक्षा करने पर दंड** का प्रावधान किया गया है।

 © Vision IAS

5.5. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

5.5.1. ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalayas)

सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों के गठन की व्यवहार्यता पर चिंता जताई है। गौरतलब है कि **ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 द्वारा ग्राम न्यायालयों के गठन को अनिवार्य** किया गया है।

ग्राम न्यायालयों की मुख्य विशेषताएं

- **उद्देश्य: ग्राम न्यायालय** यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय मिलने के अवसरों से वंचित न किया जाए।
- **वैधानिक आधार: ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008** के अंतर्गत।
  - इस अधिनियम में **नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम राज्य को और अधिनियम में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों को छूट** दी गई है।
- **ग्राम न्यायालय का स्थान:** यह **मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय** में स्थित होता है।
- **स्थिति:** ग्राम न्यायालय को **प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय** माना जाता है।
  - राज्य सरकार, संबंधित हाई कोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए **'न्यायाधिकारी' की नियुक्ति** करती है।
- **अधिकार क्षेत्र:** यह एक **मोबाइल कोर्ट** होगा, जिसके सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के अधिकार-क्षेत्र होंगे।
- **विवाद समाधान प्रक्रिया:** विवादों का समाधान सुलह-समझौते की सहायता से किया जाना चाहिए।
  - **सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकारों (Conciliators) के रूप में नियुक्त** किया जा सकता है।
  - ये **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों** पर काम करते हैं। गौरतलब है कि **ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से बाध्य नहीं** हैं।
    - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- **अपील:**
  - क्रिमिनल मामलों में अपील **सत्र न्यायालय (Session Court)** में की जाती है।
  - सिविल मामलों में अपील **जिला न्यायालय (District Court)** में की जाती है।
  - अपील दायर करने की तिथि से **6 महीने के भीतर निपटारा** किया जाएगा।

5.5.2. न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court)

झारखंड सरकार ने **हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी** का आरोप लगाते हुए केंद्र के खिलाफ **अवमानना याचिका** दायर की है।

न्यायालय की अवमानना के बारे में

- यह **न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971** के तहत परिभाषित है।
- संविधान के **अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 क्रमशः सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट्स को अवमानना** के लिए दंडित करने की शक्ति देते हैं।

अवमानना के निम्नलिखित दो प्रकार हैं

- **सिविल अवमानना:** किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की **जानबूझकर अवज्ञा करना या न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना;**
- **आपराधिक अवमानना:** किसी भी ऐसे मामले का प्रकाशन जो,
  - न्यायालय को बदनाम करता है या उसके प्राधिकार को कम करता है; या
  - न्यायिक कार्यवाही के समुचित क्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या उसमें हस्तक्षेप करता है; या
  - न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या बाधा उत्पन्न करता है।

5.5.3. दया याचिका (Mercy Petition)

दिसंबर 2000 के लाल किला हमला मामले में दोषी ठहराए गए **लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी की दया याचिका भारत की राष्ट्रपति ने खारिज** कर दी है।

दया याचिका पर राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 72 भारत** के राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को कुछ मामलों में **क्षमा (Pardons), प्रविलंबन (Reprieves), विराम, निलंबित (Respites), परिहार (Remit) या लघुकरण (Commute)** करने का अधिकार देता है। **ये मामलें निम्नलिखित हैं:**
  - जहां सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो;
  - उन मामलों में जिनमें दंड किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए दिया गया हो और ऐसे मामलों पर जहां संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो; तथा
  - मृत्युदंड के मामले में।

5.5.4. क्यूरेटिव पिटीशन/ उपचारात्मक याचिका (Curative Petition)

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के खिलाफ पारित आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया।

क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में

- यह याचिका उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध **अंतिम संवैधानिक उपाय है, जिसकी पुनर्विचार याचिका** को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
  - **'पुनर्विचार याचिका'** का उल्लेख संविधान के **अनुच्छेद 137** के तहत किया गया है।
- क्यूरेटिव पिटीशन का **संविधान में कोई उल्लेख नहीं है।** यह अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने **'रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य'** वाद में प्रतिपादित की थी।
  - क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की शक्ति संविधान के **अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय करने की शक्ति)** पर आधारित है।
- **क्यूरेटिव पिटीशन** की अनुमति तब दी जाती है, जब याचिकाकर्ता यह स्थापित करता है कि-
  - निर्णय में **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन** हुआ है;
  - मामले की सुनवाई करने वाला **न्यायाधीश उस मामले में अपने हितों का खुलासा करने में विफल** रहा है,
  - न्याय-निर्णय में पक्षपात होने की आशंका है और **निर्णय से याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ सकता है।

 © Vision IAS

5.5.5. फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (Fast-Track Special Courts: FTSCs)

इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, **बलात्कार के मामलों और 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act)** से संबंधित मामलों को निपटाने में फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) अधिक कुशल हैं।

फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) के बारे में

- **प्रकार:** FTSCs संबंधी योजना एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। इस योजना को **2019** में शुरू किया गया था। अब इसे **2026 तक बढ़ा** दिया गया है।
- **वित्त-पोषण:** इस योजना में **केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त-पोषण निर्भया फंड** से किया जाता है।
- **कार्यान्वयन:** विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत **न्याय विभाग** द्वारा।
- **उद्देश्य: बलात्कार के मामलों और POCSO अधिनियम के तहत आने वाले मामलों का शीघ्र निपटान** सुनिश्चित करना।
    - 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में **410 विशिष्ट POCSO अदालतों सहित कुल 761 FTSCs** गठित किए गए हैं। हालांकि, कुल **1023 FTSCs का प्रावधान** किया गया है।
- FTSCs **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से जुड़े हुए हैं।**

5.5.6. जीरो FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) (Zero FIR)

तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक पूर्व मंत्री के खिलाफ जीरो FIR दर्ज की गई है।

जीरो FIR के बारे में

- यह एक प्रकार की FIR है। इसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है। इसके लिए यह **जरूरी नहीं है कि जहां अपराध हुआ है, उसी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज** कराई जाए।
- एक बार FIR दर्ज होने के बाद, **इसे आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर** कर दिया जाता है।
- इसके तहत आरंभ में कोई **नियमित FIR नंबर नहीं दिया जाता** है। हालांकि, जब मामला अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तब वहां नई FIR दर्ज की जाती है और FIR नंबर दिया जाता है।
- जीरो FIR का प्रावधान **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 531(1)** के तहत किया गया है। इसे **2012 के निर्भया केस के बाद स्थापित जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिश के आधार** पर शामिल किया गया है।

5.5.7. डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर (Doctrine of Coverture)

सुप्रीम कोर्ट **भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और धारा 63 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत मैरिटल रेप एक्सेप्शन (MRE)** को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

- **जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018)** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मैरिटल रेप एक्सेप्शन, **डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर** के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है।

डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर के बारे में

- यह **ब्रिटिश कॉमन लॉ** के तहत कानूनी सिद्धांत है। यह सिद्धांत **विवाहित महिला को उसके पति के संरक्षण के तहत** रखता है और उन्हें **एक यूनिट के रूप में** मानता है।
- यह विवाह के बाद एक **महिला के स्वतंत्र अस्तित्व या कानूनी अस्तित्व को समाप्त** कर देता है।
- सैद्धांतिक रूप में, यह महिला की संपत्ति को पति को हस्तांतरित करता है; संपत्ति पर अधिकार की उसकी क्षमता को सीमित करता है तथा कोई अनुबंध करने पर प्रतिबंध भी लगाता है।

5.5.8. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत (Doctrine of Harmonious Construction)

एक मामले में अपील दाखिल करने में “विलम्ब के लिए क्षमा” (Condone the delay) के आग्रह से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 और 5 के तहत **हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का उपयोग** करने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए।

- **विलम्ब के लिए क्षमा (Condonation of delay)** की धारणा के तहत किसी मामले में अपील/ याचिका दाखिल करने के लिए **तय समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति देने की अदालत की विवेकाधीन शक्ति** शामिल है।

हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सिद्धांत के बारे में

- इसका अर्थ है कि दो कानूनों के बीच विवाद की स्थिति में उनकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए, जिससे दोनों कानूनों के उद्देश्य और सार को बनाए रखा जा सके। ऐसा कानूनों या प्रावधानों में 'सामंजस्य' बनाकर किया जाता है।
- इस सिद्धांत की उत्पत्ति **प्रथम संविधान संशोधन और उस पर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद में दिए गए निर्णय** से मानी जाती है।

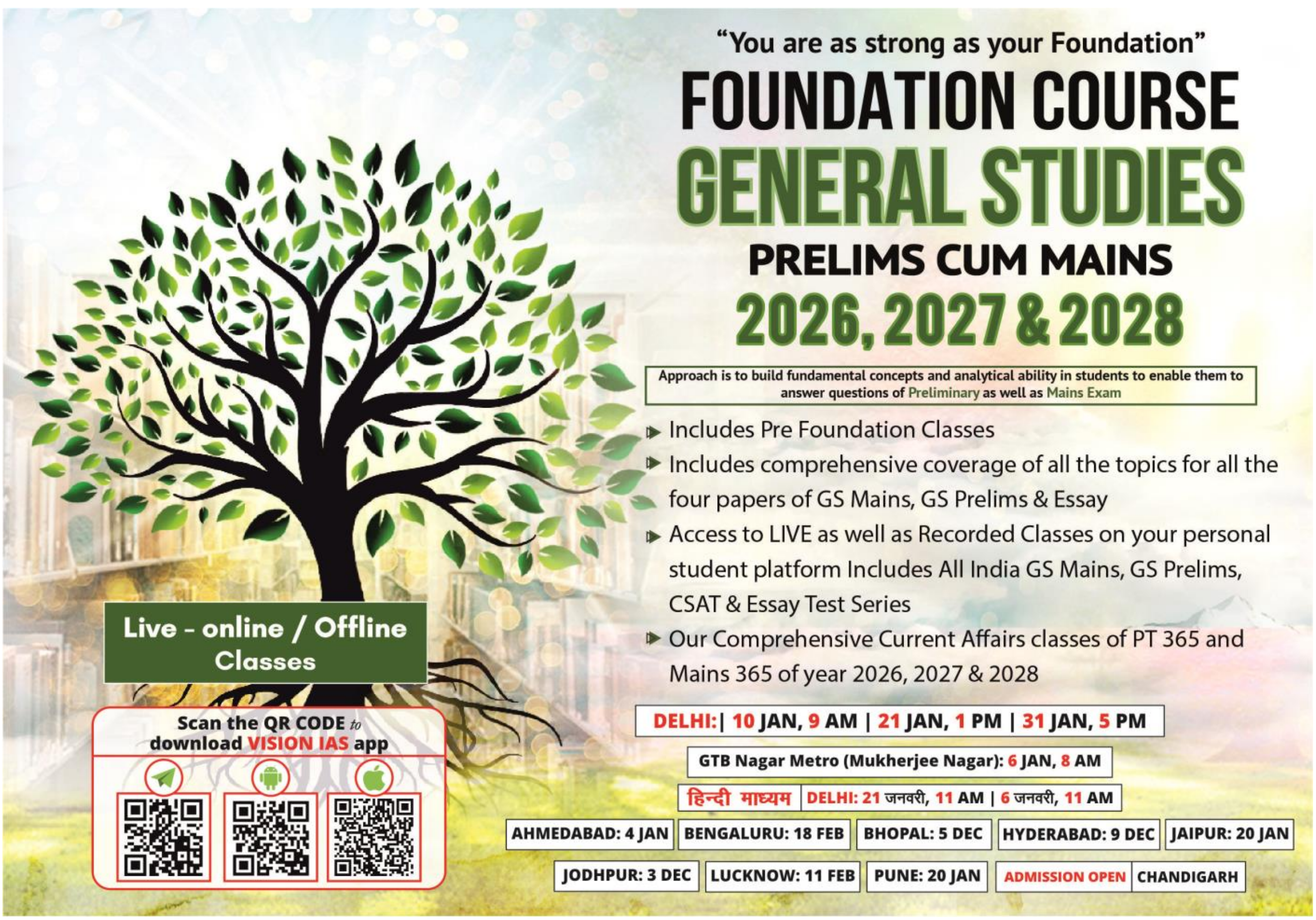

 © Vision IAS

6. महत्वपूर्ण अधिनियम/ विधेयक (Important Legislatures/Bills)

6.1. आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम (Criminal Law Reform Acts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

देश के तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू हुए। ये तीन नए कानून हैं- भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

6.1.1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

- यह **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की जगह लागू की गई है।** भारतीय दंड संहिता, भारत में आपराधिक मामलों पर प्रमुख कानून था।

पृष्ठभूमि	भारतीय न्याय संहिता, 2023 के मुख्य प्रावधान

• **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 से पहले:** भारतीय दाण्डिक कानूनों में संसदीय चार्टर व अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियम, हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रथागत कानून आदि से संबंधित नियम/ कानून शामिल थे।
• **थॉमस बैबिंगटन** के अधीन **दंड संहिता का मसौदा (1837) तैयार किया गया।**
• **1857 के विद्रोह का प्रभाव:** भारतीय दंड संहिता (IPC) अंततः 1860 में बनाई गई।
• **IPC, 1860 के लागू होने के बाद:** विधि आयोग की कई रिपोर्ट्स में **महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खाद्य पदार्थों में मिलावट, मृत्युदंड** आदि विषयों पर **IPC में संशोधन करने की सिफारिश** की गई थी।
	• छोटे-मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार **सामुदायिक सेवा** कराने का प्रावधान किया गया है।
	• 16 से 18 वर्ष तक की आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार के कृत्य को नाबालिग के साथ बलात्कार माना जाएगा।
	  ○ इसमें छल-कपट/ धोखे से या झूठे वादे करके **किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध** माना गया है।
	• इस संहिता में **राजद्रोह (IPC की धारा 124A)** से जुड़े प्रावधान को हटा दिया गया है। इसके बजाय यह निम्नलिखित हेतु **दंड का प्रावधान** करता है:
	  ○ **अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह, या विध्वंसक गतिविधियों** को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना,
	  ○ **अलगाववादी गतिविधियों** से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना, या
	  ○ **भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना।**
	• यह संहिता संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है:
	  ○ निरंतर गैर-कानूनी गतिविधि, जैसे- अपहरण, जबरन वसूली, और साइबर अपराध आदि।
	• **किसी समूह द्वारा हत्या या गंभीर चोट पहुँचाना: नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर** हत्या करने या गंभीर चोट पहुंचाने पर उस समूह के सभी लोग इस अपराध के दोषी माने जाएंगे और सजा दी जाएगी।
	  ○ हत्या के मामले में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा, और जुर्माना।
	  ○ गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में **सात वर्ष तक** का कारावास और जुर्माना।

6.1.2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 को प्रतिस्थापित** किया गया है। CrPC में भारतीय दंड संहिता, 1860 सहित कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए **गिरफ्तारी (Arrest), अभियोजन (Prosecution) और जमानत (Bail) की प्रक्रिया** संबंधी प्रावधान किए गए थे।

पृष्ठभूमि	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के मुख्य प्रावधान
• **उत्पत्ति:** CrPC को सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के अधीन **1861** में अधिनियमित किया गया था। इसके बाद **1872 और 1882** में क्रमिक रूप से अधिनियमित नई संहिताओं द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था। ○ इसमें **कई संशोधन** किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन **1898, 1923 और 1955** में किए गए थे। • **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973:** भारत के विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में, इस संहिता में व्यापक स्तर पर संशोधन करने हेतु सिफारिश की थी। इसके परिणामस्वरूप **CrPC, 1973** का निर्माण किया गया था।	• **विचाराधीन कैदियों की हिरासत:** इसके तहत यदि **पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति** ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की **एक-तिहाई अवधि को हिरासत में बिता लिया** है, तो उसे **जमानत पर रिहा** किया जाएगा। ○ यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए **कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया** है, तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ▪ **यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है।** • **मृत्युदंड व आजीवन कारावास** की सजा वाले अपराधों पर, और • ऐसे व्यक्ति पर जिसके खिलाफ **एक से अधिक अपराधों** में कार्यवाही लंबित है। • **मेडिकल जांच:** इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों, जैसे- बलात्कार में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकता है। • **फॉरेंसिक जांच:** यह उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है, जिनके लिए कम-से-कम **सात वर्ष** के कारावास के दंड का प्रावधान है। • **हस्ताक्षर और उंगलियों की छाप (फिंगरप्रिंट):** यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों की छाप और आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति प्रदान करती है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो अथवा नहीं। • **कार्यवाहियों के लिए समय-सीमा:** यह विविध कार्यवाहियों हेतु समय-सीमा निर्धारित करती है। जैसे जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ितों को जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करना और आरोप तय करना आदि के लिए समय-सीमा का निर्धारण करती है।

6.1.3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 से **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित** किया गया है। यह अधिनियम सभी दीवानी/ सिविल और फौजदारी/ दाण्डिक कार्यवाहियों में भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है।

पृष्ठभूमि	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधान
• **उत्पत्ति:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1872 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य **साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को समेकित** करना था। इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और निर्णय सुनाता है।	• **साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता:** इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। • मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। • **संयुक्त सुनवाई (Joint trials):** कानून में ये बताया गया है कि अगर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, और उनमें से एक आरोपी फरार हो गया है या गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं देता है, तो भी बाकी आरोपियों का संयुक्त मुकदमा (एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का मुकदमा) चलाया जाएगा। ○ संयुक्त सुनवाई में, यदि किसी एक आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा, दूसरे आरोपी को भी प्रभावित करता है या साबित हो जाता है, तो इसे दोनों के खिलाफ कबूलनामा माना जाएगा।

6.2. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (DPDP)[15], 2023 को मंजूरी दी है।

DPDP अधिनियम, 2023 के बारे में

- DPDP अधिनियम का मुख्य उद्देश्य **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करना** है। इसमें व्यक्तियों के **व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के अधिकार** को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।
- यह अधिनियम **निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करता है:**
  - यह अधिनियम **डेटा प्रोसेसिंग** (अर्थात् व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण, भंडारण या कोई और उपयोग) के लिए **डेटा फिड्यूशरी** पर कुछ उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है।
  - यह **डेटा प्रिंसिपल या डेटा स्वामी** (अर्थात् वह व्यक्ति जिससे डेटा संबंधित है) **के अधिकार और कर्तव्य** भी निर्धारित करता है।
  - साथ ही, यह अधिनियम अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के **उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड** का भी प्रावधान करता है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

विशेषताएं	विवरण
किस पर लागू होगा (Applicability)	• इसके प्रावधान **भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की 'प्रोसेसिंग' पर लागू होंगे,** जहां: ○ कोई डेटा, डिजिटल (ऑनलाइन) रूप में एकत्र किया गया हो, या ○ कोई डेटा, गैर- डिजिटल (ऑफलाइन) रूप में एकत्र किया गया हो और बाद में उसे डिजिटलीकृत किया गया हो। • इसके प्रावधान **भारत के बाहर** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे, यदि उस प्रोसेसिंग का उद्देश्य डेटा का उपयोग करके **भारत में वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध कराना** है। • **इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:** ○ किसी भी **व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रोसेस्ड (Processed) व्यक्तिगत डेटा;**

[15] Digital Personal Data Protection Bill

	○ **व्यक्तिगत डेटा जिसे निम्नलिखित द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है-** ▪ यदि **डेटा प्रिंसिपल खुद अपना डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है; या** ▪ यदि कोई अन्य व्यक्ति **कानूनी दायित्व के तहत किसी के व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है।**
सहमति (Consent)	• डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को **प्रोसेस किया जा सकता है, वो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए।** हालांकि, डेटा प्रिंसिपल को **किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है।** ○ ऐसे मामले जिनमें सरकार की ओर से कोई लाभ या सेवा प्रदान की जा रही हो, या चिकित्सा आपात जैसी स्थिति आए तो **"वैध उपयोग" के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।** • किसी बालक या दिव्यांग व्यक्ति के मामले में उसके **माता-पिता या कानूनी संरक्षक द्वारा सहमति** प्रदान की जाएगी।
भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India: DPBI)	• इसमें **केंद्र सरकार द्वारा DPBI के गठन** का प्रावधान किया गया है। • **बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:** ○ **नियमों के अनुपालन की निगरानी करना** और उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाना। ○ डेटा उल्लंघन की स्थिति में **आवश्यक उपाय करने के लिए डेटा फिड्यूशरी को निर्देश देना।** ○ **प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करना।** • बोर्ड के सदस्यों को **दो वर्ष के लिए नियुक्त** किया जाएगा और वे **पुनर्नियुक्ति के पात्र** होंगे। • DPBI के किसी निर्णय के विरुद्ध **दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (TDSAT)**[16] में अपील की जा सकेगी।
डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य (Rights and Duties of Data Principal)	• डेटा प्रिंसिपल के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे: ○ डेटा प्रोसेसिंग के बारे में **जानकारी प्राप्त करना,** ○ **व्यक्तिगत डेटा** को सुधारने और उसे हटाने की मांग करना, ○ **एक डेटा प्रिंसिपल को डेटा फिड्यूशरी के पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा,** ○ **मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार।** • डेटा प्रिंसिपल **द्वारा झूठी या व्यर्थ की शिकायत दर्ज नहीं की जानी चाहिए** और **उसे कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए।** • कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर **डेटा प्रिंसिपल पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।**
डेटा फिड्यूशरी के दायित्व	• **डेटा फिड्यूशरी (प्रोसेसिंग के उद्देश्य और तरीके को निर्धारित करने वाली इकाई) के निम्नलिखित दायित्व** होंगे; ○ डेटा की **सटीकता** और पूर्णता **सुनिश्चित करना,** ○ डेटा ब्रीच या उल्लंघन को रोकने के लिए **उचित सुरक्षात्मक उपाय करना,** ○ डेटा ब्रीच की स्थिति में **DPBI और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना,** ○ **उद्देश्य पूरा हो जाने तथा कानूनी उद्देश्यों के लिए इसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होने पर व्यक्तिगत डेटा को डिलीट कर देना।**
महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी (Significant Data Fiduciaries: SDF)	• केंद्र सरकार किसी डेटा फिड्यूशियरी को **महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशियरी** घोषित कर सकती है, यदि: ○ वह अत्यधिक मात्रा में **संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन** करता है, ○ **डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम** है, और ○ **भारत की संप्रभुता और अखंडता,** ○ **राज्य की सुरक्षा,** ○ **चुनावी लोकतंत्र और**

[16] Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal

	○ **लोक-व्यवस्था पर प्रभाव** पड़ने की संभावना है। • SDF के पास **डेटा सुरक्षा अधिकारी और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करने** तथा **प्रभाव आकलन करने** जैसे कुछ अतिरिक्त दायित्व भी होंगे।
अधिनियम के तहत दी गई छूट (Exemptions)	• डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फिड्यूशरी के दायित्व (डेटा सुरक्षा के अतिरिक्त) **निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे:** ○ सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था आदि के हित में **अधिसूचित एजेंसियां;** ○ **अनुसंधान, संग्रहण या सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए;** ○ **स्टार्ट-अप्स** या डेटा फिड्यूशरी की **अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए;** ○ **कानूनी अधिकारों और दावों को लागू करने के लिए;** ○ **न्यायिक या विनियामक संबंधी कार्य करने के लिए;** ○ **अपराधों को रोकना और उनकी जांच करने के लिए;** ○ विदेशी अनुबंध के तहत **गैर-निवासियों (Non-residents) के व्यक्तिगत डेटा को भी भारत में प्रोसेस किया जाएगा।** • इसके अलावा, **केंद्र सरकार** देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में कुछ **गतिविधियों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट** दे सकती है।
बालकों के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग	• किसी बच्चे के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग करते समय, **डेटा फिड्यूशरी को निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए:** ○ **प्रोसेसिंग संबंधी ऐसा कार्य** जिससे बच्चे के कल्याण पर **कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो**, या ○ **बच्चे पर नजर रखना, व्यवहार संबंधी निगरानी करना या उन्हें लक्षित करके विज्ञापन करना।**
भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण	• यह अधिनियम **सरकार द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर, भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति** देता है।
जुर्माना (Penalties)	• यह अधिनियम कई अपराधों के लिए जुर्माने का प्रावधान करता है जैसे कि- ○ **बच्चों से संबंधित दायित्वों को पूरा न करने पर 200 करोड़ रुपये तक का जुर्माना,** और ○ डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए **सुरक्षात्मक उपाय न करने पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।**

6.3. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) नियम, 2024 {Public Examination (Prevention of Unfair Means) Rules, 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

इन नियमों को **केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय** ने अधिसूचित किया है। इन नियमों को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये नियम **जून 2024 से लागू** हो गए हैं।

मुख्य नियमों पर एक नजर

- यदि **लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों के उपयोग या अपराध का प्रथम दृष्टया मामला** सामने आता है, तो **परीक्षा केंद्र प्रभारी FIR दर्ज कराने सहित उचित कार्रवाई** कर सकता है।
- यदि **अनुचित साधनों के उपयोग में सेवा प्रदाता के प्रबंधन या निदेशक मंडल की संलिप्तता** है, तो लोक परीक्षा प्राधिकरण एक समिति गठित करेगा।
  - सेवा प्रदाता कोई भी **एजेंसी, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, व्यावसायिक इकाई** आदि हो सकता है, जिसे **लोक परीक्षा प्राधिकरण ने लोक परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त** किया है।
- क्षेत्रीय अधिकारी लोक परीक्षा के संचालन में **अनुचित साधनों के उपयोग या अपराध की सभी घटनाओं** की लोक परीक्षा प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा। साथ ही, उसने इस मामले में जो भी कार्रवाई की है, उनकी भी प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के बारे में

- **"अनुचित साधनों" में निम्नलिखित शामिल हैं-**
  - प्रश्न-पत्र या उत्तर कुंजी तक अनधिकृत पहुंच या उन्हें लीक किया जाना;
  - लोक परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी की सहायता करना;
  - कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों से छेड़छाड़ करना;
  - फर्जी परीक्षा आयोजित करना आदि।
- **दंड**
  - **अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले व्यक्ति के लिए दंड:** कम-से-कम **तीन साल** की कैद, जिसे **पांच साल तक बढ़ाया** जा सकता है और **दस लाख रुपये** तक का जुर्माना।
  - **संगठित अपराध करने वाले सेवा प्रदाता या किसी व्यक्ति/ समूह के लिए दंड: 1 करोड़ रुपये** तक का जुर्माना और **परीक्षा आयोजन की लागत भी उससे वसूल** की जाएगी।
  - सभी अपराध **संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय (Non-compoundable)** होंगे।
- **"लोक परीक्षा"** से आशय अनुसूची में निर्दिष्ट लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा से, या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से है।

6.4. दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के विविध प्रावधान लागू हुए।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के बारे में

- इस अधिनियम का उद्देश्य **दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार एवं संचालन से संबंधित कानून में संशोधन** करना है। इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम **समावेशन, सुरक्षा, विकास और जवाबदेही के सिद्धांतों** पर आधारित है।
- वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्रक और प्रौद्योगिकियों में उच्च तकनीकी प्रगति हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 को निरस्त** करते हुए दूरसंचार अधिनियम, 2023 बनाया गया है।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएं

मापदंड	विवरण

स्पेक्ट्रम का आवंटन	• **स्पेक्ट्रम का आवंटन** नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, **कुछ निर्धारित उपयोगों के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित** किया जाएगा।
	• **निर्धारित उद्देश्यों में शामिल हैं**
	  ○ राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा
	  ○ आपदा प्रबंधन
	  ○ मौसम संबंधी पूर्वानुमान
	  ○ परिवहन
	  ○ उपग्रह सेवाएं
	• पहली बार, **सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन** किया जाएगा। यह आवंटन **वैश्विक मानदंडों के अनुरूप** होगा।

राइट-ऑफ-वे (RoW) फ्रेमवर्क	• ऐसी संस्थाएं, जो दूरसंचार संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण करती हैं, वे सार्वजनिक या निजी संपत्ति में **राइट-ऑफ-वे** की मांग कर सकती हैं। ○ **राइट-ऑफ-वे** का आशय सार्वजनिक या निजी संपत्ति के उपयोग की सुविधा से है।

© Vision IAS

उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा	• केंद्र सरकार **उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विविध उपाय** कर सकती है। **उदाहरण के लिए-** विनिर्दिष्ट संदेश (Specified messages) प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता की पूर्व सहमति; 'डू नॉट डिस्टर्ब' रजिस्टर तैयार करना; उपयोगकर्ताओं को मैलवेयर या विनिर्दिष्ट संदेशों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाना आदि।
सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड) का दायरा बढ़ाया गया	• अब यह **डिजिटल भारत निधि** (केंद्र सरकार के नियंत्रण में) बन जाएगी। • इस निधि का उपयोग दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और पायलट परियोजनाओं के लिए अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है।
अवरोधन (Interception) और तलाशी का अधिकार	• कुछ निश्चित आधारों पर **संदेशों को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक** किया जा सकता है। इन आधारों में **राष्ट्र की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और अपराधों को उकसाए जाने से रोकना** आदि शामिल हैं।
दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों के लिए अनुमति	• नई दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने तथा दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रख-रखाव या विस्तार करने एवं रेडियो उपकरण रखने के लिए **केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक** है।
OTTs का विनियमन	• इस अधिनियम के तहत **OTT प्लेटफॉर्म्स को विनियमित नहीं** किया जाएगा।

6.4.1. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdowns)

सुर्खियों में क्यों?

सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2024 में 60 बार इंटरनेट शटडाउन के मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे कम हैं।

इंटरनेट शटडाउन के बारे में

- **इंटरनेट शटडाउन** किसी विशिष्ट आबादी, स्थान या इंटरनेट एक्सेस के प्रकार के लिए **इंटरनेट सेवाओं में जानबूझकर किया गया व्यवधान/रोक** है। इसका मतलब है कि प्रभावित लोग वेबसाइटों तक नहीं पहुंच सकते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑनलाइन संदेश नहीं भेज सकते या प्राप्त नहीं कर सकते और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते।

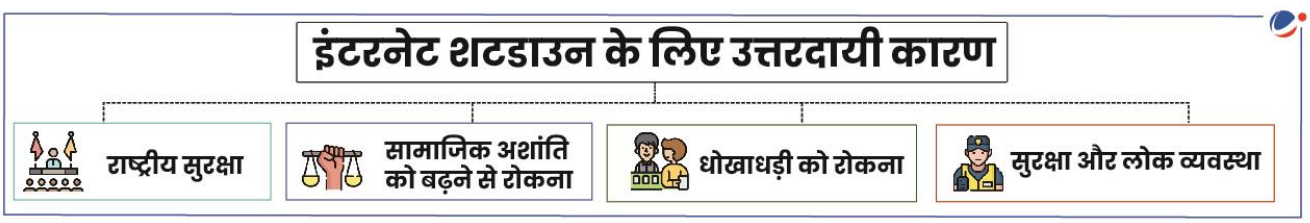

इंटरनेट शटडाउन के लिए प्रावधान

- वर्तमान में इसे **इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवाओं का निलंबन "भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम[17], 1885"** के तहत अधिसूचित **दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम[18], 2017** द्वारा शासित किया जाता है।
  - ये नियम एक क्षेत्र में **पब्लिक इमरजेंसी के आधार पर** एक बार में 15 दिनों तक **दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति** देते हैं।
  - 1885 का अधिनियम केंद्र सरकार को इंटरनेट सेवाओं सहित अलग-अलग प्रकार के दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और उनके लिए लाइसेंस देने का अधिकार देता है।

---

[17]Indian Telegraph Act

[18] Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules

- दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन के आदेश केवल संघ/ राज्य **गृह सचिव** द्वारा जारी किए जा सकते हैं।
    - 2017 के नियमों के तहत, **केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समीक्षा समिति** क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार/ इंटरनेट बंद करने के आदेशों की समीक्षा करती है।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद (2020) में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के फैसले में आदेश दिया कि इंटरनेट पर **"वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता"** भी **संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का एक अभिन्न अंग** है। इसलिए, इस स्वतंत्रता पर **कोई भी प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(2) के प्रावधानों से मेल खाना चाहिए।**
- **इंटरनेट शटडाउन के संबंध में न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे:**
    - 2017 के नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं किया जा सकता है। इंटरनेट सेवाओं का निलंबन **केवल अल्पकालिक अवधि के लिए** किया जा सकता है।
    - निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश आनुपातिकता के सिद्धांत[19] के अनुरूप होना चाहिए और निलंबन की अवधि को जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
    - निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने वाला **कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन** है।

6.5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019 {Consumer Protection Act (CPA), 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने **राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग** द्वारा **2007** में दिए गए एक फैसले को खारिज कर दिया है। आयोग ने **2007** के अपने एक फैसले में कहा था कि **वकीलों** द्वारा प्रदान की गई सेवाएं **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 1986** के दायरे में आती हैं।

- गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को साल **2019** में फिर से पारित किया गया था।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA) के बारे में

- **CPA, 1986** को उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए **उपभोक्ता संरक्षण परिषदों** की स्थापना आदि के लिए पारित किया गया था।
- CPA, 1986 के स्थान पर **CPA, 2019** को पारित किया गया गया था ताकि उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े प्रावधानों को बेहतर किया जा सके।

CPA, 2019 की मुख्य विशेषताएं

- **'उपभोक्ता' की परिभाषा का विस्तार:** इसमें ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जो **ऑनलाइन/ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सामान/ सेवाएं खरीदते या प्राप्त** करते हैं।
    - इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो ऐसे सामान को फिर से बेचने या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्राप्त करता है।
- **'केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद' की स्थापना सलाहकार परिषद के रूप में की गई:** इसका कार्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा करने पर सलाह देना है।
    - **अध्यक्ष:** केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग का **प्रभारी मंत्री।**
- **'केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण' (CCPA) की स्थापना:** उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए एक **केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना** की गई है।
    - CCPA में एक **मुख्य आयुक्त** और निर्धारित संख्या में अन्य आयुक्त शामिल होंगे। इन्हें **केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।**
    - CCPA में **महानिदेशक की अध्यक्षता में एक इन्वेस्टिगेशन विंग** होगा, जिसका मुख्य कार्य जांच या अन्वेषण करना होगा।
- **बेहतर तरीके से विवाद निपटान की व्यवस्था:** इसमें मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के जरिए विवादों के निपटान एवं शिकायतों की ई-फाइलिंग को सक्षम बनाया गया है।

[19] Principle of proportionality

© Vision IAS

- **उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ (Consumer mediation cell):** इसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा।
    - यह **राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग** के प्रत्येक क्षेत्रीय पीठ के साथ-साथ संबंधित राज्य के **जिला और राज्य आयोग** के साथ संलग्न है।
- **उत्पाद दायित्व से संबंधित कार्रवाई:** इसे विनिर्माताओं, सेवा प्रदाताओं आदि के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जोड़ा गया है।
- **भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड**: CCPA द्वारा विनिर्माताओं या एंडोर्सर पर **10 लाख रुपये** तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और दो साल तक की कारावास की सजा हो सकती है।
    - दोबारा अपराध करने पर **50 लाख रुपये तक का जुर्माना** और **पांच साल तक की सजा** हो सकती है।

अन्य संबंधित तथ्य

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने गैर-कानूनी गतिविधियों के विज्ञापन पर एडवाइजरी जारी की

- यह एड्वाइजरी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार जारी की गई है। यह **अलग-अलग कानूनों के तहत प्रतिबंधित गैर-कानूनी गतिविधियों के विज्ञापन, प्रचार और समर्थन पर रोक लगाने** पर बल देती है।
- **एडवाइजरी जारी करने के पीछे कारण: बेटिंग या गैंबलिंग** जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों के प्रत्यक्ष रूप से या सरोगेट विज्ञापन के जरिए एंडोर्समेंट (समर्थन) के मामले बढ़ रहे हैं।
- **भारत में बैटिंग और गैंबलिंग का विनियमन**
    - यह **संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची** का एक **विषय** है।
        - राज्य सूची की **प्रविष्टि 34 और प्रविष्टि 62 में कराधान के उद्देश्य** से इसे शामिल किया गया है।
    - **पब्लिक गैंबलिंग एक्ट, 1867** नामक पुराने कानून के आधार पर अधिकांश राज्य सरकारों ने **अपने अधिकार क्षेत्र में बैटिंग और गैंबलिंग से निपटने के लिए अपने-अपने अलग कानून** बनाए हैं।
    - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने **ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफार्म्स के सरोगेट विज्ञापनों सहित अन्य विज्ञापनों** पर 2023 में **एड्वाइजरी** जारी की थी।

6.6. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम {Foreign Contribution (Regulation) Act}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि उन गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के **FCRA पंजीकरण के नवीकरण के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है या उनके पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है** जो विदेशी अंशदान का उपयोग **विकास-विरोधी गतिविधियों** में या **दुर्भावनापूर्ण विरोध प्रदर्शन** करने में या धर्मांतरण में करते हैं।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के बारे में

- विदेशी अंशदान का अर्थ है- **किसी विदेशी व्यक्ति/ संस्था द्वारा किसी वस्तु, मुद्रा या प्रतिभूति का दान, वितरण या हस्तांतरण।**
    - FCRA का **कार्यान्वयन केंद्रीय गृह मंत्रालय** द्वारा किया जाता है। किसी NGO की पूर्व की गतिविधियों की जांच के आधार पर अंशदान प्राप्ति को मंजूरी देने या खारिज करने में **गृह मंत्रालय को इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा सहायता प्रदान की जाती है** ।

2020 में संशोधन के बाद FCRA के प्रमुख प्रावधान:

<table>
<tr><th>विशेषता</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>विदेशी फंड</td><td>

विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति: NGO के पंजीकरण के साथ-साथ, इसके प्रत्येक पदाधिकारी का आधार नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
विदेशी धन प्राप्ति पर प्रतिबंध के मामले: (इन्फोग्राफिक देखिए)

</td></tr>
<tr><td>FCRA खाता</td><td>

निर्धारित FCRA खाता: विदेशी धन प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की मुख्य शाखा में खाता होना अनिवार्य है।
इस खाते में केवल विदेशी अंशदान ही प्राप्त या जमा किया जा सकता है, कोई अन्य पैसा नहीं। यह धन किसी अन्य व्यक्ति या NGO को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

</td></tr>
<tr><td>FCRA पंजीकरण की वैधता</td><td>
पंजीकरण की वैधता पांच वर्षों के लिए होगी। NGO को पंजीकरण की समाप्ति की तिथि से छह महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
</td></tr>
<tr><td>प्रशासनिक कार्य के लिए विदेशी अंशदान के उपयोग की सीमा</td><td>
निधि का उपयोग केवल उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया है। इस निधि की अधिकतम 20% राशि ही प्रशासनिक खर्च में उपयोग किया जा सकता है। पहले अधिकतम 50% राशि प्रशासनिक कार्यों में खर्च किया जा सकता था।
</td></tr>
<tr><td>वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना</td><td>
वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन करने पर सरकार जांच के बाद अप्रयुक्त विदेशी अंशदान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकती है।
</td></tr>
</table>

6.7. डाकघर अधिनियम, 2023 (Post Office Act, 2023)

इसके पारित होने के बाद **भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898** निरस्त हो गया है।

डाकघर अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र:

- **डाक सेवाओं के महानिदेशक (DGPS)** को भारतीय डाक (इंडिया पोस्ट) का **प्रमुख** नियुक्त किया जाएगा।
    - डाक सेवाओं के महानिदेशक के पास **सेवाओं के बदले शुल्क लगाने, डाक टिकटों की आपूर्ति और बिक्री जैसे मामलों पर नियम बनाने आदि से संबंधित शक्तियां** होंगी।

© Vision IAS

- **डाक द्वारा भेजे जा रहे संदिग्ध पार्सल को रोकने की शक्तियां:**
    - केंद्र सरकार **कुछ निर्धारित आधारों** पर भारतीय डाक के माध्यम से भेजे जा रहे किसी पार्सल को जब्त कर सकती है।
    - जिन आधारों पर पार्सल जब्त किया जा सकता है, उनमें **देश की सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, आपातकाल या लोक सुरक्षा** शामिल हैं।
- **जवाबदेही से उन्मुक्ति:** डाकघर अपने द्वारा **प्रदत्त सेवाओं के लिए जवाबदेह नहीं** होगा। हालांकि, कुछ निर्धारित प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में डाक विभाग को जवाबदेह बनाया गया है।
- इस अधिनियम में **किसी भी प्रकार के अपराध या दंड का प्रावधान नहीं** किया गया है।

भारत में ब्रिटिश काल के दौरान डाक व्यवस्था

- ईस्ट इंडिया कंपनी ने **1727** में अपना **पहला डाकघर** खोला था।
- गवर्नर जनरल **लॉर्ड डलहौजी** ने भारतीय डाकघरों को **राष्ट्रीय महत्त्व के एक अलग संगठन** के रूप में मान्यता दी थी।
- आज **कोलकाता में जिस जगह जनरल पोस्ट ऑफिस** है, वह पहले **फोर्ट विलियम** था।

7. सुर्ख़ियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक/ वैधानिक/ कार्यकारी निकाय (Important Constitutional/ Statutory/ Executive Bodies in News)

7.1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission: NHRC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र (UN) से संबद्ध **ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI)** ने लगातार दूसरे वर्ष भी भारत के **"राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)" को मान्यता (प्रत्यायन) प्राप्त मानवाधिकार निकाय का दर्जा स्थगित** कर दिया।

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की मान्यता

- उल्लेखनीय है कि भारत के NHRC को **1999 से ही GANHRI की ओर से "A-स्टेटस" के तहत मान्यता मिली** हुई थी। NHRC के **"A-स्टेटस"** को केवल एक बार यानी **2016** में स्थगित किया गया था, लेकिन इसे **2017** में GANHRI की प्रत्यायन उप-समिति (SCA) द्वारा पुनः बहाल कर दिया गया था।
- 2023 में, **NHRC की मान्यता को स्थगित** कर दिया गया था। GANHRI द्वारा मान्यता को स्थगित करने के कारणों में **कर्मचारियों और नेतृत्व में विविधता की कमी तथा हाशिए पर रहे समूहों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त कार्रवाई** का हवाला दिया गया था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)

GANHRI – Global Alliance of National Human Rights Institutions

HQ: जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड

GANHRI के बारे में: इसे राष्ट्रीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (ICC) के रूप में 1993 में स्थापित किया गया था, ताकि मानवाधिकारों का संरक्षण और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। वर्ष 2016 से इसे GANHRI के नाम से जाना जाता है

सदस्य: भारत सहित 120 सदस्य (दिसंबर, 2023 तक)

प्रत्यायन पर उप-समिति (Sub-Committee on Accreditation: SCA): SCA के जरिए GANHRI को पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन में NHRIs की समीक्षा करने और उन्हें मान्यता देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

- SCA में चार **GANHRI क्षेत्रीय समूहों में से प्रत्येक से "ए" स्टेटस प्राप्त एक संस्थान** शामिल है। ये चार क्षेत्रीय समूह हैं- अफ्रीका, अमेरिका, एशिया-प्रशांत और यूरोप।
- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR) SCA** का स्थायी पर्यवेक्षक है। यह GANHRI एवं SCA के सचिवालय के तौर पर भी कार्य करता है।

NHRC की संरचना

अध्यक्ष
- भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक **सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश**

5 पूर्णकालिक सदस्य
- **सुप्रीम कोर्ट** का एक सेवानिवृत्त या सेवारत **न्यायाधीश**
- किसी **हाई कोर्ट** का एक सेवानिवृत्त या सेवारत **मुख्य न्यायाधीश**
- **3 अन्य सदस्यों** (जिन्हें मानवाधिकारों के मामलों में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो) में से **एक महिला सदस्य** होगी।

7 डीम्ड सदस्य
- **अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बाल अधिकार संरक्षण और राष्ट्रीय महिला आयोग** के चेयरपर्सन।

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में

- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- **उत्पत्ति:** यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक **सांविधिक** निकाय है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में **2006 और 2019 में संशोधन** किया गया था।

© Vision IAS

- ○ यह अधिनियम मानवाधिकारों को **व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों** के रूप में परिभाषित करता है। इन **अधिकारों की गारंटी संविधान** द्वारा दी गई है या इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में शामिल किया गया है। साथ ही, भारत में **न्यायालयों द्वारा इन्हें लागू** किया जा सकता है।
- **नियुक्ति:** आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के **राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों** पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं:
  - ○ लोक सभा अध्यक्ष;
  - ○ गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री;
  - ○ लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेता; तथा
  - ○ राज्य सभा का उपसभापति।
- **कार्यकाल:** NHRC के अध्यक्ष और सदस्य **3 साल या 70 वर्ष की आयु तक,** जो भी पहले हो, **पद पर बने रहेंगे।**
  - ○ अध्यक्ष और सदस्य दोनों **पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र** हैं।
- **पद से हटाना:** अध्यक्ष और सदस्यों दोनों को **सुप्रीम कोर्ट से परामर्श के बाद सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश** से पद से हटाया जा सकता है।
- **NHRC की शक्तियां:** इसके पास **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के तहत और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक **सिविल न्यायालय** की सभी शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात्:
  - ○ **गवाहों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना** तथा शपथ पर उनकी जांच करना;
  - ○ किसी भी दस्तावेज की **खोज और प्रस्तुति**;
  - ○ हलफनामों पर **साक्ष्य प्राप्त करना;**
  - ○ किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी **सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतिलिपि की मांग करना;**
  - ○ गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए **कमीशन नियुक्त** करना।

7.2. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation: CBI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच को लेकर केंद्र के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार **(पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ वाद, 2024)** की है। इस मुकदमे में पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार पर **राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना मामले की एकतरफा तरीके से CBI से जांच करवाने का आरोप** लगाया है। ज्ञातव्य है कि **पश्चिम बंगाल** ने 2018 में राज्य में जांच के मामले में **CBI को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस** ले ली थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- पश्चिम बंगाल ने यह मुकदमा संविधान के **अनुच्छेद 131** के तहत दायर किया है। राज्य के अनुसार **राज्य की पूर्व सहमति के बिना मामले की एकतरफा तरीके से CBI से जांच करवाने का केंद्र का निर्णय संविधान का अतिक्रमण और संघवाद का उल्लंघन है।**
  - ○ **अनुच्छेद 131** के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय देने का मूल अधिकार-क्षेत्र है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी स्थापना **1963** में हुई थी। इसकी स्थापना की सिफारिश **भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति (1962-64)** द्वारा की गई थी।
- **मंत्रालय:** यह **कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय** के अधीन कार्यरत है।
- **स्थिति:** यह एक **गैर-वैधानिक एवं गैर-संवैधानिक संस्था** है। यह **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946** द्वारा शासित होती है।
- **कार्यप्रणाली:** CBI भारत में **प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी** है। यह **इंटरपोल** के सदस्य देशों की ओर से **जांच का समन्वय** करती है।
- **आदर्श वाक्य (Motto):** उद्यमिता, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा (Industry, Impartiality and Integrity)।
- **विज़न: सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकना;** सावधानीपूर्वक जांच और अभियोजन के माध्यम से आर्थिक एवं हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना; **साइबर व उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अपराध से लड़ना** आदि।
- **संरचना (Composition):** निदेशक (विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशक द्वारा सहायता प्राप्त), संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी सामान्य रैंक के पुलिस कर्मी।
    - CBI निदेशक का चयन करने वाली समिति में प्रधान मंत्री (अध्यक्ष), लोक सभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता (सदस्य) और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश (सदस्य) शामिल होते हैं।
    - 2021 में, राष्ट्रपति ने CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशकों के कार्यकालों को **दो साल के निश्चित कार्यकाल से बढ़ाकर पांच साल तक बढ़ाने** के लिए दो अध्यादेश जारी किए थे।
- **CBI द्वारा जांच किए जाने वाले मामलों के प्रकार:** भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, विशेष अपराध और स्वत: संज्ञान।

7.3. लोकपाल (Lokpall)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के लोकपाल ने अपने **वैधानिक कार्यों का निर्वहन** करने के लिए **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत एक इन्क्वायरी विंग** का गठन किया है।

लोकपाल के बारे में

- **स्थापना और उद्देश्य:** यह **भ्रष्टाचार-रोधी संस्था** है। इसे लोक सेवकों से जुड़े **भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने तथा उन पर मुकदमा चलाने** के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 द्वारा स्थापित किया गया है।
    - **प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC),** दोनों ने **लोकपाल संस्था की स्थापना** की सिफारिश की थी।
    - **राज्य स्तर** पर **लोकायुक्त** का गठन किया जाता है। इसकी संरचना सभी राज्यों में एक समान नहीं है।
        - **लोकायुक्त की नियुक्ति: राज्यपाल** द्वारा (आम तौर पर संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता के परामर्श से)।
- **लोकपाल की संरचना:** लोकपाल में **एक अध्यक्ष** {वर्तमान या भूतपूर्व **भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI)** या सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या भूतपूर्व **न्यायाधीश**} और **8 सदस्य** होते हैं। लोकपाल के 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होते हैं। इनकी नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है।
    - **न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (2019) भारत के प्रथम लोकपाल** थे। **न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर** वर्तमान लोकपाल हैं।
    - लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति **चयन समिति की सिफारिशें** प्राप्त करने के बाद की जाएगी।
    - उनका कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से **पांच वर्ष** या **70 वर्ष की आयु** प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) का होता है।
    - लोकपाल का अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में **पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं** होंगे।
        - हालांकि, **लोकपाल का कोई सदस्य** लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा, यदि सदस्य के रूप में उसका कुल कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो।

लोकपाल के दो विंग

विंग	विवरण
इन्क्वायरी विंग	• **उद्देश्य:** किसी भी **लोक सेवक द्वारा किए गए ऐसे कथित भ्रष्टाचार की प्रारंभिक जांच** करना, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय है। • **समय-सीमा: 60 दिनों के भीतर** लोकपाल को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना। • **संरचना:** यह विंग लोकपाल के अधीन कार्यरत **जांच निदेशक** की अध्यक्षता में काम करेगी। ○ निदेशक को **3 पुलिस अधीक्षकों (SPs)- SP (सामान्य), SP (आर्थिक व बैंकिंग) और SP (साइबर)** द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। ○ प्रत्येक SP को **जांच अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों** द्वारा आगे सहायता प्रदान की जाएगी। • **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के तहत इसके पास **सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां** होंगी।

अभियोजन विंग	• इसका अध्यक्ष एक **अभियोजन निदेशक** होता है। यह विंग लोकपाल द्वारा किसी भी शिकायत पर लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाता है। • अभियोजन निदेशक विशेष न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर मामला दायर करेगा और **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988 के तहत दंडनीय** किसी भी अपराध के संबंध में लोक सेवकों पर मुकदमा चलाएगा।

लोकपाल की शक्तियां

- लोकपाल द्वारा **CBI सहित किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी** को जांच के लिए प्रेषित मामलों के संबंध में उन एजेंसियों पर निगरानी रखना और उन्हें निर्देश देना।
- किसी भी दस्तावेज/ रिकॉर्ड की तैयारी/ संरक्षण का दायित्व संभालने वाले **लोक सेवक को ऐसे दस्तावेज की सुरक्षा/ सार्वजनिक होने से रोकथाम के लिए उचित निर्देश जारी** करना आदि।
- इसे भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रारंभिक जांच और अन्वेषण करने के लिए **सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियां** प्राप्त हैं।
- ऐसे मामलों में जहां निर्णय में **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988** से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले शामिल होते हैं, वहां **लोकपाल** किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का लोकपाल का क्षेत्राधिकार

प्रधान मंत्री, या केंद्र सरकार में मंत्री, या संसद सदस्य, और ग्रुप A, B, C, D के तहत केंद्र सरकार के अधिकारी	किसी भी **बोर्ड, निगम, सोसायटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और निदेशक,** जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हैं या पूर्ण/ आंशिक रूप से संघ या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है	कोई भी **सोसायटी, ट्रस्ट या निकाय जो 10 लाख रुपये से अधिक विदेशी अंशदान** प्राप्त करता है

7.4. सुर्ख़ियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण संगठन (Other Important Organisation in News)

7.4.1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes: NCBC)

NCBC राज्य की OBCs सूची की समीक्षा कर रहा है।

NCBC के बारे में

संवैधानिक निकाय: 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के तहत संविधान में जोड़े गए **अनुच्छेद 338B** के तहत।
- **अनुच्छेद 338B** के तहत, केंद्र और प्रत्येक राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वे OBCs के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर NCBC से परामर्श करें।

संरचना: एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य, जिनकी **नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा** की जाती है। उनकी **सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।**

शक्तियां: आयोग के पास **सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां** होती हैं।

NCBC के प्रमुख कार्य
- पिछड़े वर्गों के लिए रक्षोपायों की जांच और निगरानी करना
- पिछड़े वर्गों द्वारा अधिकारों से वंचित होने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना
- OBCs के सामाजिक-आर्थिक विकास पर सलाह देना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना
- OBCs की उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्य करना, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्दिष्ट करे
- पिछड़े वर्गों के लिए रक्षोपायों को लागू करने के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करना और सिफारिशें करना

© Vision IAS

7.4.2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes: NCSC)

हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) को सिविल या क्रिमिनल कोर्ट की तरह जांच करने या कोई निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है।**

NCSC के बारे में

यह संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है।

संरचना: भारत के **राष्ट्रपति** द्वारा नियुक्त एक **अध्यक्ष,** एक **उपाध्यक्ष** और **तीन अन्य सदस्य।**

कार्यकाल: ये **3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं और 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति हेतु पात्र नहीं** होते हैं।

कार्य:
- अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित **सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करना।**
- **अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने** वाली शिकायतों की जांच करना।

7.4.3. संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission: UPSC)

हाल ही में, UPSC के अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पांच साल पहले ही इस्तीफा दे दिया।

UPSC के बारे में

अनुच्छेद 315 में यह उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

UPSC के अध्यक्ष के बारे में (अनुच्छेद 316)

नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा

कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)

नियुक्ति के लिए पात्रता: केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन **कम-से-कम दस वर्षों तक सरकारी सेवा में कार्य** का अनुभव।

सेवानिवृति के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन **नियोजन यानी रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा।**

पद से हटाया जाना: निम्नलिखित परिस्थितियों में **राष्ट्रपति** द्वारा:
- यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो;
- यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य सवेतन नियोजन या रोजगार में संलग्न हो;
- यदि वह मानसिक या शारीरिक विकृति के कारण पद पर बने रहने के लिए अक्षम हो।

7.4.4. राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission: SFC)

केरल में राज्य मंत्रिमंडल ने सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

राज्य वित्त आयोग (SFC) के बारे में

- संविधान का **अनुच्छेद 243(I)** राज्य के राज्यपाल को **हर पांच साल में एक वित्त आयोग** गठित करने का अधिकार देता है।
    - अनुच्छेद 243(I) **73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
- राज्य वित्त आयोग **पंचायती राज संस्थानों** की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। साथ ही, यह **निम्नलिखित विषयों पर सिद्धांतों की सिफारिश भी करता है:**
    - राज्य की निवल कर आय का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण;
    - पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों, टोल और प्रशुल्कों का निर्धारण;
    - राज्य संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान।
- **अनुच्छेद 243(Y)** में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य वित्त आयोग **नगरपालिकाओं के लिए भी इसी तरह की सिफारिशें** करेगा।

7.4.5. केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission: CVC)

हाल ही में, CVC ने अपनी **वार्षिक रिपोर्ट 2023** में मंत्रालयों/ विभागों/ विभिन्न क्षेत्रों से सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त और निपटाई गई भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जानकारी प्रस्तुत की।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह **CVC अधिनियम, 2003** के तहत एक **सांविधिक निकाय है।**
    - इसकी **स्थापना 1964** में हुई थी। इसे भ्रष्टाचार निवारण पर **के. संथानम समिति** की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से स्थापित किया गया था।
        - 1998 में, इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश के माध्यम से वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।
- **सदस्य: 3 सदस्यीय निकाय-** एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त।
- **नियुक्ति:** उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस समिति में प्रधान मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय गृह मंत्री (सदस्य) और लोक सभा में विपक्ष के नेता (सदस्य) शामिल होते हैं।
- **भूमिका एवं कार्य**
    - केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सतर्कता संबंधी प्रशासन की निगरानी करता है।
    - विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों के लिए **लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्रारंभिक जांच** करता है।
    - भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों आदि की जांच में **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के काम-काज की देखरेख** करता है।

© Vision IAS

7.4.6. विधि आयोग (Law Commission)

राष्ट्रपति ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 23वें विधि आयोग का गठन तीन साल यानी **1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक** के कार्यकाल के लिए किया गया है।

Law Commission of India

23वें विधि आयोग के बारे में

- **सौंपे गए कार्य:** भारतीय विधिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना।
- **संरचना:** इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य और अतिरिक्त पदेन एवं अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे।

भारतीय विधि आयोग के बारे में

इतिहास: विधि आयोग का गठन पहली बार 1834 में गवर्नर-जनरल द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग को चार्टर एक्ट, 1833 के तहत दिए गए अधिकारों के आधार पर गठित गया था।

प्रकार: यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है।

उद्देश्य: समाज में न्याय सुनिश्चित करने तथा विधि के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कानूनों में सुधार हेतु सिफारिश करना।

कार्य: यह विधिक विषयों पर रिसर्च करता है और विचारार्थ विषयों (Terms of Reference) के आधार पर सिफारिशें प्रदान करता है।

7.4.7. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग (Niti Aayog)

नीति आयोग ने अपनी स्थापना की 10 वीं वर्षगांठ मनाई।

NITI Aayog

नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति/ NITI) आयोग के बारे में

उत्पत्ति: यह सरकार का एक थिंक-टैंक है। इसका गठन 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के जरिए किया गया था। इसका गठन योजना आयोग की जगह किया गया है।

संरचना:

- **अध्यक्ष:** भारत का प्रधान मंत्री
- **गवर्निंग काउंसिल:** नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में अग्रलिखित शामिल होते हैं- **प्रधान मंत्री;** सभी राज्यों और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के **मुख्यमंत्री;** अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के **उपराज्यपाल;** नीति आयोग के **पदेन सदस्य;** नीति आयोग का **उपाध्यक्ष;** नीति आयोग के **पूर्णकालिक सदस्य; विशेष आमंत्रित सदस्य; आदि।**
  - **पदेन सदस्यों** में प्रधान मंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम **4 सदस्य** शामिल होते हैं।
  - **विशेष आमंत्रित सदस्यों** में प्रधान मंत्री द्वारा नामित प्रासंगिक क्षेत्रक का ज्ञान रखने वाले **एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट्स और प्रैक्टिशनर्स** शामिल होते हैं।
- **क्षेत्रीय परिषदें (Regional Councils):** इनका काम एक से अधिक राज्य या किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विशिष्ट समस्याओं और आपात स्थितियों या आकस्मिकताओं का समाधान करना है।
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO):** इस पद पर भारत सरकार के **सचिव रैंक** के अधिकारी को प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। CEO को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

इसे मुख्य रूप से दो तरह के काम सौंपे गए हैं:

- देश में **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाने** एवं उन्हें **हासिल करने** की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की निगरानी करना; तथा
- राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच **प्रतिस्पर्धात्मक** और **सहकारी संघवाद** को बढ़ावा देना।

नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट: SDG इंडिया इंडेक्स; राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक; सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन -SATH-E रिपोर्ट; निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index); आदि।

7.4.8. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (Universal Postal Union: UPU)

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह **बर्न की संधि द्वारा 9 अक्टूबर, 1874 को जनरल पोस्टल यूनियन** के रूप में स्थापित हुआ था।
  - UPU, **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के बाद दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।** ITU **1865 में स्थापित** हुआ था।
  - UPU की स्थापना के अवसर पर **प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस (World Post Day)** मनाया जाता है।
- **मुख्यालय:** बर्न (स्विट्जरलैंड)
- **सदस्य:** 192 देश; भारत इसके सबसे पुराने और सबसे सक्रिय सदस्यों में शामिल है।
- UPU **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।**

8. गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू (Important Aspects of Governance)

8.1. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 {Right to Information (RTI) Act, 2005}

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2025 में **"सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005"** को लागू हुए **20 साल** पूरे हो जाएंगे। इसलिए, इसके प्रभाव और RTI अधिनियम के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

RTI अधिनियम, 2005 के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह अधिनियम **जून, 2005** में पारित हुआ था और **अक्टूबर, 2005 में लागू** हुआ था।
- **उद्देश्य:** यह अधिनियम नागरिकों को **लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार** प्रदान करता है।
- **समन्वयक एजेंसी:** कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MoPPG&P) के तहत **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।**
- **पृष्ठभूमि:**
    - सूचना के अधिकार को **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा; नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा**[20] तथा **आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि** में मानवाधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है।
    - भारत ने प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए **"फ़्रीडम ऑफ़ इन्फ़ॉर्मेशन एक्ट, 2002"** पारित किया था।
    - बाद में, **RTI अधिनियम, 2005** ने **फ़्रीडम ऑफ़ इन्फ़ॉर्मेशन एक्ट, 2002** का स्थान ले लिया।
    - सुप्रीम कोर्ट ने **'राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाद'** में सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार** के रूप में स्थापित किया।

RTI अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

विशेषता	विवरण
संस्थागत ढांचा	• **केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग:** इनका कार्य इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना और सूचना प्रदान न करने से संबंधित अपीलों का निपटान करना है। ○ **केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य**: एक **मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner: CIC)** और सूचना आयुक्त (IC) (अधिकतम 10)। ○ **CIC और ICs की नियुक्ति: एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा।** इस समिति की संरचना इस प्रकार है: ▪ **प्रधान मंत्री** (समिति के अध्यक्ष); लोकसभा में **विपक्ष का नेता;** प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक **केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।** ○ **CIC और ICs का कार्यकाल**: तीन वर्ष की अवधि। • **केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (PIO) और राज्य PIOs:** सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अपने अधीन सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में इस अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए PIO की नियुक्ति की जाती है।
प्रदान किए गए अधिकार	• **प्रत्येक नागरिक** को **लोक प्राधिकरणों (Public authority)** से जानकारी मांगने का अधिकार है। • **लोक प्राधिकरणों के दायित्व (धारा 4):** RTI अधिनियम की धारा 4 लोक प्राधिकरणों पर कुछ विशिष्ट दायित्वों को निर्धारित करती है। धारा 4 कुछ विशिष्ट श्रेणियों की सूचना को **सक्रिय रूप से खुलासा करने का प्रावधान** करती है।

[20] International Covenant on Civil and Political Rights

किन पर लागू है	• **RTI अधिनियम** देश के सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू है। इसमें संविधान के तहत स्थापित या संसद या राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाए गए कानून या उचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/ आदेश से स्थापित सभी सरकारी प्राधिकरण/ संस्थाएं/ निकाय शामिल हैं। ○ इसमें सरकारी निकाय, राज्य-नियंत्रित निकाय तथा केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त-पोषित गैर सरकारी संगठन** भी शामिल हैं। • हाल ही में, मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि **तमिलनाडु सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1983** के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** की धारा 2(h) के तहत **"लोक प्राधिकरण" नहीं** हैं। • 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि **भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद** 'लोक प्राधिकरण (PA)' में शामिल है।
सूचना के प्रकाशन या खुलासा या प्रकटीकरण (Disclosure) से छूट	• **धारा 8:** कुछ सूचना को प्रकटीकरण करने से छूट दी गई है (इन्फोग्राफिक देखिए)। • **दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ खुफिया इकाइयां और सुरक्षा संगठन:** इसमें 27 संगठन शामिल हैं, जैसे - कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In), इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, आदि। 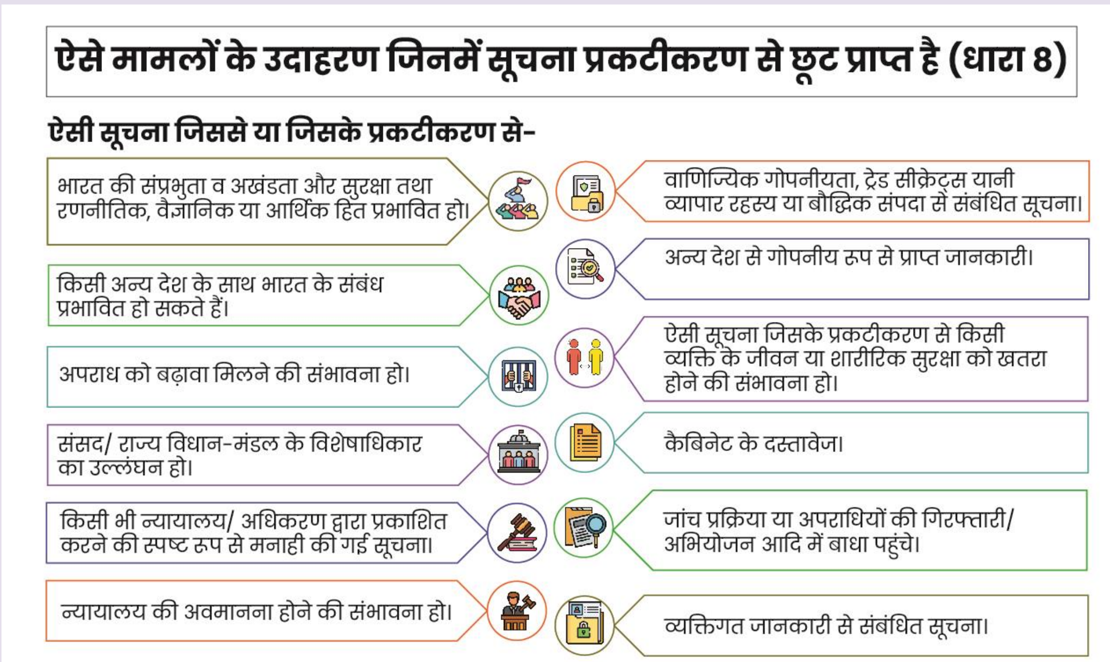
न्यायिक अधिकार क्षेत्र	• **निचली अदालतों को मुकदमों या आवेदनों पर विचार करने से रोक** दिया गया है। • हालांकि, संविधान के **अनुच्छेद 32 व 225 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के रिट क्षेत्राधिकार अप्रभावित** रहते हैं।
अन्य प्रमुख प्रावधान	• **दंड:** सूचना प्रदान करने में विफलता तथा गलत, अधूरी या अपूर्ण जानकारी देने पर दंड का प्रावधान किया गया है। • **सूचना प्रदान करने की समय-सीमा:** अनुरोध प्राप्त होने के **30 दिनों** के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए; जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में, इसे **48 घंटे के भीतर प्रदान** करना होगा। • **अपीलें:** यदि PIO द्वारा अनुरोध को अस्वीकृत या बिना उचित कारण के ख़ारिज किया जाता है, तो नागरिक इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं।
संशोधन	• **सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019** के जरिए केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों (Information Commissioners: ICs) की सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है।

	○ इसने **केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों (मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त) की सेवा शर्तों, वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित** करने का अधिकार प्रदान किया है। • **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP)[21] अधिनियम, 2023:** इसने **RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j)** में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत **सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट** दी गई है।

8.2. आधार (Aadhaar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि **आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, परंतु यह जन्मतिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं है।**

आधार की प्रमुख विशेषताएं

- **विशिष्टता:** आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है। किसी भी नागरिक के पास इसकी डुप्लिकेट संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत बायोमेट्रिक्स से जुड़ी होती है।
  - यह **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है।** इसे **UIDAI द्वारा निष्क्रिय** किया जा सकता है या **हटाया** भी जा सकता है।
- **क्रमरहित संख्या:** आधार नामांकन प्रक्रिया में जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य, भूगोल आदि जैसे विवरण शामिल नहीं हैं।
- **पते और पहचान का प्रमाण:** यह भारत के निवासियों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। हालांकि, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
- **व्यापक प्रौद्योगिकी अवसंरचना:** UID की अवसंरचना ओपन और स्केलेबल है। इसमें नागरिक का डेटा केंद्रीय रूप से भंडारित किया जाता है। इसे देश में कहीं से भी ऑनलाइन प्रमाणित किया जा सकता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण:** UID से जुड़े बैंक खातों का नेटवर्क निवासियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए एक सुरक्षित और कम लागत वाला मंच प्रदान करता है।
- **लक्षित डिलीवरी:** केंद्र/ राज्य सरकार, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से वित्त पोषित योजनाओं के तहत लाभ/ सब्सिडी प्रदान करने के लिए लाभार्थियों का आधार नंबर सत्यापन अनिवार्य कर सकती है (आधार अधिनियम, 2016)।

[21] Digital Personal Data Protection

आधार अधिनियम की संवैधानिकता (न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद)

- **आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016** को **सुप्रीम कोर्ट में चुनौती** दी गई थी। इस चुनौती का आधार अधिनियम को **धन विधेयक के रूप में पारित** करना और इसलिए इस प्रक्रिया में **संसद के ऊपरी सदन को महत्त्व नहीं** दिया जाना था।
- के. एस. पुट्टास्वामी वाद से जुड़े निर्णय (2018) में सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की **संवैधानिकता** की पुष्टि की थी।
- **कोर्ट के निर्णय के मुख्य निष्कर्ष:**
    - आधार **मेटाडेटा को छह महीने से अधिक समय तक संग्रहीत नहीं** किया जा सकता है।
    - यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत प्रदत्त **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं** करता है।
    - **समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य** होगा। इसे लोगों पर **बैंक खाता खुलवाने या मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं थोपा** जा सकता है।
    - राज्य, **आधार डेटा साझा करने के लिए निजी कंपनियों के साथ अनुबंध नहीं कर सकता,** क्योंकि यह 'निजता के अधिकार' का उल्लंघन है।

8.3. केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme: CSS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, व्यय संबंधी सुधारों के भाग के रूप में **नीति आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में सुधार की प्रक्रिया** शुरू की है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) के बारे में

- **परिभाषा:** CSSs ऐसी योजनाएं हैं, जिन्हें **केंद्र और राज्य द्वारा 'संयुक्त रूप से वित्त-पोषित'** किया जाता है। इन्हें संविधान की **राज्य सूची व समवर्ती सूची में आने वाले क्षेत्रकों में राज्यों की सहायता से कार्यान्वित** किया जाता है।
- **विशेषताएं:** CSSs का वर्तमान ढांचा **CSS के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की रिपोर्ट (2015)** पर आधारित है।
    - **फोकस:** CSS का फोकस उन योजनाओं पर रहता है, जिन्हें **विज़न 2022** को साकार करने के लिए **राष्ट्रीय विकास एजेंडा** में शामिल किया गया है। इसके तहत केंद्र और राज्यों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होती है।

 © Vision IAS

- **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में **75 केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSSs) चल रही हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार, मौजूदा समय में केंद्र सरकार अपने **कुल बजटीय व्यय का लगभग 10.4% वर्तमान में चल रही 75 CSSs** पर खर्च करती है।

- **वित्त-पोषण:** राज्यों को CSSs के लिए सभी हस्तांतरण **राज्य की संचित निधि** के माध्यम से किए जाते हैं। इसका अर्थ है यह कि धनराशि सीधे राज्य के प्राथमिक सरकारी खाते में जमा की जाती है।
    - 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों और 2017 से योजना व गैर-योजना भेद को समाप्त करने के बाद, CSSs तथा केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाएं **संघ द्वारा राज्यों को विशेष उद्देश्य हेतु फंड ट्रांसफर का प्राथमिक साधन** बन गई हैं।
- **'कोर' योजनाओं के लिए वित्त-पोषण का ढांचा:**
    - **8 पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्य:** योजना के वित्त-पोषण में केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी **90:10** के अनुपात में तय की गई है।
    - **अन्य राज्य:** योजना के वित्त-पोषण में केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी **60:40** के अनुपात में तय की गई है।
    - **केंद्र शासित प्रदेश:** जिन केंद्र शासित प्रदेशों में **विधान सभा नहीं** है, वहां **100%** वित्त-पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- **निगरानी:** संघ एवं राज्यों के साथ-साथ **नीति आयोग** को भी CSSs की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है और वह **थर्ड पार्टी मूल्यांकन** की देखरेख भी करता है।

8.4. मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **क्षमता निर्माण आयोग (CBC)**[22] **की स्थापना के तीन वर्ष पूरे** हुए। इसका गठन **राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB)**[23]**-मिशन कर्मयोगी** के हिस्से के रूप में 2021 में किया गया था।

NPCSCB-मिशन कर्मयोगी के बारे में

- NPCSCB का उद्देश्य एक ऐसी **पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भविष्योन्मुखी सिविल सेवा का निर्माण करना** है जो भारत की विकास संबंधी आकांक्षाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो।
- इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और एजेंसियों के **सभी सिविल सेवक (अनुबंधित कर्मचारियों सहित) शामिल हैं।**
- **मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शक सिद्धांत**
    - **नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की ओर बदलाव।**
    - **क्षमता विकास के लिए योग्यता-आधारित दृष्टिकोण को अपनाना।**
    - **70-20-10 अधिदेश:** 70 प्रतिशत सीखना नौकरी के अनुभवों और चिंतन से आता है; 20 प्रतिशत सीखना दूसरों के साथ काम करने से आता है; और 10 प्रतिशत नियोजित प्रशिक्षण से आता है।
    - **सरकार में अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना।**

---

[22] Capacity Building Commission

[23] National Programme for Civil Services Capacity Building

- **एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT)[24] कर्मयोगी प्लेटफॉर्म:** यह मिशन कर्मयोगी के लिए लॉन्चपैड के रूप में कार्य करता है।
  - यह एक **व्यापक ऑनलाइन मंच** है। यह सिविल सेवा अधिकारियों को उनकी **क्षमता-निर्माण के प्रयासों में मार्गदर्शन** प्रदान करता है।
  - iGOT-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के सभी उपयोगकर्ताओं के **प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार** पर किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत लर्नर, पर्यवेक्षक, सामग्री प्रदाता और निर्माता शामिल हैं।

क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission: CBC)

उत्पत्ति: इसका गठन 2021 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के जरिए किया गया था। **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT)** ने यह अधिसूचना जारी की थी।

CBC के बारे में: इसे एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर गठित किया गया है। आयोग को **पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता** प्राप्त है।

संरचना: इसमें **तीन सदस्य (1 अध्यक्ष और 2 सदस्य)** शामिल हैं। इन्हें एक **सचिव** (भारत सरकार के संयुक्त सचिव ग्रेड का एक अधिकारी) की अध्यक्षता वाले आंतरिक सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह सचिव आयोग का भी सचिव होता है।

- सदस्यों को विविध पृष्ठभूमि से नियुक्त किया जाता है, ताकि वे राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, शिक्षा जगत आदि का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकें।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य सहयोगात्मक और साझा नज़रिया अपनाते हुए विश्वसनीय एवं समान दृष्टिकोण वाले क्षमता निर्माण को आकार देना है।

कार्य और जिम्मेदारियां:

- विभागों, मंत्रालयों और एजेंसियों की **वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार** करने में सुविधा प्रदान करना;
- **सिविल सेवाओं की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट** तैयार करना;
- मिशन के **ज्ञान भागीदारों का अनुमोदन** करना; तथा
- क्षमता में सुधार और साझा संसाधनों के निर्माण के लिए एक सामंजस्यपूर्ण व एकीकृत दृष्टिकोण विकसित हो सके।

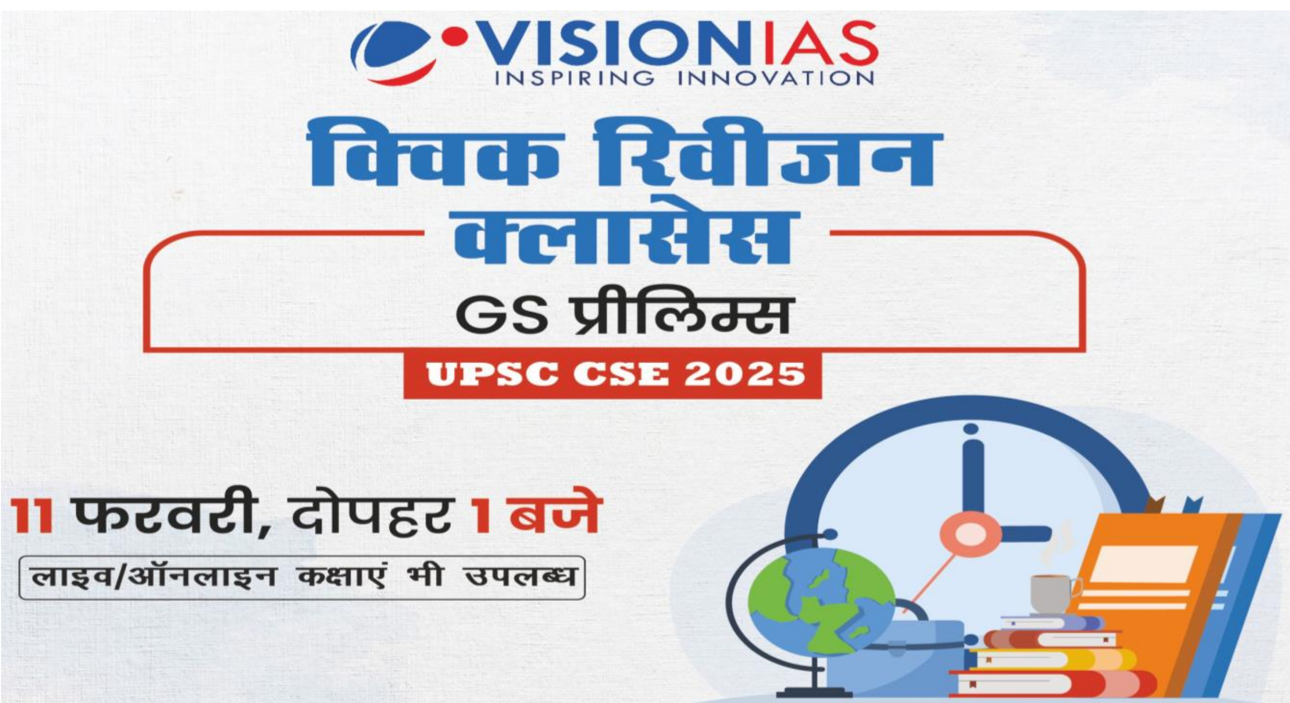

[24] Integrated Government Online Training

8.5. शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism: GRM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MoPPG&P)** ने लोक शिकायतों से निपटने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र को **समयबद्ध, सुलभ और सार्थक** बनाना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **लोक शिकायतों के निवारण के लिए दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**
  - सभी मंत्रालयों/ विभागों में **लोक शिकायतों के समाधान हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति** की जाएगी। ये अधिकारी शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक समाधान सुनिश्चित करेंगे।
  - प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग में योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी रखने वाले डेडिकेटेड **शिकायत प्रकोष्ठ (Grievance Cells)** स्थापित किए जाएंगे।
  - प्रभावी शिकायत निवारण की **मौजूदा समय-सीमा 30 दिन से घटाकर 21 दिन** कर दी गई है।
  - मंत्रालयों/ विभागों की रैंकिंग के लिए मासिक आधार पर **शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक (GRAI)** जारी किया जाएगा।
    - **GRAI** को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (**DARPG**) ने परिकल्पित और डिजाइन किया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक संगठन की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करना तथा शिकायत निवारण तंत्र (GRM) से संबंधित मजबूत और सुधार के क्षेत्रों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करना है।

शिकायत निवारण तंत्र (GRM) के बारे में

- किसी संगठन का शिकायत निवारण तंत्र **उसकी प्रभावशीलता के मापन हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपकरण** है, क्योंकि यह किसी भी संगठन के काम-काज के बारे में फीडबैक प्रदान करता है।
- **केंद्र सरकार के स्तर पर शिकायतों से निपटने के लिए दो नामित नोडल एजेंसियां हैं:**
  - MoPPG&P के अधीन **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG);** तथा
  - कैबिनेट सचिवालय के अधीन **लोक शिकायत निदेशालय**[25]**।**
- CPGRAMS **24x7 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** है। यह नागरिकों को सेवा वितरण से जुड़े किसी भी विषय पर लोक अधिकारियों के समक्ष **अपनी शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान** करता है।
  - यह भारत सरकार और राज्यों के **सभी मंत्रालयों/ विभागों से जुड़ा एक सिंगल पोर्टल** है। इस पोर्टल की खास विशेषता यह है कि यह अधिकारियों को शिकायतों तक **भूमिका-आधारित पहुंच** प्रदान करता है।
- **राज्यों में शिकायत निवारण तंत्र:** जिला स्तर पर, **जिला मजिस्ट्रेट** को सामान्यतः **जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी** के रूप में नामित किया जाता है। कुछ राज्यों में, **जिला पंचायतों ने** अपने स्वयं के **लोक शिकायत निवारण तंत्र** भी गठित किए हैं।

शिकायत निवारण के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **संवैधानिक और वैधानिक संस्थान:** भारत में ऐसे कई संस्थान **(CVC, लोकायुक्त, NHRC, SHRC आदि)** हैं जिन्हें भ्रष्टाचार, लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग, मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में लोक सेवक के आचरण में लापरवाही आदि से जुड़ी **शिकायतों की जांच करने का अधिकार** है।
- **प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति/ PRAGATI):** यह एक बहु-उद्देश्यीय और मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म है। इसे **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY)** ने स्थापित किया है। इसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना है।
- **ई-निवारण:** यह **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड** की एक पहल है। इसका उद्देश्य करदाताओं की शिकायतों को तेजी से ट्रैक करना और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है।

[25] Directorate of Public Grievances

- **सेवोत्तम मॉडल:** इसे लोक सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विकसित किया गया है। **इसमें 3 मॉड्यूल शामिल हैं:** सिटीजन चार्टर, **शिकायत निवारण तंत्र** और सेवा वितरण करने के लिए क्षमता निर्माण।

8.6. जन योजना अभियान (Jan Yojana Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **पंचायती राज मंत्रालय** ने **जन योजना अभियान** शुरू किया है। इसे **2025-26** की अवधि के लिए **ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDPs)**[26] बनाने के लिए आरंभ किया गया है।

जन योजना अभियान (People's Plan Campaign) के बारे में

- **उद्देश्य:** पंचायत के विकास से संबंधित योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया में **लोगों की भागीदारी** को बढ़ाना।
- **आरंभ:** इसे पहली बार **2 अक्टूबर, 2018** को **पंचायती राज मंत्रालय** ने **"सबकी योजना सबका विकास"** के रूप में शुरू किया था।
- **कार्यान्वयन:** पंचायतों के **सभी तीन स्तरों पर इसका कार्यान्वयन** किया जाएगा। इसे **निर्वाचित प्रतिनिधियों, अग्रिम पंक्ति के सरकारी कर्मियों, समुदाय आधारित संगठनों {जैसे- स्वयं सहायता समूहों (SHGs)} और अन्य हितधारकों** की सक्रिय भागीदारी के साथ सफल बनाया जाएगा।
- **जन योजना अभियान के मुख्य घटक:**
  - **वित्त वर्ष 2025-26** के लिए **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP), ब्लॉक पंचायत विकास योजना** और **जिला पंचायत विकास योजना** तैयार करने हेतु सुनियोजित तरीके से गठित **वार्ड सभा/ महिला सभा/ ग्राम सभा/ ब्लॉक सभा/ जिला सभा** का आयोजन किया जाएगा।
  - **ग्राम सभा-वार कैलेंडर तैयार** करना तथा **पंचायत विकास सूचकांक (PDI)** के आधार पर **विषयगत विकास संबंधी अंतरालों की पहचान करना,** जिसे ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
    - थिमैटिक या विषयगत एप्रोच **'समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण'** को अपनाकर **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीयकरण पर आधारित** है।
    - पंचायत विकास सूचकांक (PDI) एक **मल्टी-डोमेन और मल्टी-सेक्टोरल इंडेक्स** है। इसका उपयोग पंचायतों के **समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन** करने के लिए किया जाता है।
  - **समावेशी भागीदारी:** ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में सहायता के लिए युवाओं और 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को शामिल कर समावेशी भागीदारी पर भी जोर दिया गया है।
  - मंजूरी प्राप्त प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को **ई-ग्राम स्वराज पोर्टल** पर प्रकाशित किया जाएगा।

[26] Gram Panchayat Development Plans

8.7. स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा (Auditing of Local Bodies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **गुजरात के राजकोट में "स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (iCAL)[27]"** का उद्घाटन किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। इस केंद्र का उद्देश्य **स्थानीय शासन निकायों की लेखा परीक्षा (Audit) के लिए वैश्विक मानक** निर्धारित करना है।
- **स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (iCAL) के बारे में:**
  - यह **नीति-निर्माताओं और लेखा परीक्षकों (Auditors) के बीच सहयोग के एक मंच** के रूप में कार्य करेगा। साथ ही, यह लेखा परीक्षकों के क्षमता निर्माण के लिए **"उत्कृष्टता केंद्र" (Centre of excellence)** के रूप में भी कार्य करेगा।
  - यह स्थानीय शासन के **लेखा परीक्षकों को स्वतंत्र रूप से कार्य** करने में मदद करेगा। इससे स्थानीय सरकारों के **वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन और सेवा प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार** होगा।
  - यह जमीनी स्तर पर **शासन से जुड़ी समस्यायों को दूर करने के लिए ज्ञान केंद्र और थिंक-टैंक** के रूप में कार्य करेगा।

स्थानीय स्वशासन और उसके लेखा-परीक्षण के बारे में

- **73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** के द्वारा संविधान में **भाग IX (11वीं अनुसूची) तथा भाग IX-A (12वीं अनुसूची)** जोड़े गए थे। इनमें **स्थानीय शासन** से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
  - **2020 में, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट** करने तथा जमीनी स्तर पर धन के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए **ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन** विकसित की थी।
    - इस एप्लीकेशन को **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), जिनेवा में वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसायटी पुरस्कार, 2023** से सम्मानित किया गया है।
- **स्थानीय स्वशासन निकायों की वर्तमान लेखा-परीक्षा प्रणाली**
  - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करने का अधिकार **CAG (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971** से प्राप्त होता है।
    - **CAG** पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सभी तीन स्तरों के लेखाओं के उचित रखरखाव एवं लेखा परीक्षण पर नियंत्रण रखता है व उनका पर्यवेक्षण करता है।
  - अधिकतर राज्यों में **स्थानीय निधि खातों के परीक्षक (ELFA) या स्थानीय निधि खातों के निदेशक (DLFA)** लेखा परीक्षा का कार्य करते हैं। ये संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा **स्थानीय शासन निकायों को आवंटित फंड के उपयोग की लेखा परीक्षा** करती हैं।
    - **CAG स्थानीय निधि खातों के परीक्षक (ELFA) या स्थानीय निधि खातों के निदेशक (DLFA)** को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। CAG इन संस्थाओं का **निरीक्षण** भी करता है।

स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 243G
स्थानीय निकायों को शक्ति के हस्तांतरण के लिए मूल सिद्धांत सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 243J
किसी राज्य का विधान-मंडल कानून बनाकर पंचायतों द्वारा लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है।

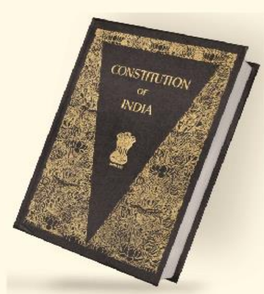

अनुच्छेद 243Z
किसी **राज्य का विधान-मंडल,** कानून बनाकर नगरपालिकाओं द्वारा लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है।

---

[27] International Centre for Audit of Local Governance

8.8. छावनी बोर्ड (Cantonment Boards)

सुर्ख़ियों में क्यों?

10 छावनी बोर्डों की जमीन के कुछ हिस्से का विलय संबंधित राज्य के स्थानीय निकायों में किया जाएगा।

छावनियों के बारे में

- ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, जहां सैन्य टुकड़ियों के लिए किलेबंदी की जाती है। यहां **मुख्य रूप से सैनिकों के आवास** होते हैं। हालांकि, यहां असैन्य आबादी भी मौजूद रहती है।
  - इसमें सैन्य कर्मी और सामान्य नागरिक, दोनों आबादी समूह शामिल होते हैं। वहीं एक सैन्य स्टेशन केवल सैन्य कर्मियों के उपयोग और आवास के लिए होता है। ऐसा स्टेशन एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्थापित किया जाता है।
- **उत्पत्ति:** इन्हें **1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी** द्वारा स्थापित किया गया था।
  - ऐसी **पहली छावनी बैरकपुर (कोलकाता) में 1765 में स्थापित** की गई थी।
  - वर्तमान में, **भारत में 61 छावनियां हैं।** इनमें से 6 की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के बाद की गई थी।
- **प्रशासन:** "छावनियों का **स्थानीय स्वशासन" संघ सूची का विषय** है। यह संविधान की सातवीं अनुसूची में **संघ सूची की प्रविष्टि 3** में उल्लिखित है।
  - छावनियों को वर्तमान में **74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार छावनी अधिनियम, 2006 के तहत प्रशासित** किया जाता है।
  - अधिसूचित छावनियों के नगर प्रशासन का समग्र कार्य **छावनी बोर्ड्स** के पास है, जो कि लोकतांत्रिक निकाय हैं। ये बोर्ड **लोक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा** आदि प्रदान करने जैसे नागरिक कार्य संपन्न करते हैं।
  - छावनी बोर्ड **रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण** में कार्य करते हैं।
- **छावनी का स्टेशन कमांडर बोर्ड का पदेन अध्यक्ष** होता है।

8.9. पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकीकरण (Constitutionalization of Environmental Issues)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने के अधिकार" को भी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत शामिल किया जाना चाहिए।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह निर्णय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और उसके पर्यावास क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में दायर रिट याचिका **'एम. के. रंजीत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य'** के तहत दिया गया।
  - भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 14 "समानता के अधिकार' और अनुच्छेद 21 "प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार"** जैसे मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करते हैं।

© Vision IAS

- यह एक ऐसा निर्णय है जिसमें **सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों;** विशेषकर **अनुच्छेद 14** (समानता का अधिकार), **अनुच्छेद 19** (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आदि का अधिकार) और **अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार) के दायरे को व्यापक बनाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया है।**

पर्यावरण संबंधी मुद्दों का संविधान के अनुसार समाधान करने के संदर्भ में न्यायिक घोषणाएं

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987): अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त परिवेश में जीने का अधिकार।

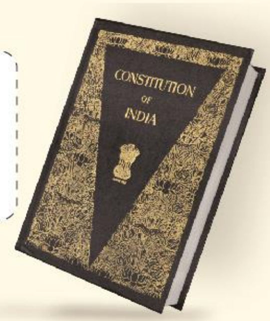

वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996): सुप्रीम कोर्ट ने सतत विकास के लिए "एहतियाती सिद्धांत" और "प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत" पर जोर दिया। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सतत विकास की अनिवार्य विशेषताएं हैं।
- » **एहतियाती सिद्धांत:** पर्यावरण या स्वास्थ्य से जुड़े खतरों के स्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य न होने की स्थिति में, निर्णयकर्ताओं को सावधानी बरतने की अनुमति प्रदान करता है।
- » **प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत:** इसके तहत प्रदूषण पैदा करने वाले लोगों को ही इसके प्रबंधन की लागत वहन करनी होती है।

8.10. राजनयिक पासपोर्ट (Diplomatic Passport)

हाल ही में, संसद का एक सदस्य यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद राजनयिक पासपोर्ट का दुरूपयोग कर पर जर्मनी भाग गया।

राजनयिक पासपोर्ट के बारे में

- **पात्रता:** यह पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा **अधिकृत या नामित व्यक्तियों** को जारी किया जाता है। इन व्यक्तियों में शामिल हो सकते हैं:
    - वे जो विदेश में रह रहे हैं और जिन्हें **राजनयिक दर्जा** दिया गया है; या
    - वे **सरकारी अधिकारी** जो **राजनयिक कार्यों के लिए या आधिकारिक उद्देश्यों के लिए** विदेश जा रहे हैं।
- **वैधता अवधि:** 5 वर्ष या उससे कम।
- **लाभ:**
    - **छूट/उन्मुक्ति (Immunity):** ऐसे पासपोर्ट धारकों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कुछ **विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों** का अधिकार है। इसमें **मेजबान देश में गिरफ्तारी, डिटेंशन और कुछ कानूनी कार्यवाही से छूट** शामिल है।
    - **कुछ देशों में वीजा आवश्यकता से छूट:** आम तौर पर, विदेश मंत्रालय भारतीय सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक कार्यों या यात्रा के लिए विदेश जाने के लिए वीजा नोट भी जारी करता है।
        - हालांकि, भारत के पास **जर्मनी के अलावा 33 अन्य देशों** के साथ राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए **वीजा मुक्ति यात्रा समझौता** है।
        - यह समझौता **भारतीय राजनयिक पासपोर्ट धारकों** को **90 दिनों तक वीजा के बिना** इन देशों की यात्रा करने की अनुमति देता है।

भारतीय पासपोर्ट के बारे में

- **संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची** के तहत पासपोर्ट और वीजा का उल्लेख किया गया है।
- भारत में यह **पासपोर्ट अधिनियम, 1967** द्वारा शासित होता है। इसके अनुसार:
    - **भारत से प्रस्थान करने वाले या प्रस्थान करने का इरादा रखने वाले सभी व्यक्तियों** के पास वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज होना आवश्यक है।
        - हालांकि, **केंद्र सरकार** कुछ लोगों को पासपोर्ट रखने की आवश्यकता से **छूट दे सकती** है।
    - इसके अतिरिक्त, **केंद्र सरकार** किसी ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट जारी कर सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है, यदि सरकार का यह मानना है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है।
- भारत में तीन प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं: सामान्य (नीले रंग का), राजनयिक (सफेद रंग का) और आधिकारिक (मैरून रंग का)।

 © Vision IAS

8.11. अन्य महत्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

8.11.1. कॉमन सर्विस सेंटर्स (Common Service Centres: CSC)

कॉमन सर्विस सेंटर्स-स्पेशल पर्पज व्हीकल (CSC-SPV) की स्थापना के 15 वर्ष पूरे हुए। CSC-SPV, कॉमन सर्विस सेंटर्स योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

कॉमन सर्विस सेंटर्स-स्पेशल पर्पज व्हीकल (CSC-SPV) के बारे में

- इसे **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956** के तहत स्थापित किया है।
- यह कॉमन सर्विस सेंटर्स की मदद से नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक **केंद्रीकृत सहयोगी फ्रेमवर्क** प्रदान करता है।
- **विज़न:** कॉमन सर्विस सेंटर्स को नागरिकों के लिए सेवा प्रदान करने वाले केंद्रों के एक विश्वसनीय और सर्वव्यापी सूचना-प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क के रूप में विकसित करना।

कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के बारे में

- ये 2006 में शुरू की गई **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के तीन स्तंभों** में से एक हैं।
    - NeGP के अन्य दो स्तंभ हैं- **कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय डेटा बैंक/ राज्य डेटा केंद्र।**
- कॉमन सर्विस सेंटर्स भारत में ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को **एकीकृत तरीके** से सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्रक की **सेवाएं उपलब्ध कराने वाले निकटस्थ केंद्र** हैं।
- ये देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए **पैन-इंडिया नेटवर्क** हैं।
- **कॉमन सर्विस सेंटर्स से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - **सरकार से नागरिक सेवाएं (G2C):** जैसे-आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, आदि;
    - **व्यवसाय से उपभोक्ता सेवाएं (B2C):** जैसे-भारत बिल पेमेंट सिस्टम, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज, आदि;
    - **वित्तीय सेवाएं:** बैंकिंग, बीमा, पेंशन, आदि।

8.11.2. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (WPFI) 2024 {World Press Freedom Index (WPFI) 2024}

वार्षिक WPFI 2024 में **180 देशों में भारत 159वें स्थान पर** रहा।

WPFI 2024 के बारे में:

- यह सूचकांक **पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF)** द्वारा जारी किया जाता है। यह संगठन सूचना की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रसार में दुनिया के अग्रणी गैर-सरकारी संगठनों में शामिल है।
- यह सूचकांक **विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (3 मई)** पर जारी किया जाता है।

© Vision IAS

- वर्ष 2024 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी **"प्लेनेट के लिए प्रेस: पर्यावरणीय संकट के समय पत्रकारिता"।**
- **शीर्ष रैंक वाले तीन देश हैं:** नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन।
- सूचकांक की रैंकिंग **5 संकेतकों पर** आधारित है। ये संकेतक हैं- **राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा।**

8.11.3. सह-जिला पहल (Co-Districts Initiative)

असम सरकार ने जिला प्रशासन के भीतर सह-जिला की अपनी तरह की पहली अनूठी अवधारणा शुरू की है। यह सिविल सब-डिवीजन की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर शुरू की गई है।

सह-जिलों के बारे में

- ये **जिलों से नीचे की लघु प्रशासनिक इकाइयां** होंगी। यहां का प्रशासन प्रमुख **सहायक जिला आयुक्त रैंक का अधिकारी** होगा। उसके पास जिला आयुक्तों के समान शक्तियां और जिम्मेदारियां होंगी।
- **महत्त्व:**
    - इससे प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा;
    - शासन को अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा;
    - नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में सुधार होगा,
    - लोगों को उनके घर के नजदीक सरकारी सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी, आदि।

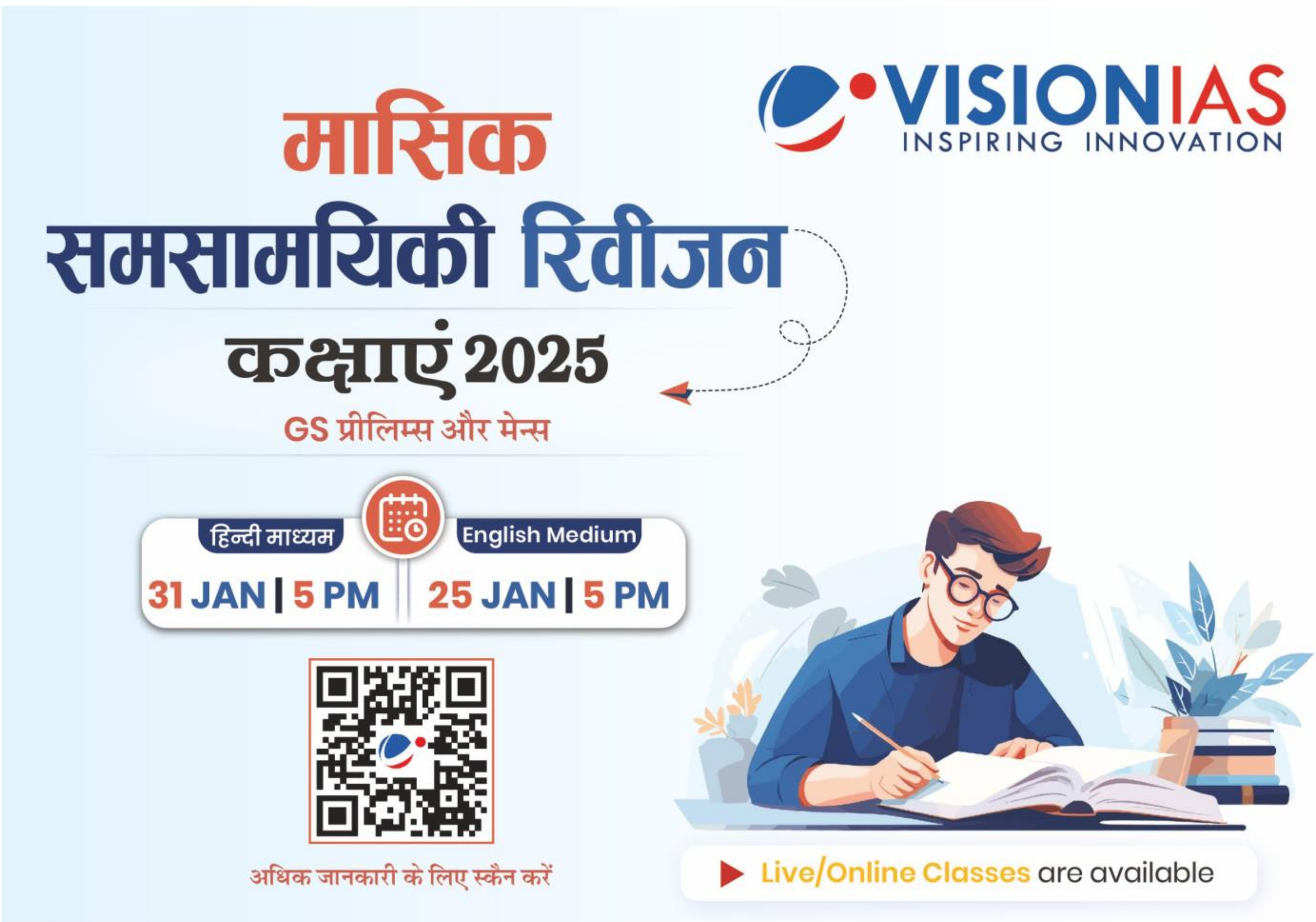

Copyright © by Vision IAS

All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023** from various programs of **Vision IAS**

1 AIR

Aditya Srivastava

2 AIR **Animesh Pradhan**

5 AIR **Ruhani**

6 AIR **Srishti Dabas**

7 AIR **Anmol Rathore**

9 AIR **Nausheen**

10 AIR **Aishwaryam Prajapati**

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

53 AIR मोहन लाल

136 AIR अर्पित कुमार

238 AIR विपिन दुबे

257 AIR मनीषा धार्वे

313 AIR मयंक दुबे

517 AIR देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

53 AIR मोहन लाल — Toppers' Talk

UPSC CSE 2026 सामान्य अध्ययन

UPSC Prelims 2025 10 years PYQ

Master Classes Series करेंट अफेयर्स

HEAD OFFICE (DELHI)
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visioniashindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias

अहमदाबाद | बेंगलुरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची